राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का २५वाँ दिवस [संख्या १३

सोमवार, १७ नवम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ५०३

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थिति—कृपया आगे देखिये)

डॉ० चन्द्रकला।

सिन्धी कॉलोनी बनी पार्क में विकास कार्य

५०४ डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सिंधी कॉलोनी, बनी पार्क के विकास के काम को नगर विकास के मण्डल को न देकर पुनर्वास विभाग ने अपने पास ही रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) उक्त कॉलोनी में अब तक कोई भी विकास कार्य न होने का क्या कारण है ? आवश्यक विकास के काम कब तक पूरे हो जाने की आशा है ?

(ग) क्या यह सच है कि राज्य का पुनर्वास विभाग केवल चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक रहेगा ? उसके बाद उक्त विभाग के जिम्मे के कार्यों की क्या व्यवस्था होगी ?

उप पुनर्वास मन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(क) हां, शरणार्थियों के लिये जितनी कॉलोनी बनाई गई हैं उनके विकास का कार्य आरम्भ से ही पुनर्वास विभाग के पास ही रहा है। ऐसे कार्यों के लिए पहले इस विभाग के पास टेक्निकल स्टॉफ था और उसके बाद पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा ये कार्य करवाये जाते हैं।

(ख) उक्त कॉलोनी में सड़कें पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा बनाई जा रही है। यह कार्य प्रगति पर है और आशा है कि शीघ्र ही पूर्ण हो जावेगा। १६ स्ट्रीट लाइट के पोल्स भी लग चुके हैं। पानी के एस्टीमेट्स मंजूर किए जा चुके हैं और आशा है कि वह कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जायगा।

(ग) सरकार ने अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला : क्या भारत सरकार

(डॉ० चन्द्रकला)

कार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं कर लिया है कि पुनर्वास विभाग का कार्य इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक ही रहेगा ?

श्री सम्पतराम : इस प्रकार की सूचना राज्य सरकार के पास कोई नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : विकास कार्य इसी विभाग के पास रहा है और जब टेक्निकल स्टॉफ भी नहीं रहा तो ऐसे कामों में इसके कारण देरी नहीं होती क्या ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा न कि अब इस काम को पी. डब्ल्यू. डी. के जिम्मे कर दिया है और पी. डब्ल्यू. डी. के पास सब साधन हैं।

डॉ० चन्द्रकला: जब विकास के काम हो का प्रश्न था तो इस काम को नगर विकास मण्डल को क्यों नहीं सौंप दिया गया, ताकि वह जल्दी कर सकता ? पी. डब्ल्यू. डी. को क्यों दिया गया ?

श्री सम्पतराम : यही उचित समझा गया, इसलिए पी. डब्ल्यू. डी. को ही दिया गया ।

डॉ० चन्द्रकला : इसका क्या कारण है?

श्री सम्पतराम : इसका कारण यह है कि नगर विकास मंडल के पास पहले से ही बहुत अधिक काम का भार है । आजकल नगर का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और उनके पास इस काम के और बढ़ जाने तथा स्टॉफ इतना नहीं होने के कारण वे शीघ्रता से नहीं कर सकते ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि इस प्रकार की व्यवस्था के कारण विकास के कामों में काफी विलम्ब हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर देखें आप । वे कह चुके हैं, नहीं हुआ है ।

नेक्स्ट ।

डाइरेक्टर, ट्रेनिंग सर्विसेज, जयपुर की कलकत्ता तथा बम्बई यात्रा

श्री पी० के० चौधरी(फुलेरा): Will the Labour Minister be pleased to state:-

(a) Is it correct that member of the Purchasing Committee of the Director of Training services, Jaipur, went to Calcutta and Bombay by places to inspect purchases made this year, though delivery of the articles were obtained at Jaipur ?

(b) Is it correct that the Finance Audit Party has taken exception to this extravagance of the members ?

(c) Under what authority these air trips were under taken ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (a) Yes. Two members of the Purchasing Committee visited calcutta and Bombay by plane and took delivery of the articles there.

(b) Yes. Objection has been taken by the Finance Audit Party and the matter is under enquiry, but the Department feels that there has been no extravagance.

(c) The trips were undertaken under Government orders.

Page No.3

श्री पी० के० चौधरी : If it was done the Government Orders, why the Audit party has taken this objection ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : They have raised the objection.

श्री पी० के० चौधरी : Have they taken this objection arbitrarily ?

श्री अध्यक्ष : It is not necessary that all the objections should be valid. The facts are before you. He has admitted that they went there.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : We have also instituted an enquiry into the matter.

श्री पी० के० चौधरी : The Government has authorised, them, you said just, but which officer of the Government had authorised them to undertake the journey ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Government is Government. There is no particular officer.

श्री पी० के० चौधरी : What was the amount of purchases made at Calcutta and Bombay ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It was more than of a lac of Rupees.

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने लिखित रूप से इस प्रकार की आज्ञा दी थी, कलकत्ता जाने से पहले ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं वर्बल आज्ञा दी थी और रिटन ऑर्डर बाद में जारी कर दिया गया था ।

श्री भैरोंसिंह : जो रिटन ऑर्डर बाद में जारी किया गया वह ऑडिट ऑब्जेक्शन से पहले किया गया या बाद में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑडिट ऑब्जेक्शन से पहले की बात है ।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर क्या यह समझा जावे कि ऑडिट ऑब्जेक्शन जिस समय हुआ ऑफिस में वह ऑर्डर मौजूद नहीं था जिसके कारण ऑडिट वालों को वह बताया नहीं जा सका कि गवर्नमेन्ट ऑर्डर के मातहत कलकत्ता गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो तहकीक है कि पहले जारी हो गया ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि उस समय ऑर्डर ऑफिस में था या नहीं और था तो ऑडिट वालों को उस समय ही मांगने पर दिया गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ऑर्डर दिया गया या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, पर दफ्तर में जरूर था । इश्यू हो गया था पहले ।

प्रश्न संख्या ५०६

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी ।

गणेश आयर्न फैक्टरी, अजमेर द्वारा चुंगी का भुगतान

५०७. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Minister for Local-Self Government be pleased to state:—

Page No.4

(श्री पी० के० चौधरी)

(a) Is it correct that M/s. Ganesh Iron Factory, Ajmer took delivery of goods valued at Rs. 11,000/-on 22-7-57 against the R/R obtained from Hind Bank after paying as equivalent amount; but paid octroi on Rs. 4, 836/-only ? If so, what action the Government has taken on it ?

उप स्वायत शासन मंत्री (श्री पूनम चन्द विश्नोई) : M/s. Ganesh Iron Factory, Ajmer took delivery of goods after paying octroi on Rs. 4,968/79 N.p.

On the matter coming to the notice of the Municipal authorities the case was referred to the Supdt. of Police Ajmer, for filing a criminal case against M/s. Ganesh Iron Factory as they had defrauded the Committee. The Supdt. of Police after making necessary enquiries in the matter intimated that as it was not a cognizable offence the Police could not take action. The matter is still under consideration for taking further action against M/s. Ganesh Iron Factory.

श्री पी० के० चौधरी Under whose consideration ? Whether Municipality or the Government ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : Municipality has handed over the papers to their counsel who is going to file a complaint.

श्री पी० के० चौधरी : What action has been taken to recover the amount ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : As soon as the Police reported that no cognisable offence was made M/S Ganesh Iron Factory said that they are prepared to pay the difference and therefore a penalty of Rs. 50/-was imposed on them and defence was also put. Thereafter the parties appeared before the Municipality and they wanted to appear before the Executive officer but they did not. It was, therefore, decided to refer the case to the court.

प्रश्न संख्या ५०८

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५०९

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

ग्राम पंचायत दूणी का चुनाव

५१० श्री रावराजा सरदारसिंह (उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम दूणी, तहसील, देवली की पंचायत का चुनाव हो चुका है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि वहां अभी तक पुरानी पंचायत ही काम कर रही है ?

(ग) यदि हां, तो अब तक नई निर्वाचित

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

पंचायत के कार्य नहीं करने का क्या कारण है ?

उप-स्वायत शासन मन्त्री (श्री दौलत-राम सारण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इस पंचयत का कौनसी तारीख को चुनाव हुआ, कौनसी तारीख को शपथ ग्रहण की और कौन सी तारीख को चार्ज लिया ?

श्री दौलतराम सारण : निर्वाचन २५–३–५८ को; पंचों ने शपथ ग्रहण की ६।७।५८ को, पंचों और सरपंचों ने शपथ ग्रहण करके कार्य शुरू किया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पंचायत कानून के अनुसार तीन महीने के अन्दर अन्दर शपथ ग्रहण कर ली जानी चाहिए। अगर नहीं शपथ लेते हैं तो दुबारा चुनाव होता है।

श्री दौलतराम सारण : २५-३-५८ को निर्वाचन हुआ, ६-७-५८ को शपथ लेते ही कार्य आरम्भ हुआ। इससे पहले नहीं ली गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उस वक्त शपथ ग्रहण की अवधि खतम हो गई थी।

श्री दौलतराम सारण : अवधि का प्रश्न कहां है ?

श्री भैरोंसिंह : निर्वाचन के तीन महीने के अन्दर जब शपथ नहीं ली तो बाद में किस कारण से दुबारा शपथ दिलाई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शपथ तो एक ही बार दिलाई।

श्री भैरोंसिंह : कानून यह है कि निर्वाचन से तीन महीने के अन्दर अन्दर शपथ ले ली जानी चाहिये, अगर नहीं ली जाती है तो उनका इलेक्शन इनवेलिड हो जाता है ? फिर ऐसी हालत में उनको शपथ क्यों दिलाई गई ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : यह तो नहीं कहा जा सकता कि इन्वेलिड हो गई। अब अगर कोई लीगल कॉन्सीक्वेन्सेज़ हैं तो बाद में देख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : सरकार के पास इन्फोर्मेशन थी कि निर्वाचन फलां तारीख को हो गया है और फलां तारीख को शपथ ग्रहण की कार्यवाही हो रही है। शपथ-ग्रहण सरकारी कर्मचारी कराते हैं, फिर जब शपथ ग्रहण का समय निकल चुका तो दुबारा शपथ ग्रहण की कार्यवाही क्यों हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह भी गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही हुई।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ऑर्डर से मतलब नहीं, शपथ दिलाने से मतलब है। जब कानून था, मियाद निकल गई तो गवर्नमेंट ने फिर शपथ क्यों दिलाई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब यह लीगल है या इल्लीगल है, जब प्रश्न सामने आवेगा तब देखेंगे।

प्रश्न संख्या ४११

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

बनीपार्क कॉलोनी में डिस्पेन्सरी

५१२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बनीपार्क कॉलोनी में कोई डिस्पेन्सरी है ?

(ख) अगर नहीं, तो वहां रहने वाले व्यक्तियों को तात्कालिक मैडिकल एड कहां से लेनी पड़ती है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) बनी पार्क में कोई सरकारी एलोपैथिक डिस्पेन्सरी नहीं है।

(ख) बनी पार्क में रहने वाले व्यक्ति शहर में स्थित अस्पतालों तथा डिस्पेन्सरियों से मैडिकल एड लेते हैं ?

रावराजा सरदारसिंह : तो वहां से शहर में जाने-आने में कितनी देर लगती है, सरकार को इसे देखना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गांवो में तो २०-मील की दूरी पर होती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तत्काल सहायता के लिये कहां जाना पड़ता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शहर में बड़े बड़े अस्पताल मौजूद हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : शहर में तो मौजूद हैं, ठीक है। पर उस कॉलोनी में कितने हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जनाना, अस्पताल तो वहां मौजूद है, पास में ही।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वहां कोई डिस्पेन्सरी खोलने का विचार कर रही है सरकार ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस वक्त तो नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जनाना अस्पताल में मर्दों का भी इलाज होता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर कोई जनाना मर्द हो तो।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : आपका हो सकता है या नहीं ?

(हंसी)

प्रश्न संख्या ५१३

श्री अध्यक्ष : नारायणलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५१४

श्री सूरजमल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५१५

श्री भीमसेन

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह

तहसील कोटपुतली में लगान की वसूली

५१६ **रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील कोटपुतली में बहुत सी जमीनों का सम्वत् २००८ से २०१४ तक का लगान न सरकार ने

(श्री रामकरणसिंह)

भोमियों से वसूल किया है और न भोमियों ने काश्तकारों से ?

(२) यदि हां, तो किस किस ग्राम के किन किन भोमियों का किस किस वर्ष का लगान बढ़ाया है और सरकार का किसके नाम बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) यह लगान क्यों नहीं वसूल किया गया ?

(४) क्या कोई ऐसा नियम है कि तीन वर्ष से अधिक का बकाया लगान मियाद बाहर समझा जाय ?

(५) यदि हां, तो क्या यह नियम काश्तकारों और भोमियों पर ही लागू है या सरकार का बकाया लगान भी मियाद बाहर समझा जाता है ?

(६) किन किन भोमियों व काश्तकारों का कितना कितना रुपया मियाद बाहर निकला है ! सूची सदन की मेज पर रक्खें।

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) कोटपुतली तहसील सम्वत् २०१० में स्थापित हुई। केवल भोमियान खेलना भोजाबास, बुचारा, टलकोसा, जोधपुरा, राजनोता, पाछोडोला, रूपपुरा, लाडाका बास, बडनगर-किराडोद के लगान जमा नहीं करा रहे हैं क्योंकि इन ग्रामों का बन्दोबस्त सम्वत् २०११ में हुआ है। काश्तकारों को पर्चे चकबन्दी मिल चुके हैं। अतः पर्चों के अनुसार लगान काश्तकारों द्वारा देने पर भोमियों को ऐतराज है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) बन्दोबस्ती लगान के बारे में भोमियों व काश्तकारों में आपसी झगड़े के कारण।

(४ यह कानूनी राय का प्रश्न है।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(६) सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि मियाद का सवाल एक कानूनी सवाल है जिस पर कोई राय जाहिर करना उचित नहीं।

(कृपया परिशिष्ट–१ देखिये)

प्रश्न संख्या ५१७

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

ठिकाना खेतड़ी के कर्मचारियों की नियुक्ति

५१८. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ठिकाना खेतड़ी के कुछ कर्मचारियों को ठिकाने के साथ ही राजस्थान सर्विस में नायब तहसीलदार की पोस्ट पर लिया गया था तथा बाद में उन्हें गिरदावर बना दिया ?

(ख) यदि हां, तो किन किन को क्यों डिग्रेड किया ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उनमें से किसी व्यक्ति का केस कमिश्नर के पास काफी समय से पड़ा है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री संपतराम) : (क) जी नहीं।

(श्री सम्पतराम)

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री रामकरणसिंह : आपने मेरे (ख) प्रश्न के जवाब में बताया कि 'प्रश्न नहीं उठता है' तो क्या वे आदमी नहीं लिए गये थे ?

श्री सम्पतराम : यह आपने पूछा है "(क) क्या ठिकाना खेतड़ी के कुछ कर्मचारियों को ठिकाने के साथ ही राजस्थान सर्विस में नायब तहसीलदारों की पोस्ट पर लिया गया था तथा बाद में उन्हें गिरदावर बना दिया ?" तो मैंने इसका जवाब दिया 'नहीं'। इसलिये दूसरे सवाल पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रामकरणसिंह : कोई भी आदमी ऐसा नहीं लिया गया इन पोस्ट्स के लिये ?

श्री सम्पतराम : मैं जवाब दे चुका 'नहीं'।

प्रश्न संख्या ५१९

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५२०

श्री लादूराम टटवाड़िया

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५२१

श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५२२

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

बेसिक प्राइमरी स्कूल, लालसोट

५२३ **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या बेसिक शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बेसिक प्राइमरी स्कूल, लालसोट में छात्र संख्या ३०० के ऊपर है ?

(२) क्या यह सच है कि वहां पर अध्यापक पांच ही हैं ?

(३) यदि हां, तो अब तक कमी की पूर्ति क्यों नहीं की गई ?

(४) क्या यह सच है कि एस॰ डी॰ आई॰ लालसोट ने एक मास्टर को अपने कार्यालय के काम में लगा रखा है और स्कूल में चार ही मास्टर कार्य कर रहे हैं ?

(५) यदि हां, तो उक्त स्कूल में मास्टरों की कमी होते हुए भी एक अध्यापक को डेपूट किया जाना क्या उचित है ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No.9

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह आपने बताया कि 'मेरे प्रश्न १ के उत्तर में "जी नहीं" तो क्या ?

(अश्रव्य)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : फिर से पूछिये।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या यह सही है कि सन् १९५८ में वहां पर ३०५ लड़के थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एनरोलमेंट नहीं लिये हुए थे उसमें ३०५ लड़के हो गये थे, लेकिन तुरन्त बाद में २५७ लड़के ही रहे।

श्री भैरोंसिंह : लड़कों की कमी क्या इसी कारण हुई है कि वहां पर अध्यापक कम थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

प्रश्न संख्या ५२४

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

झुंझुनूं जिले में भूमि का बन्दोबस्त

५२५. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की करेंगे :

(१) झुंझुनूं जिले में भूमि-बन्दोबस्त कब तथा किस साल तक के लिए हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि बन्दोबस्त की अवधि बढ़ाई गई है ? यदि हां, तो कब कब तथा किस किस आदेश द्वारा ?

(३) क्या यह सही है कि इस समय बन्दोबस्त की मियाद समाप्त हो गई है ? यदि हां, तो कब समाप्त हुई तथा अब सरकार इसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न के खण्ड (१) में (क), (ख), (ग), (घ) व (ड) में वर्णित उत्तर में बताये गये गांवों की मियाद खत्म हो गई है। तरमीम बन्दोबस्त के सिलसिले में सैटलमेंट ऑफिसर सीकर से फॉर कास्ट रिपोर्ट मांगी जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री शिवनाथसिंह : मुझे वह ब्योरा नहीं मिला है।

श्री सम्पतराम : ६ गांव ऐसे हैं जिनकी अवधि संवत् १९९७ से २००७ तक थी, १२३ की संवत् १९९८ से २००७ तक, ४३७ गांवों की १९९९ से २००८ तक, ३ गांवों की २००५ से २००७ तक, २ गांवों की २००५ से २००९ तक, १३ गांवों की २००५ से २०१५ तक, ४६ गांवों की २००८ से २०२७ तक और ७२ गांवों की २०१२ से २०३१ तक।

श्री शिवनाथसिंह : आपने मेरे प्रश्न के भाग (२) के जवाब में बताया है कि अवधि नहीं बढ़ाई गई है और जब उनकी अवधि समाप्त हो गई है तो लगान किस हिसाब से होता है ?

श्री सम्पतराम : पुराने हिसाब से होता है।

श्री शिवनाथसिंह : किस कानून से होता है ?

श्री सम्पतराम : लैण्ड रेवेन्यु एक्ट से होता है ।

श्री शिवनाथसिंह : लैण्ड रेवेन्यु में प्रोविजन है कि जब मियाद खत्म हो जाती है तो या तो मियाद को एक्सटेन्ड करते हैं या, दुबारा सैटलमेंट करते हैं ।

श्री सम्पतराम : दुबारा सैटलमेंट जब तक नहीं होता है तब तक वह एक्सटेन्डेड माना जाता है ।

शिवनाथसिंह : एक्स्टेन्ड करना पड़ता है या वह एक्स्टेन्डेड माना जाता है ?

श्री सम्पतराम : माना जाता है ।

श्री शिवनाथसिंह : संवत् २००७ से २०१४ तक दुबारा सैटलमेंट क्यों नहीं हुआ ? इसकी क्या कोई खास वजह है ?

श्री सम्पतराम : सैटलमेंट करना मुनासिब नहीं समझा गया ।

श्री शिवनाथसिंह : किस आधार पर मुनासिब नहीं समझा गया ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास)**:** यह इकॉनोमिकली ठीक नहीं था । लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में कुछ आधार दिये हुये हैं रिसैटलमेंट के, उन आधारों पर ठीक नहीं समझा गया इस वक्त में रिसैटल करना । वह उचित नहीं समझा गया है ।

श्री शिवनाथसिंह : वे कौन से आधार हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में दिये हुये हैं । मेरे लिये यह मुमकिन नहीं है कि हर एक आधार को यहां पर बताऊं । इसमें यह है कि इसका सर्वे किया जाय और इकॉनोमिकली रिसैटलमेंट करना ठीक हो तो रिसैटलमेंट कराया जाय । इस वक्त मौजूदा शर्तों में रिसैटलमेंट करना इकोनॉमिकल नहीं है ।

श्री शिवनाथसिंह : वह इकॉनोमिकल गवर्नमेंट के लिये नहीं है या काश्तकार के लिये नही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दोनों के लिए ।

श्री शिवनाथसिंह : अभी सैटलमेंट नहीं हुआ है तो उनसे एक तिहाई के आधार पर लगान लिया जाता है और अगर सैटलमेंट हो जायगा तो छठे बांटे के आधार पर लिया जायगा । इसलिये वह इकॉनोमिकली गवर्नमेन्ट के लिये नहीं है, लेकिन वह काश्तकार के लिए है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी, यह बात नहीं है । आजकल भाव इतने बढ़ गये हैं कि १।६ के हिसाब से भी रेटस में कमी-बेशी नहीं होने वाली है ।

प्रश्न संख्या ५२६

श्री अध्यक्ष : श्री विश्वम्भरनाथ जोशी

(अनुपस्थित)

रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन के लिये ली गई भूमि का मुआवजा

५२६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) **:** क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है कि कुछ वर्षों

Page No.11

(श्री भैरोंसिंह)

पहले रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन के लिये बाड़मेर में कुछ भूमि ली गई थी ? यदि हां, तो कितनी कितनी और किन किनकी ?

(ख) क्या इस भूमि का मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस भूमि का अब क्या उपयोग हो रहा है ?

(ग) इस रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन की स्कीम का क्या हुआ ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री संपतराम): यह सही है कि सन् १९५५ में शरणार्थियों को बसाने हेतु ११.५ एकड़ भूमि राजस्थान रिसेटल मेंट ऑफर पर्सनल डिस्प्लेस्ड (लैण्ड एक्वी-जिशन) ऑर्डिनेन्स, १९४९ के अन्तर्गत ली गई थी।

श्री भैरोंसिंह : A bit l uder please.

श्री अध्यक्ष : Louder and clear please.

श्री संपतराम : इस जमीन हेतु १२ उजरदारियां अन्दर मियाद पेश हुई जिन पर कार्यवाही जारी है व ३ उजरदारियां मियाद बाहर पेश होने से खारिज की गई। प्रत्येक उजरदार की कितनी कितनी ज़मीन इस कॉलोनी में आई है, उजरदारियों का फैसला होने पर सही पता लग सकेगा। उज़रदारान् के नाम निम्नलिखित है :

१. चन्दनसिंह, २. बिरदा पुत्र सामा, ३. माना पुत्र फता, ४. खेता पुत्र पोला, ५. धोला पुत्र देवा, ६. लाखा पुत्र रामजी, ७. जमना पुत्र अमरा, ८. चतुरभुज पुत्र बंशीधर, ९. खुशालचंद वगैरह, १०. कुशल-सिंह पुत्र खूमसिंह, ११. परबतसिंह पुत्र मोती-सिंह, १२. भूरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह।

(ख) इस भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। उजरदारियों की तहकीकात हो रही है व ज्योंही फैसला होगा मुआवजा दे दिया जावेगा। इस भूमि पर कुछ शरणा-र्थियों ने अपने मकान बना लिये हैं व कुछ बना रहे हैं।

(ग) रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन की स्कीम के माफिक शरणार्थियों को प्लॉट्स दिये जा चुके हैं और वे लोग अपने मकान बना रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह भूमि किस कानून के अन्तर्गत अवाप्त की गई थी ?

श्री संपतराम : इसका जवाब प्रश्न (क) के भाग में दे चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : वह साफ नहीं आया है इसलिए पूछता हूँ।

श्री अध्यक्ष : वापिस पढ़ दें।

श्री संपतराम : राजस्थान रिसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सनल (लैण्ड एक्वी-जीशन) ऑर्डिनेन्स, १९४९।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय भूमि अवाप्त की गई थी क्या सरकार के सामने कोई प्लान मौजूद था जिसके अन्तर्गत उस भूमि के अवाप्ति की कार्यवाही करनी थी।

श्री संपतराम : अगर प्लान नहीं होता तो जमीन का एक्वीजिशन नहीं करते।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि ज़मीन के एक्वीजिशन के तुरन्त बाद में शरणार्थियों को बसाने की योजना वहां पर चालू कर दी गई थी ?

Page No.12

श्री संपतराम : शरणार्थी वहां पर बस रहे हैं और मकान बन रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न था कि जिस समय भूमि एक्वायर की गई उसके तुरन्त बाद में रिसेटल करने की कार्यवाही चालू कर दी गई थी ?

श्री संपतराम : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार बता सकती है कि भूमि को अवाप्त करने की तारीख के कितने दिन के बाद मकान बनाने के लिए पट्टे दिये गये या स्कीम चालू की गई ?

श्री संपतराम : यह तारीख मेरे पास में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या समय बता सकते हैं कि कितने महीने के बाद में काम चालू हुआ है ?

श्री सम्पतराम : This is a separate issue.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ११.५ एकड़ भूमि में से ७ एकड़ भूमि इस वक्त खाली पड़ी है, और वहां पर कोई योजना नहीं है, किसी पुरुषार्थी को बसाया हुआ नहीं है।

श्री संपतराम : इसकी सूचना हमारे पास में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह सूचना चाहता हूँ कि इस भूमि का क्या उपयोग हुआ और आप कहते हैं कि सूचना....

राजस्वमंत्री श्री (दामोदरलाल व्यास) : भूमि का उपयोग शरणार्थियों के लिये हुआ कुछ पर मकान बनाये गये हैं और कुछ पर बन रहे हैं और कुछ पर अब बनायेंगे और कुछ भूमि रह गई है तो अलॉट कर दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या एक्वायर करने से पहले स्पष्ट योजना नहीं थी कि इतने आदमियों को बसाया जायगा और क्या उतने आदमियों के प्रार्थना पत्र भूमि अलॉट करने के लिये नहीं आये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस बारे में जबाब दिया जा चुका है। जब ज़मीन एक्वायर की जाती है किसी पब्लिक परपज के लिये तो बताया जाता है कि फलां काम के लिये। शरणार्थियों को बसाने की योजना पहले से ही थी इसीलिये इसको एक्वायर किया गया। अब अगर उसमें से कोई ज़मीन रह गई है अलॉट करने से तो उसके लिये अलग प्रश्न पूछना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिये अलग प्रश्न की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल यह पूछा गया था कि उस जमीन का क्या उपयोग हुआ, यही प्रश्न काफी है सारी सूचना के लिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपको बतलाया गया है कि शरणार्थियों के बसाने के लिये काम में ली गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि इसका पूरा उपयोग नहीं हुआ और जमीन बेकार पड़ी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : काम में ली गई है और अगर बाकी रह गई है तो उसको भी काम में लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : तीन वर्ष तक काम में नहीं लेने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : काम में लिये जाने की कार्यवाही चालू है।

श्री भैरोंसिंह : किसी को जमीन अलॉट करते नहीं हैं और फिर ऊपर से कहते हैं कि कार्यवाही जारी है ?

श्री अध्यक्ष : अब जल्दी करेंगे।

प्रश्न संख्या ५२८

श्री मुरलीधर व्यास

अनुपस्थित

श्री रामनारायण

जमीन का परिवर्तन तथा छठा बांटा की वसूली

५२९. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा-सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गुडा साल्ट, तहसील नावां के जागीरदार द्वारा वहाँ के किसानों की जमीन का परिवर्तन एवं छठा बांटा अब तक चालू है?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

उप राजस्व मंत्री (श्री संपतराम) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नही उठता।

प्रश्न संख्या ५३०

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

पटवारखाने के लिए मकान

५३१. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पटवारियान के लिए कहां कहां हैड क्वार्टर बना दिए गए हैं?

(२) पटवारी हल्के में पटवारखाने के मकान का क्या इन्तजाम किया गया है।

(३) कितने पटवारियान को मकान किराया (पटवारखाना) दिया जाता है।

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) ७८ स्थानों पर। सूची संलग्न है।

(२) जहां पटवारघर सरकारी मकान में नहीं हैं, वहां पटवारियों को मकान किराया दिया जाता है।

(३) ४०२ पटवारियों को।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : लालसोट तहसील में से कितने पटवारियों को मकान किराया दिया जाता है ?

श्री सम्पतराम : जो वहां रहते होंगे, उनको दिया जा रहा होगा।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : किन किनको दिया जा रहा है ?

श्री सम्पतराम : स्पेसिफिक जगह के बारे में पूछें तो बता सकता हूं, आपने जनरल प्रश्न पूछा, इसलिए जनरल जवाब दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : किराया किस स्केल से दिया जाता है ?

Page No.14

श्री सम्पतराम : चार रुपए माहवार तक दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणलाल।

प्रश्न संख्या ५३२

(अनुपस्थित)

श्री पुरुषोत्तमलाल।

प्रशासनिक खर्चे में कमी

५३३. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बजट भाषण में जो प्रशासनिक खर्चें में तीस लाख रुपए की कमी किए जाने के बारे में कहा गया था, क्या वह कमी की जा रही है ?

(२) अगर हां, तो किस किस डिपार्टमेंट में किस किस कदर खर्च कम किया जा रहा है?

उप-वित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) खर्च में कमी करने के बारे में जो इकोनोमिक कमेटी कायम की गई थी वह काम कर रही है और अब तक उसके सुझावों पर सरकार ने खर्च में निम्नलिखित कमियां करना मान लिया है :

१.	सैटलमेंट विभाग	६.५४ लाख
२.	खुदकाश्त	०.३१ लाख
३.	ग्राम विकास केन्द्र	१.५० लाख
४.	स्टेशनरी	०.५० लाख
५.	यात्रा भत्ता	४.५० लाख
	इस तरह कुल	१३.३५ लाख

निम्नलिखित मदों में कमी की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं :—

१.	पुलिस गार्ड्स	२.१७ लाख
२.	देवस्थान और समाज कल्याण	३.०० लाख

निम्नलिखित विभागों में कमी करने के प्रपोजल्स इकोनोमिक कमेटी के विचाराधीन हैं :

जागीर, लैंड रिकार्ड्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज, इकोनोमिक्स स्टेटिसटिक्स और ट्रान्सपोर्ट	७.०० लाख
अन्य विभाग	४.४८ लाख
योग	३०.०० लाख

श्री पी० के० चौधरी : इकोनोमिक कमेटी कब अपोइन्ट की गई थी और उसके सदस्य कौन कौन हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कमेटी अपोइन्ट किये साल भर का अर्सा हुआ है और उसके सदस्य हैं एडिशनल फाइनेन्स सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और एक अन्य व्यक्ति।

श्री सम्पतराज : क्या उस कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया है कि उसकी सिफारिशों में से कुछ को मंजूर किया और कुछ सरकार के विचाराधीन हैं और कुछ के बारे में रिपोर्ट आनी बाकी है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या राजस्व विभाग की कमिश्नरीज़ तोड़ने का विचार है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अभी इस विषय में विचार नहीं है।

श्री रामचन्द्र : देवस्थान और समाज-कल्याण विभाग में ३ लाख रुपयों की कमी

(श्री रामचन्द्र)

करने का क्या कारण है, क्या उनको ज्यादा रकम दी थी या ये सुपरफ्ल्युअस हैं, इसलिए कमी कर रहे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सुपरफ्लुअस होने या ज्यादा रकम देने का सवाल नहीं है। इकोनोमी करने का मतलब यह है कि जहां तक बन सके काम भी अच्छी तरह से चलता रहे और इकोनोमी भी कर सकें, वहां कमी की जाय।

श्री रामचन्द्र : अब तक इकोनोमी नहीं बरती जा रही थी क्या जो अब पता लगा है कि इकोनोमी बरतना चाहिए ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह ऐसा सवाल हो जाता है जैसे कपड़े चार भी पहने जा सकते हैं और दो से भी काम चल सकता है। अब सवाल यह आता है सरकार के सामने कि आया दो कपड़े पहनें या चार पहनें। एडमिनिस्ट्रेशन को खराब न करते हुए जिस हद तक खर्च में कमी की जा सकती है, उस हद तक कमी करने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि काम भी अच्छी तरह से चलता रहे और खर्च में भी कमी हो जाय।

डॉ० बहादुरसिंह : इकोनोमिक कमेटी की मीटिंग्ज पर क्या खर्चा हुआ ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: यह अलग सवाल है, इकोनोमिक कमेटी इकोनोमी करने के लिए है, इसलिए इसके खर्चे का क्या सवाल है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या यह माना जाय कि इस साल में ३० लाख रुपए की कमी होगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उम्मेद तो की ही जानी चाहिए। १३.३५ लाख रु० की कमी करने का तो मान ही चुके हैं और ५.१५ लाख का मामला विचाराधीन है और ११.४८ लाख की कमी का मामला कमेटी के विचाराधीन है, वहां से रिपोर्ट आने पर विचार किया जायगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इस साल में अब तो तीन-चार महीने रह गए हैं क्या इन महीनों में ३० लाख रुपयों की इकोनोमी हो जायगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यही आशा करनी चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या सरकार यह नहीं मानती कि अब तक मितव्ययता की नीति पर अमल नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : अब ज्यादा मितव्ययता करेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : इकोनोमी और मितव्ययता में फर्क है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (अश्रव्य)

श्री जनार्दनराय नागर : ३० लाख की कटौती का प्रश्न सामने आया, इससे साफ जाहिर होता है कि मितव्ययता की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ध्यान दिया है।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरा प्रश्न यह है कि अब तक नहीं दिया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अब दिया जा रहा है यह तो फैक्ट है।

श्री जनार्दनराय नागर : इसके लिए क्या धन्यवाद दे सकते हैं, अध्यक्ष महोदय ?

एक माननीय सदस्य : हां, दीजिये ।

श्री पी० के० चौधरी : कमेटी की फाइनल रिपोर्ट कब तक आ जायगी और उसका टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेन टर्म ऑफ रेफरेन्स तो यह है एडमिनिस्ट्रेशन में किस किस जगह किस किस तरह से इकोनोमी की जा सकती है और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से चल सके और किसी तरह की बाधा नहीं उपस्थित हो ।

श्री सम्पतराम : कमेटी के मेम्बर्स कौन कौन हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नाम बतला दिए गए हैं ।

श्री जनार्दनराय नागर : इकोनोमिक कट से मतलब है या इकोनोमी से ? इन दोनों में फर्क है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह फर्क माननीय सदस्य जब तक नहीं बता दें, तब तक मैं नहीं समझ सकूंगा । इकोनोमी से मतलब इकोनोमी करना है ।

श्री जनार्दनराय नागर : अर्थ के आयोजन से ही मितव्ययता नहीं है, इसकी ओर ध्यान देकर उपयुक्त कदम उठाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : माननीम सदस्य जो जानना चाहते हैं उसका मतलब यह है कि कटौती करने से कहीं विकास योजनाओं पर तो असर नहीं पड़ेगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डेवलपमेंट बराबर हो और फिर भी इकोनोमी जहां तक कर सकें उसको ध्यान में रखकर कमेटी ने सिफारिश की है, उस पर विचार किया है ।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या सरकार इन सिफारिशों से संतुष्ट है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : संतुष्ट होने पर ही तो आपसे निवेदन किया था कि १३.३५ लाख की इकोनोमी मंजूर कर ली है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह कमेटी आयन्दा बजट तक जारी रहेगी या पहले ही खत्म हो जायगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जब तक इसका कार्य पूरा न हो जायगा तब तक जारी रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

तहसीलदार, बोंली द्वारा मुकद्दमों का फैसला

५३४. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बोंली (सवाई माधोपुर जिला) तहसील के तहसीलदार ने १ जनवरी, ५७ से लेकर २ मार्च, ५८ तक, कितने मुकद्दमों का फैसला किया है ?

(ख) क्या तहसीलदार, बोंली को १०७ दफा के मुकद्दमे सुनने के अधिकार हैं ?

(ग) यदि हैं, तो उन्होंने दफा १०७ के मुकद्दमों के उपरोक्त अवधि में कितने फैसले किये ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :
(क) २,२८७ मुकद्दमों का फैसला किया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) केवल एक।

श्री भैरोंसिंह : क्या जिन मुकद्दमों के फैसले करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं था, उनका फैसला किये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

श्री सम्पतराम : इर्रेग्युलर कार्यवाही के लिये उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : यह कार्यवाही कब से चालू की गई और किसकी शिकायत पर की गई ?

श्री सम्पतराम : जब इर्रेग्युलेरिटी की जानकारी मिली तभी से जांच चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : किसी ऑफिसर को इस कार्यवाही के लिए नियुक्त किया गया ?

श्री सम्पतराम : कमिश्नर, जयपुर डिविजन।

श्री भैरोंसिंह : कब नियुक्त की गई ?

श्री सम्पतराम : नियुक्ति करने का सवाल नहीं है। गर्वनमेंट के नोटिस में जब इर्रेग्युलेरिटी आती है, उस वक्त ही विभागीय आज्ञा होती है और इन्क्वायरी के लिए लिखा जाता है। मालूम पड़ा है कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी एस० डी० ओ० ने कर ली है और कमिश्नर को कागज सबमिट कर दिये हैं, कमिश्नर अपनी सिफारिश के साथ कागज बोर्ड ऑफ रेवेन्यु को भेजेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जब १०७ दफा के केसेज़ को डिस्पोज ऑफ करने का उनको अधिकार नहीं था, और उन्होंने डिस्पोज़ कर दिया, तो क्या यह स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि उक्त अधिकारी ने अपने अधिकारों के विपरीत कार्यवाही की है और उन्हें उसके लिए दंड दिया जाय ?

श्री सम्पतराम : जब कोई इर्रेग्युलेरिटी होती है तो जाब्ते की बात यह है कि ऑफिसर को नोटिस दिया जाता है और उसके बाद कार्यवाही की जाती है। यह नहीं हो सकता कि किसी ने सूचना दी है, उसको सही मान लें। अगर ऐसा करें तो यह बेजा कार्यवाही होगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि जो कार्यवाही चल रही है तो वह रेग्युलर इन्क्वायरी की सूरत में चल रही है ?

श्री सम्पतराम : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : डिपार्टमेंट द्वारा ऑफिसर के कन्डक्ट के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, वह हो रही है या जांच की कार्यवाही हो रही है ?

श्री सम्पतराम : आपको समझना चाहिए कि जब डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होती है तो सारे स्टेजेज़ पार करने होते हैं। उसके बाद सस्पेन्ड करने की बात होती है तो सस्पेन्ड किया जाता है और यदि डिस्मिस करना होगा तो डिस्मिस किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : अब प्रश्न यह आता है कि सरकार के एक अधिकारी के विरुद्ध स्पष्ट प्रमाण है कि उसने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इसमें प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। रेग्युलर

(श्री भैरोंसिंह)

इन्क्वायरी कन्डक्ट करके चार्ज शीट दी जानी चाहिए थी।

श्री सम्पतराम : मैं जवाब दे चुका हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि जब सरकार की जानकारी में आया कि इस प्रकार की कार्यवाही की है तो उसको लिखा गया कि इन्क्वायरी की जाय, वह इन्क्वायरी कर रहे हैं। इन्क्वायरी होने के बाद चार्ज-शीट देने की पावर अपोइन्टिंग ऑथोरिटी को होती है। कमिश्नर अपनी सिफारिश के साथ कागज बोर्ड ऑफ रेवेन्यु को भेजेगा। उसके बाद अगर प्राइमा-फेसी केस बनता है तो चार्ज-शीट दी जायगी, ऑफिसर का जवाब तलब किया जायगा। उसके बाद जो निश्चित कार्यवाही करनी होगी वह राजस्व मंडल के द्वारा कराई जायगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार की कार्यवाही पर प्राइमा-फेसी केस नहीं बनता है कि जिसके कारण उन्हें मुअत्तिल किया जा सके ?

श्री सम्पतराम : अजीब बात है, अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि इन्क्वायरी चल रही है......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री सम्पतराम : उसके बाद देखा जा सकता है कि प्राइमा-फेसी बनता है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उप-मंत्री जी ने बताया कि इन्क्वायरी के बाद यदि प्राइमा-फेसी केस बनेगा तो कार्यवाही होगी। यानि प्राइमा-फेसी केस बनेगा या नहीं यह सरकार के सामने डाउटफुल प्रश्न है। एक तरफ सरकार कहती है कि इस प्रकार की कार्यवाही ऑफिसर ने की है और दूसरी तरफ कहती है कि इन्क्वायरी के बाद मालूम होगा कि प्राइमा-फेसी केस बनेगा या नहीं, तो कौन सी चीज क्लीअर है ?

श्री अध्यक्ष : The whole thing is that it is not a mere irregularity, it is a serious illegality. The question is that a man having no jurisdiction has exercised it, and if it is done intentionally then it is very serious... मतलब यह है कि समय ज्यादा लग गया है, इसमें जल्दी करनी चाहिए।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : यह तहसीलदार दूसरे मामलात में मुअत्तिल है और इसके विरुद्ध इन्क्वायरी चल रही है। यह नहीं है कि कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : इस मामले को लेकर अभी चार्ज शीट नहीं हुई है। वह मुअत्तिल दूसरे मामलों के कारण होगा। ऐसा भी होता है कि मुअत्तिल और दूसरे डिपार्टमेंट्स में नौकरी कर लेता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह प्रोसीजर की बात है। कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यु को सिफारिश करेगा। एस० डी० एम० ने इन्क्वायरी करके रिपोर्ट दे दी है। इसमें उजरात क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चार्ज शीट देने के पहले इन्क्वायरी होनी चाहिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

पिपाड़ सिटी में नगरपालिका की स्थापना

५३५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.19

(श्री भैरोंसिंह)

(क) क्या यह सही है कि पिपाड़ सिटी की जनसंख्या इसको नगरपालिका घोषित कर सकने के लिये पर्याप्त है ?

(ख) क्या यहां की जनता ने इसको नगरपालिका घोषित करने की सरकार से प्रार्थना की है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि सरकार ने इसको नगरपालिका घोषित करने के बाद इस आज्ञा को रद्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या सरकार इसको नगरपालिका घोषित करने की आज्ञा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां, कस्बा पिपाड़ में नगरपालिका स्थापित करने हेतु आदेश जारी करने के समय उस क्षेत्र में ग्राम पंचायत का निर्वाचन होकर पंचायत ने काम प्रारम्भ कर दिया था इसलिए सरकार ने पिपाड़ नगरपालिका को भंग कर दिया।

(घ) इस प्रकार का कोई आवेदन सरकार के सामने नहीं है। आने पर विचार किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने पिपाड़ को जब नगरपालिका क्षेत्र घोषित किया, उस समय क्या सरकार ने पंचायत डिपार्टमेंट को आदेश नहीं दिया कि इस क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और यहां पंचायत के चुनाव नहीं कराये जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : चुनाव कलेक्टर ने करवा दिये थे। उन्हें इस बात की इत्तला नहीं दी गई थी, सिर्फ गजट में भेज दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि कलेक्टर को इत्तला देने के बावजूद, इस क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने के बावजूद भी उसने वहाँ पंचायत के चुनाव करा दिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उन्हें स्पेसिफिक इत्तला नहीं दी गई थी। केवल गजट में नोटिफिकेशन निकला था।

श्री भैरोंसिंह : क्या कलेक्टर की जानकारी में गजट नोटिफिकेशन नहीं आया कि वे पंचायत के चुनाव नहीं करायें ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): ऐसा था कि पंचायत की मियाद खत्म हो गई थी, वहां पर नगरपालिका बनानी चाही। म्यूनिसिपैलिटी के वहां चुनाव कराये पब्लिक ने एतराज किया कि पंचायत चाहिये इसलिए वहां से म्यूनिसिपैलिटी को हटाना पड़ा।

श्री भैरोंसिंह : जब गजट नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद पंचायत के चुनाव क्यों कराये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसलिये कराये कि बीच में कोई ऑथोरिटी तो चाहिए म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड बना नहीं, चुनाव हुए नहीं, तो पंचायत के चुनाव करा दिये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अफसोस है, माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि नगरपालिका क्षेत्र में कोई ऑथोरिटी नहीं थी,

(श्री भैरोंसिंह)

इसलिए पंचायत के चुनाव हो गये। ऐसा किसी कानून में नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां पंचायत पहले से थी, १९५१ से फंक्शन कर रही है

श्री भैरोंसिंह : पंचायत उस एरिया में फंक्शन नहीं करती है जिस एरिया को नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब तक उस एरिया में म्यूनिसिपैलिटी एस्टेब्लिश न हो जाय, कोई ऑथोरिटी चाहिए थी, इसलिए इलेक्शन कराया।

श्री भैरोंसिंह : जिन लोगों की दर्ख्वास्त के ऊपर पंचायत एरिया को नगरपालिका एरिया घोषित किया गया क्या उन्हीं की दर्ख्वास्त पर उसे पंचायत क्षेत्र घोषित किया गया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां रूरल पॉपुलेशन है, वे पंचायत चाहते हैं। अब यह ट्रेन्ड हो गया है कि वहां पंचायत रखी जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि जो पहले आज्ञा नगरपालिका एरिया घोषित करने के लिए दी गई, वह रूरल एरिया के लिये नहीं है रूरल एरिया में नगरपालिका नहीं होगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात नहीं है सारे एरिया के लिए पंचायत थी और सारे एरिया के लिये म्यूनिसिपैलिटी बनेगी। वहां पर रहने वालों का आफ्टर थोट था कि वे पंचायत चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन लोगों ने एतराज किया नोटिफिकेशन के बाद कि वहां पंचायत बनाई जाय और सरकार ने अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग करके उस आदेश को, नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑब्जेक्शन्स पहले थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे। पार्टीज का झगड़ा तो चलता रहेगा, हमें पब्लिक की कन्वीनियेन्स देखनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह : नोटिफिकेशन के लिए जो ऑब्जेक्शन्स किये, उनको आपने डिस्पोज ऑफ किया उससे पहले आप जानकारी कर लेते कि पब्लिक इस बात के पक्ष में है कि नगरपालिका बनाई जाय या पंचायत बनाई जाय?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन की बात मालूम नहीं थी। पंचायतों को मालूम नहीं हुआ, काश्तकारों को मालूम नहीं हुआ, उनको मालूम पड़ा कि पंचायत टूटने जा रही है तो उन्होंने कहा कि हम पंचायत चाहते हैं।

प्रश्न संख्या ५३६

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण

तहसील बड़ौद की पंचायतों के लगान के रुपये का वितरण

५३७. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) इस वर्ष तहसील बड़ौद, जिला कोटा की ग्राम पंचायतों को लगान का ३) रु०

(श्री रामनारायण)

२ आना प्रतिशत के हिसाब से कितना कितना रुपया कब कब दिया गया ?

(२) यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ?

(३) क्या इस सम्बन्ध की कोई शिकायत वहां के पंचायतों ने की । यदि हां तो शिकायत कब की तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ।

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनम चन्द बिश्नोई) (१) इस वित्तीय वर्ष में कोई रकम नहीं दी गई ।

(२) देने की कार्यवाही जारी है ।

(३) जी नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : नहीं देने के क्या कारण हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि कार्यवाही जारी है । पहले रिकमन्डेशन आती हैं, उसके बाद में वह सेक्रेटेरियट में आती हैं, फिर फाईनेन्स डिपार्टमेंट में केस जाता है । इसमें समय लगता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं दिया, इसके क्या कारण हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वित्तीय वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है पांच महीने बाकी हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा प्रश्न है कि क्या कारण है कि जिनकी वजह से समय पर नहीं दिया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि पहले डिपार्टमेंट को रिकमन्डेशन करनी पड़ती है, उसके बाद सेक्रेटेरियट में आता है, फिर फाइनेन्स में जाता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : बड़ौद को नहीं देने के क्या कारण थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने यह नहीं कहा कि दूसरों को दे दिया गया है । बहुत से केसेज ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं दिया हो गया ।

एक माननीय सदस्य : यह कब तक दे दिया जायगा ?

श्री पूनमचद बिश्नोई : जल्दी देने का प्रयत्न किया जायगा । जाब्ते से कागजों का गुजरना जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : Is it necessary for such cases to come to the Secretariat.

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जी हां ।

प्रश्न संख्या ५३८

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पँवार ।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र ।

भूतपूर्व झालावाड़ रियासत में काश्तकार फंड की जमा धनराशि

५३६. **श्री रामचन्द्र** (डग) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि राजस्थान के निर्माण के पूर्व भूतपूर्व रियासत झालावाड़ के किसानों की एक धनराशि काश्तकार फंड के नाम से जमा थी ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त धनराशि से उन्हें थोड़े ब्याज की दर से सहायता दी जाती थी ?

(श्री रामचन्द्र)

(३) क्या यह भी सत्य है कि यह धन-राशि झालावाड़ रियासत के विलीनी कारण के समय राजस्थान सरकार को सौंप दी गई थी ?

(४) यदि हां, तो यह धनराशि अब कितनी व कहां है और भविष्य में धनराशि का उपयोग सरकार किस ढंग से करने का विचार रखती है ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम, वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में): (१) जी हां।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) इस समय २,६०,०००) की धन राशि उपलब्ध है जिसे सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक झालावाड़ के स्थायी कोष (फिक्स्ड डिपोजिट) में जमा करा दिया गया तथा जिलाधीश को इस राशि को सहकारी बैंक द्वारा कृषकों को ऋण आदि देने के लिए अधिकृत किया जा चुका है।

श्री रामचन्द्र : यह अमाउन्ट कौनसी तारीख को झालावाड़ बैंक को दिया गया ?

श्री सम्पतराम : यह तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री रामचन्द्र : अन्दाज़ से फर्मा दें; साल, दो साल, तीन साल ।

श्री सम्पतराम : अन्दाज़ से क्या, बाद में निश्चित तारीख बता दूंगा, अगर आप पूछेंगे तो।

श्री रामचन्द्र : क्या किसानों से यह रकम बैंक में जमा कराने से पहले सलाह ली गई थी ?

श्री सम्पतराम : कमेटी की सलाह ली गई थी।

श्री रामचन्द्र : क्या मैं यह मान लूं कि आपने कमेटी को कन्सल्ट कर लिया था, इस रुपये को बैंक में जमा कराने के लिये ?

श्री सम्पतराम : जी हां। जिलाधीश ने कमेटी बना रखी थी सलाह के लिये, उसमें यह प्रश्न रखा गया था। उस कमेटी के मेम्बर्स ने कोऑपरेटिव बैंक में जमा कराने की सलाह दी और गवर्नमेंट को स्कीम भेजी गई और मेम्बर्स की सलाह ली गई है।

श्री रामचन्द्र : उस कमेटी में मेम्बर्स कितने हैं और कौन कौन हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : कमेटी के पर्सनल्स का तो मालूम नहीं, पर रुपया बैंक में जमा कराने के लिये उनकी राय ली गई थी और इस शर्त पर यह रुपया बैंक में जमा कराया गया था कि यह रुपया किसानों को कर्ज देने के काम में लिया जायगा।

श्री रामचन्द्र : कमेटी ने फैसला किस तारीख को लिया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो याद नहीं पर गुजिश्ता अधिवेशन में मैंने जवाब दिया था।

श्री रामचन्द्र : यह रकम रियासत के राजस्थान में विलय होने पर राजस्थान सरकार ने ले ली थी, तो कितने अर्से तक यह राजस्थान सरकार के पास रह कर गई, यह मैं सब जानना चाहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्टीग्रेशन हुआ उससे पहले यह रकम वसूल होती थी। इन्टीग्रेशन हुआ, उस समय यह सोचा गया कि इस रकम का क्या उपयोग किया जाय? कमेटी की सलाह से यह तय किया गया कि इस रकम को कोऑपरेटिव बैंक में जमा करा दिया जाय और किसानों को लोन देने के काम में लिया जाय।

श्री रामचन्द्र : यह रकम कितनी थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : दो लाख रुपया था, वह वसूल किया जा चुका था, उसे कोऑपरेटिव बैंक में जमा कराया गया।

श्री रामचन्द्र : उस रकम में से कोई हिस्सा लेना बकाया है या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मुझे मालूम नहीं।

श्री अध्यक्ष : ५४० ....

श्री रामचन्द्र : माननीय अध्यक्ष, मुझे एक इम्पोर्टेन्ट प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष : एक फंड था, उसको कोऑपरेटिव बैंक में ट्रान्सफर कर दिया, यही तो प्रश्न था आपका।

श्री रामचन्द्र : वह पब्लिक फन्ड था, रियासत झालावाड़ राजस्थान में मिली तो सरकार के सुपुर्द वह फंड हुआ, कमेटी के मेम्बर्स के नाम नहीं बताये गये, कितनी रकम सरकार ने ली, कितना ब्याज उसका दिया, इन सब बातों का ठीक तरह से उत्तर नहीं मिला है, इस समय नहीं तो इसकी यह सारी डिटेल्स मुझे लिखित में दे दी जाय, सारी की सारी।

श्री अध्यक्ष : आप लिखित में जो बातें पूछना चाहते हैं मन्त्री महोदय को लिख दीजिये वे उत्तर दे देंगे।

जनाना अस्पताल, जयपुर, में बीमारों के साथ लापरवाही

५४०. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री: (आमेर सु०) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि जनाना अस्पताल, जयपुर में जाने वाले बीमारों के साथ अधिकारियों द्वारा बड़ी लापरवाही बरती जाती है, उन्हें दो-दो तीन-तीन घन्टे खड़े रहना पड़ता है तथा उक्त अस्पताल के अधिकारियों द्वारा कोई परवाह नहीं की जाती? यदि हां, तो क्यों?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : कितने अर्से बाद इन्स्पेक्शन किया गया, आपने जांच-पड़ताल भी की या नहीं? की गई तो कौनसी तारीख को?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दो बार तो मुझे भी जाने का मौका मिला है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : आपने सूचना पहले दी होगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, बिना सूचना के गया।

डॉ० बहादुरसिंह : इस होस्पिटल की विजिटर्स कमेटी है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : होगी, तहकीक नहीं कह सकता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : अगर आप वहां गये थे तो बता सकते हैं कि वहां इन्क्वायरी ऑफिस किधर है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं इलाज कराने तो गया नहीं, देखने गया था ।

डॉ० चन्द्रकला : देखने पर वहां क्या मिला, देखने पर रिज़ल्ट क्या निकला :

श्री पुरुषोत्तमलाल : इन्सपेक्शन करने गये थे या मित्रों से मिलने ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र ।

सुनेल के जागीरदारों को मुआवज़ा

५४१. **श्री रामचन्द्र** (डग सु.) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि सुनेल के जागीरदारों का मुआवजा मध्यभारत सरकार ने निश्चित कर दिया था तथा इस मुआवजे की पहली किश्त जागीरदारों को मिल भी चुकी थी ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सन् १६५६ से सुनेल के राजस्थान में मिल जाने पर वहां के जागीरदारों को सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया है ?

(३) यदि हां, तो क्यों ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं । अलबत्ता अन्तरिम क्षति-पूर्ति धन (इनटरिम कम्पेन्सेशन) की प्रथम अंशिका एवं एडहॉक बेसिस पर द्वितीय अंशिका चुका दी गई ।

(२) जी हां ।

(३) सुनेल टप्पा की चारों जागीरों के दावे झालावाड़ से जागीर कमिश्नर के कार्यालय में आने पर क्षति-पूर्ति धन अस्थायी (प्रोविज़नल) रूप से निश्चित कर दिया गया है । उसका विवरण जागीरदारों के पास भेज दिया गया है । अत: निश्चित तारीख को सुनवाई की जाकर अंतिम निर्णय किया जावेगा ।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय अध्यक्ष, यह अंशिका क्या चीज़ है ? अंशिका जैसा शब्द तो किसी दृष्टि से ठीक मालूम नहीं होता ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आधुनिक हिन्दी में इन्स्टालमेंट का अनुवाद किया गया है ।

श्री जनार्दनराय नागर : गवर्नमेंट ने 'इन्स्टालमेंट' का 'अंशिका' अनुवाद किया है, यह तो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से यह बिल्कुल गलत है ।

श्री रामचन्द्र : यह मुआवजा उन जागीरदारों को कब तक मिल जायगा, क्योंकि वे बार बार पूछते हैं तो उनको क्या जवाब दें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रोविज़नल अवॉर्ड तो उनको दिया जा चुका है ।

श्री रामचन्द्र : राजस्थान सरकार ने दिया या मध्य भारत सरकार ने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान ने भी और मध्य भारत ने भी । उनको दो किश्तें मिली हैं, वह प्रोविज़नल दिया गया है, उनके एतराज़ सुन कर फाइनल डिसाइड कर दिया जायगा ।

एक माननीय सदस्य : मध्य भारत

(एक माननीय सदस्य)

के रिज़ल्यूशन के अनुसार दिया है या राजस्थान के माफ़िक ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मध्य भारत में मध्य भारत का काम था, राजस्थान का नहीं था।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल।

जिला बोर्ड व जल बोर्ड, जयपुर द्वारा रुपया दिया जाना

५४२. **श्री प्रभुदयाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) लालसोट तहसील के किस किस नागरिक को जिला बोर्ड व जल बोर्ड डेवलपमेंट, जयपुर से किस किस सार्वजनिक काम के लिये सन् १९५५-५६ में कितना कितना रुपया किस किस तारीख को दिया गया ?

(२) उक्त रकम लेने के बाद कौन कौन से काम सम्पूर्ण हो गये और कौन कौन सा काम बाकी है ?

(३) क्या यह सच है कि उस समय से तहसीलदार ने जो काम कि पूर्ण नहीं हुआ था, न आज तक पूरा हुआ उसकी तकमील कागजात में दिखा कर अपने दस्तखत कर सरकार को झूठी रिपोर्ट दी ?

(४) क्या सरकार ऐसे तहसीलदार के खिलाफ सख्त कदम उठा कर कानूनी कार्यवाही करेगी ?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कार्य पूरा हो गया है तथा हिसाबात आ गये हैं।

(३) कार्यों के पूर्ण निरीक्षण के पश्चात् ही तहसीलदार अथवा कलेक्टर से प्रमाणपत्र प्राप्त किये गये हैं। इस प्रकार की अनियमिताओं की सूचना सरकार को नहीं मिली।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : १५००) रुपये जो मंडावरी के बताये हैं, उसका हिसाब नहीं बताया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं आपके पूर्व प्रश्न को सुन और समझ नहीं सका।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : रामगढ़ को २०००) रुपये दिये गये थे, वह काम अधूरा पड़ा हुआ है, वह काम कब मुकम्मिल होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : काम की सूची पूरी दे दी गई है, माननीय सदस्य कोई त्रुटि बतायेंगे तो उसको पूरा कर दिया जायगा।

एक माननीय सदस्य : जो रकम ऐसे कामों के लिये दी गई, वह रकम वापिस तो नहीं ली जाती न ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप जल बोर्ड के रुपयों के बाबत फर्मा रहे हैं ? काम नहीं होता है तो रुपया वापिस वसूल कर लिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : नहीं साहब काम हो जाय और किसी व्यक्तिगत झगड़े के

(श्री माननीय सदस्य)

होने पर वह रकम उनसे वापिस मांगी जाती है, और तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात नहीं होनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : अगर शिकायत भेजें तो क्या न्यायपूर्वक फैसला किया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जरूर।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ५४३

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

ग्राम पंचायतों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

५४४. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५७-५८ व १९५८-५९ में अब तक किन किन ग्राम पंचायतों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की गई और उनका क्या नतीजा रहा ?

(२) इनमें से कितने मामले पंचायत विभाग द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को सौंपे गये और उनका क्या नतीजा रहा ?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री : (श्री दौलतराम सारण): (१) और (२) के उत्तर की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

झालावाड़ नगरपालिका को वाटर वर्क्स निर्माण के लिए कर्ज

५४५. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) झालावाड़ नगरपालिका को वाटर वर्क्स निर्माण के लिए कितना रुपया कर्ज दिया गया ?

(२) अब तक इस धन में से कितना खर्च किया जा चुका है तथा क्या इस खर्च की किसी ने जांच की है ? यदि हां, तो क्या यह खर्चा एस्टीमेट के अनुसार किया गया ?

(३) क्या शेष कार्य एस्टीमेट के भीतर ही पूरा हो जावेगा ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) ७,४५,०००) रु०।

(२) ३०-९-५८ तक कुल खर्च ६,७६,८५२ रु० हुए हैं। खर्च एस्टीमेट के अनुसार ही हुआ है।

(३) तखमीना ७,४५,०००) रुपये से बदल कर ८,५८,०००) रुपये कर दिया गया है तथा आशा है कि इसी रिवाइज्ड एस्टीमेट के भीतर कार्य पूरा हो जावेगा।

श्री रामचन्द्र : यह एस्टीमेट बदलने के क्या कारण हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है।

श्री रामचन्द : यह कारण तो नहीं कि जो कूएं खुदवाए गए हैं, वे खराब हो गए हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामचन्द : आपने कहा कि जांच कराई, तो जांच में मालूम नहीं किया कि चार कुओं का काम कराया गया था वे वर्किंग ऑर्डर में हैं कि नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने एस्टीमेट का पूछा है, उसका उत्तर दिया कि साढ़े आठ लाख में पूरा हो जायगा।

श्री रामचन्द : मैंने साफ पूछा है कि "तथा क्या इस खर्च की किसी ने जाँच की है ?" आपने "हाँ" में जवाब दिया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, जांच ऑडिटर द्वारा होती है।

श्री रामचन्द : हर साल जांच होती है या कभी कभी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) **:** नियमानुसार होती है।

श्री रामचन्द : तो भी, हर छठे महीने होती है या साल में एक बार होती है या दो साल में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लोकल फंड ऑडिट के रूल्स हैं, उनके अनुसार जांच होती हैं, पार्टी जांच करती है। विशेष शिकायत यदि माननीय सदस्य बतायें तो जांच की जा सकती है।

श्री रामचन्द : इस वक्त जांच हुई है कि नहीं ? मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि साढ़े आठ लाख का एस्टीमेट है पर साढ़े आठ लाख में पूरा नहीं होगा, अभी काम बहुत बाकी है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह तो आपको बताया गया न, कि ६,७६.८५२) रुपया खर्च हुआ है और साढ़े आठ लाख और खर्च होंगे। खर्च के बारे में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए बताएं तो जांच की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज।

राजस्व कर की पंचायतों द्वारा वसूली

५४६. **श्री पृथ्वीराज** (श्री गंगानगर) **:** क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार राजस्व कर पंचायतों द्वारा वसूल कराने का इरादा रखती है ? अगर हां तो कब तक यह कार्य पंचायतों को सुपुर्द किया जायगा ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) **:** जी, हां, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

डॉक्टरों की स्थायी नियुक्ति

५४७. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) **:** क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राज्य में ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो एक साल से ज्यादा अर्से से काम कर रहे हैं और उनकी स्थायी नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है ? उनको स्थायी न करने का क्या कारण है ?

Page No.28

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

(२) क्या यह सही है कि ऐसे अस्थायी नियुक्ति वाले डॉक्टरों की समयावधि बीत जाने पर भी उनकी समयावृद्धि की स्वीकृति काफी अर्से बाद होती है, जिससे उनको वेतन समय पर नहीं मिलता ?

(३) अगर हां, तो क्या अब सरकार आगे समयावृद्धि बीतने से पहले समयावृद्धि किए जाने के आदेश जारी करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) पांच। यह अभी जन सेवा आयोग द्वारा नहीं चुने गए हैं, इसलिए इनको स्थायी नहीं किया गया है ।

(२) जी हां, कभी कभी ऐसा होता है ।

(३) आगे इसका ध्यान रखा जायगा ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इन पांच को कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इनमें से तीन पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा नहीं चुने गये और दो एपियर ही नहीं हुए ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इनके कागजात पब्लिक सर्विस कमशिन में कब गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पब्लिक सर्विस कमिशन दरख्वास्तें मांगता है, तीन को तो चुना नहीं, वापिस जाने को कहा है। दो गए नहीं, दुबारा मौका आयेगा तब दरख्वास्त देंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

अशासकीय कार्य

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय अध्यक्ष, पहले के कुछ प्रश्न रह गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो गया है ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, पहला प्रश्न बहुत जरूरी है जो रह गया है। यह बड़ा आवश्यक प्रश्न है, कम से कम उसे तो ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

सेन्ट जेवियर स्कूल से हरिजन को हटाया जाना

५०६. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) श्री जमनाप्रसाद हरिजन को किन कारणों से, कब, सेन्ट जेवियर हाई स्कूल से हटाया गया था ?

(२) क्या श्रम विभाग के द्वारा इस विषय में कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(३) क्या श्री जमनाप्रसाद को हटाने से पूर्व उन्हें उनके अपराध के विषय में कोई अपराधपत्र (चार्ज-शीट) दिया गया था ?

(४) श्री जमनाप्रसाद ने सर्वप्रथम श्रम विभाग को इस विषय की कब शिकायत की थी ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) श्री जमनाप्रसाद हरिजन को सेन्ट जेवियर स्कूल द्वारा ता० १ मई, १६५६ में हटाया गया। हटाने के लिए स्कूल के अध्यक्ष द्वारा निम्न कारण बताये गये :

१. कई शिक्षकों के प्रति अभद्र व्यवहार व आज्ञा का उल्लंघन करना ।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

२. आलस्यपूर्ण व्यवहार व कार्य न करना।

३. जिस कक्षा में कार्य करता था, उसमें कई सेन्ट जेवियर वस्तुओं का गायब हो जाना।

(३) श्रम अधिकारी, जयपुर ने प्रार्थी के पत्र आने पर सेंटजेवियर स्कूल के अध्यक्ष को समझौते के लिये ता० १६ जौलाई, १९५६ को कार्यालय में उपस्थित होने को लिखा, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। पुनः १३ अगस्त, १९५६ को समझौते के लिये उपस्थित होने के लिये लिखा। उनकी तरफ से किसी के न आने पर। पुनः तारीख २८–८–५६ निश्चित की गई। परन्तु इस तारीख पर कोई न आया। अध्यक्ष सेंट जेवियर स्कूल के पत्र ता० २३-५-५६ से ज्ञात होता है कि कोई वैधानिक अपराधपत्र भी श्री जमना प्रसाद को नहीं दिया गया।

(४) श्री जमनाप्रसाद ने सर्वप्रथम श्रम आयुक्त के सम्मुख ११-५-५६ को अपनी शिकायत पेश की थी।

श्री दयाकृष्ण विजय : बिना चार्ज शीट के डिस्मिस करने का क्या कारण था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आज्ञा का उल्लंघन करना आदि।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने कहा कि चार्ज-शीट नहीं दी गई तो इस प्रकार उसको चार्ज शीट क्यों नहीं दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चार्ज-शीट नहीं दी गई। यह मामला इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल में है। इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इसका फैसला करेगी।

श्री अध्यक्ष : जब मामला इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के विचाराधीन है तो मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न पर ज्यादा बहस होनी उचित नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डूंगरपुर इत्यादि में समाज कल्याण विभाग द्वारा किये गये कार्य

१. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) : क्या मंत्री समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

डूंगरपुर, उदयपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में समाज कल्याण बोर्ड तथा समाज कल्याण विभाग की तरफ से क्या २ कार्य कब से व कहाँ कहाँ चल रहे हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : समाज कल्याण बोर्ड की ओर से केवल उदयपुर जिले में मावली व राजसमन्द दो योजनायें चल रही हैं। इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत नियमानुसार समाज कल्याण केन्द्र ग्रामीण महिलाओं व बालकों के लाभ के लिये चल रहे हैं। मावली योजना के केन्द्र, सन् १९५५ में व राजसमन्द के सन् १९५६ में खोले गये हैं। मावली में यह केन्द्र मावली, डबोक, बासा, सालेरा, और बिजनवास में और राजसमन्द ब्लॉक में सनवाड़, केलवा, मोही, बुकारिया और धोइन्दा ग्राम में चल रहे हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से जिस समय से जिन जिन स्थानों पर जो कार्य चल रहे हैं उनकी तालिकायें संलग्न हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अभावग्रस्त क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता

२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भारत सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों की सहायता आदि के लिये कितनी रकम सन् १९५४-५५-५६-५७ में राजस्थान को दी है तथा सरकार ने भारत सरकार से इन क्षेत्रों के लिये कितनी रकम की मांग की थी ?

(२) उपरोक्त रकम को खर्च करने की क्या योजना थी और किस तरह, डिविजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील व ग्राम वाइज बांटी गई ?

(३) क्या रकम बांटने के बाद सरकार उसकी जांच कराती है कि रकम बांट दी गई ? अगर हां, तो किसके द्वारा ?

(४) क्या जिलेवार या तहसीलवार कोई उपरोक्त विषय की कमेटी बनाई गयी है ? यदि हां तो उसमें कितने सदस्य हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :
(१) भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को

सन् १९५४, सन् १९५५, सन् १९५६ —१८,५०,०००) रु०
सन् १९५७—१७,२०,०००) रु०

कुल ३५,७०,०००) रु०

अभाव ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिए दिये हैं।

राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष सन् ५४-५५, ५५-५६, ५६-५७ के सहायता कार्यों पर किये गये खर्च पर निम्न रकम भारत सरकार से मांगी थी :

सन्	ग्रान्ट इन ऐड	ऋण
१९५४-५५	१,४७,५००) रु०	३,७५,०००) रु०
१९५५-५६	१,२१,१००) रु०	५,५०,०००) रु०
१९५६-५७	३,०५,३९२) रु०	१६,०५०) रु०

(२) भारत सरकार से जो रकम मांगी जाती है वह वास्तविक खर्च की गई रकम पर उनके द्वारा प्रस्तावित नियमानुसार मांगी जाती है, और वह रकम नियमानुसार अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में व्यय की जाती है। जो रकम भारत सरकार से प्राप्त होती है वह राज्य के फेमिन रिलीफ कोष में सालाना जमा होती रहती है। अत: प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता ही नहीं रहती।

(३) यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

(४) यह भी प्रश्न नहीं उठता है।

भीनमाल में भूमि वितरण समितियां

३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जालौर के सब डिवीजन भीनमाल में भूमि-वितरण की कमेटियां कब कब बुलाई गई ?

(ख) उक्त सब डिवीजन के प्रत्येक तहसील में कुल कितनी दर्ख्वास्तें भूमि मिलने हेतु प्राप्त हुई तथा कब कब उन्हें कार्यवाही के लिये पेश किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(ग) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त सब डिविजन में इस वर्ष वर्षा होने के पहले किसी भी काश्तकार को भूमि काश्त करने की इज़ाजत नहीं दी गई ? सांचोर तहसील में कुल कितनी दर्ख्वास्तें भूमि वितरण की पेन्डिग हैं और कितनी दर्ख्वास्तें कौन कौन सी तारीखों में स्वीकृत हुईं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(घ) इस तहसील में इस वर्ष सर्व प्रथम वर्षा कौन सी तारीख को हुई हैं ?

राजस्व मंत्री : (श्री दामोदरलाल व्यास) (क) सन् १९५८ में जून की १६ तारीख को, जुलाई को ३, ४, ७, १८, व १९ तारीख को।

अगस्त में २१, २२, व २३ तारीख को।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जी नहीं, सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(घ) ३ जनवरी, सन् १९५८ को।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

बाढ़ से रूपवास, बयाना भरतपुर को क्षति

४. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Revenue Minister be pleased to state:

1. How many villages of Rupbas, Bayana and Bharatpur Tehsils of District Bharatpur were affected by recent floods in the District ? Please give the number of people, area in acres and damage to crops separately for each tehsil.

2. What relief measures were undertaken by the Government to provide immediate relief and also future relief in the form of revenue remission or suspension, rehabilitation, food foder, and seed, individually and collectively ? Please supply the information separately village-wise in each tehsil.

3. Is the Government drawing up any scheme for rehabilitating the villages of Bayana and Rupbas tehsils at some higher and different place, which are annually flooded and are on the changed course of the rivers ? Will the scheme be implemented within this year ? How many villages are covered by this scheme ?

(श्री राजस्व मन्त्री के उत्तर के लिये कृपया) परिशिष्ट ७ देखिये)

भजना की गढ़ी (भरतपुर) में कृषि हेतु नियत की गई भूमि

५. **श्री श्रीभानसिह** (बयाना):will the Revenue Minister please state:-

1. Is it a fact that the Tehsildar Bharatpur allotted land for cultivation at Bhajna ki Ghari in Bharatpur Tehsil ? If so, when was this land allotted and to whom ? Please give their names and area in acreage against each name ? How many of them are landless ?

2. What was the total number of applications received and how many of them were rejected and on what grounds ?

राजस्व मन्त्री : (श्री दामोदरलाल व्यास) : 1. The land was allotted by the Government to 4 peresons and by the Commissioner Khudkast to one person given in the statement placed at the table of House. Four out of them are landless.

2. They are under consideration.

गैर खातेदारी पड़तल भूमि का भूमिहीनों में वितरण

६. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची-सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने गैरखातेदारी पड़तल भूमि भूमिहीनों को राजस्थान लैंड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत वितरण करने के आदेश कमिश्नरों व कलेक्टरों को दिये हैं ? यदि हां तो उक्त कार्य किस माह तक समाप्त कर दिया जावेगा ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस पड़तल भूमि को वितरण करने के लिये सरकार ने एक कमेटी की नियुक्ति का प्रावधान रखा है ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन कौन हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि गवर्नमेंट के आदेशनुसार भूमि वितरण के प्रयोजनार्थ ज़िला कलेक्टरों से पड़तल गैरआपी की जमीन के आंकड़े लिये गये थे ? यदि हां, तो जोधपुर डिविजन के जिलावाइज़ व तहसील वाइज, खसरावाइज़ भूमि के एकड़ बीघों के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने कृपा करें।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां। आंवटन कार्य प्रगति पर हैं।

(२) जी हां। भूमि आंवटन कमेटी के सदस्य निम्नलिखित हैं :

१. तहसीलदार।

२. सरपंच तहसील पंचायत।

३. सरपंच ग्राम पंचायत जिसके हलके में भूमि उपलब्ध है।

४. सदस्य, विधान सभा।

५. सामाजिक कार्यकर्ता।

६. यदि ब्लॉक डेवलपमेन्ट में भूमि आती है तो ब्लॉक डेवलपमेन्ट ऑफिसर।

(३) जी हां। ऐसी इत्तला या सूची तैयार करने में बहुत समय चाहिये। इसलिये इस प्रश्न को नामजूंर किया जाना चाहिये।

अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को भूमि सुविधा

७. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के भूमिहीनों के लिये गांव की कुल पड़ताल (गैरआपी) भूमि में बांटने की विशेष सुविधा दी गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(ख) क्या यह भी सही है कि सरकार के आदेशानुसार राजस्थान में भूमि-वितरण हो चुकी है ? यदि हां, तो पाली जिले के तहसीलवाइज़ और पटवार हलकावाइज़ गावों में किन किन व्यक्तियों को और कितनी कितनी भूमि प्राप्त हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या यह भी सही है कि तारीख १८-८-५८ को देसुरी तहसीलदार ने भूमि

(श्री मनरूपराम परिहार)

वितरण के लिये तहसील सरपंचों व हलका पटवारियों को बुलाया था ? यदि हां, तो उसमें कौन २ से सरपंच हलका पटवारी के नहीं आने से कौन २-से गांवों का कार्य रह गया, और किन किन गांवों के किन किन व्यक्तियों को भूमि प्राप्ति हुई तथा कुल कितनी बीघा जमीन दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां। भूमि राजस्व अधिनियम सन् १९५७, खण्ड ६ (४) के अनुसार २५ प्रतिशत पड़त भूमि शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स व बैकवर्ड क्लॉसेज़ के लिये सुरक्षित हैं।

इसके अलावा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, १९५५ की धारा ३१ के अन्तर्गत अध्याय ३ में बने नियमों के अनुसार गांव में मुख्य भूमि देने का भी उल्लेख है।

राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, १९५४ के नियम ३७ का १९ के अनुसार पंचायत यदि उचित समझे तो आबादी भूमि बिना नजराना के प्रदान कर सकती है अथवा ऐसी भूमि बिना नीलाम किये बेच सकती है।

(२) इसमें समय की बहुत आवश्यकता है और इतने लाभ की भी संभावना नहीं है, अतः इसे नामंजूर किया जाय।

(३) जी हां। कमेटी द्वारा १२ पंचायत व २१ पटवार मंडल २६७ लोगों को ४०१५ बीघा भूमि दी गई। सूची तैयार हो रही है। सरपंच सिमाड़ा, बनदार सादड़ी के सरपंच उपस्थित थे। पटवारी भी बहुत से उपस्थित थे, लेकिन कुछ पटवारी बीमारी के कारण अथवा अकस्मात् अवकाश पर होने से उपस्थित न हो सके। विशेष यह है कि प्रश्न कर्ता श्री मनरूपराम परिहार कमेटी की बैठक में उपस्थित थे और स्वीकृत एवं अस्वीकृत प्रार्थनापत्रों पर उनके हस्ताक्षर हैं स्पष्टतः कि वे सब जानते हैं।

१२. ५ म०प०

अशासकीय कार्य

राजस्थान दहेज नियन्त्रण विधेयक, १९५८

(प्रवर समिति को)

श्री अध्यक्ष : आज का दिन आशासकीय कार्य के लिये रखा गया है। राजस्थान दहेज नियंत्रण विधेयक, १९५८ को श्री मनोहर कोठारी ने प्रस्तुत किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने इसके सम्बन्ध में विरोध किया है कि इसमें राज्यपाल महोदय की सिफारिश होना आवश्यक है, अतः इस मामले को राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्होंने यह सिफारिश भेजी है :

"In pursuance to clause 3 of Article 207 of the Constitution of India, I recommend the Rajasthan Dowry Restraint Bill, 1958, to be considered in the Rajasthan Legislative Assembly.

Gurmukh Nihal Singh.
9-11-58

Governor of Rajasthan."

यह प्रस्ताव सदन के समक्ष है उसको विचारार्थ लिये जाने के विषय में वाद-विवाद होगा।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

इस प्रस्ताव पर कुछ संशोधन आये हैं।

(विराम)

(श्री तनसिंह)

श्री **तनसिंह** (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है इस विषय में मेरा संशोधन है कि यह जनमत प्राप्त करने के लिये १५ मई, १९५९ तक प्रसारित किया जावे। जो विधेयक आज हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, वास्तव में देखा जावे तो वह केवल यहां प्रस्तुत होने के लिये ही प्रसारित हुआ है। इसमें एक प्रकार का आॅर्गुमेंट रखा है और हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है, मगर यह नहीं बताया गया कि यह कानून किसी प्रकार से कामयाब हो सकेगा या नहीं? लेकिन इसकी उपयोगिता या इसके द्वारा जो काम होने वाला है, उसके मेरिट्स पर जाने से पूर्व मैं इस विषय में एक महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक कानून है जिसको हमारा सदन बनाना चाहता है। इस प्रकार की प्रथा हमारे लिये अपवाद है। वह टीका और दहेज की प्रथा बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी यदि हम सामाजिक सुधार के लिये प्रयत्न करें और सदस्यों की हैसियत से हम विधान सभा में उससे पहले ही इस पर विचार करना शुरू कर दें और कानून का सहारा लेकर इसको करेंगे तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे समय का दुरुपयोग ही होगा। हमें समाज की विचारधारा को बदलना होगा और कानून के जरिये हम विचारधारा को बदलने में सफल नहीं होंगे। हमें समाज में सुधार के लिये प्रचार करना होगा और समाज का मार्ग दर्शन करना होगा। मगर मैं यह कहूंगा कि कानून से हम समाज को मार्ग दर्शन नहीं करा सकेंगे। कानून तो केवल किसी के मार्ग में रुकावट पैदा कर सकता है। इसलिये टीका और डॉवरी में रुकावट पैदा करना है और कानून से जनतंत्र तैयार नहीं किया जा सकता।

ऐसी अवस्था में जो प्रस्तावक महोदय हैं उनको यह चाहिये था कि वे हम लोगों में और समाज में इस प्रकार की मनोवृत्ति तैयार करते जिससे कि बजाय किसी चीज़ में कोई अड़चन पैदा करें उस चीज़ को रोका जाय और स्वत: ही इस प्रकार की भावना हम लोगों में और समाज में पैदा हो तो वस्तुत: वह चीज़ ठीक होती। अध्यक्ष महोदय, हम किसी विचारधारा को रोकने का प्रयास करते हैं तो कानून द्वारा उसको रोकने का कोई उपयुक्त रास्ता नहीं है। इस चीज़ को रोकने और उसको दंडनीय बनाने से वास्तविक रूप में समाज में वह मनोवृत्ति पैदा नहीं होती जैसी उसके लिए होनी चाहिये। कानून लाने से पूर्व समाज में इस प्रकार की मनोवृत्ति पैदा करनी चाहिये, उसका प्रचार करना चाहिये और समाज को उसके लिए शिक्षित करना चाहिये तथा इसके लिए कोई व्यावहारिक कदम उठाना चाहिये। अच्छा है, इस कानून से हमको समाज में जागृति लानी है, यदि इस दृष्टि-कोण से इसको पास करना है तो वह ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे तो और उल्टा समाज पर बुरा असर पड़ेगा, इससे भ्रष्टाचार फैलेगा और इसके कुपरिणाम होंगे। जिस दृष्टिकोण से यह बिल रखा जाना चाहिये था उस दृष्टिकोण की पूर्ति इस बिल द्वारा नहीं होती है। इसीलिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र जिन्होंने इस बिल को रखा है वे यह कहेंगे कि पिछली असेम्बली में भी ऐसा बिल रखा गया था और उसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया गया

(श्री तनसिंह)

था। इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि चाहे भले ही इसको जनमत के लिए प्रसारित किया गया हो, किन्तु उस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आयी है। उसको यह सिलेक्ट कमेटी कंसीडर नहीं कर सकती जब तक कि जनमत की राय इस विधान सभा द्वारा न प्राप्त करली गई हो। यदि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज कर वही राय जो लोगों ने इस विषय में पिछली असेम्बली में भेजी थी उसको कन्सीडर किया जाय तो मेरा निवेदन है कि उस स्थिति को डेढ़-दो साल हो गये हैं उस वक्त की विचारधारा में और आज की विचारधारा में काफी परिवर्तन हो गया है और हम लोगों को कई इस प्रकार के अनुभव भी हुए होंगे इसलिए इस पर जनमत की राय जानने की आवश्यकता है।

मैं इस बिल के ड्रॉ बेक्स पर भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और जिससे मेरी दलील जनमत जानने के लिए और भी पुष्ट होती है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में एक बात बतायी गई है और इस कानून के बनाने में माननीय सदस्य महोदय को एक बात ज्यादा ध्यान में आयी है और वह यह है :

"......The compulsory nature of the gifts of dowry as a condition precedent to the contract, agreement or promise of performance of marriage enjoined on the father of the family of the girl by the prevailing custom has in countless instances brought about the economic ruin of that family from which it ordinarily takes long long years to retrieve..."

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम डॉवरी प्रथा को, दहेज प्रथा को, टीके की प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि इससे मिली-जुली विवाह के सम्बन्ध में और भी प्रथा है जिस ओर माननीय सदस्य का ध्यान नहीं गया है। वह प्रथा यह है कि ऐसे लोग हमारे इस राजस्थान में हैं कि एक ओर लड़कों का तो पैसा लेते ही हैं दूसरी ओर लड़कियों का भी पैसा लेते है। जहां सदस्य महोदय के ध्यान में एकपक्षीय दृष्टिकोण है वहां दूसरा दृष्टिकोण भी आना आवश्यक है और मैं समझता हूं कि जो बातें इस दृष्टिकोण से रखी गई हैं तो दूसरे दृष्टिकोण के लिए भी उसमें प्रावधान होना आवश्यक है और वह दृष्टिकोण है जो लोग लड़कियों का पैसा लेते हैं। मैं समझता हूँ कि यदि लड़कों का पैसा लेना अच्छा नहीं है तो लड़कियों का पैसा लेना भी बुरा है और वह भी समाज की एक कुप्रथा है।

अब मैं अध्यक्ष महोदय आपका इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इस कानून का किस प्रकार इफेक्ट होगा? पहली बात यह बतायी गई है कि दहेज उसको माना जावेगा कि विवाह के पहले या विवाह के वक्त में देने का प्रोमिस किया गया हो। उसमें भी ५००) की छूट रखी गई है। ५०१) से ऊपर जो रकम होगी वह डॉवरी कानून के अन्तर्गत जुर्म माना जावेगा। मैं मानता हूँ कि जिस चीज़ को गलत समझा है तो वह गलत है चाहे १) हो चाहे सौ रुपया हो। जो १) के लिए गलती है वह सौ रुपये के लिए भी है। इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए मार्जिन देना पड़ेगा और हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि इसका निर्णय करना जनमत का काम है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं लेकिन ५००) कम है या अधिक हैं उसका उन्हीं लोगों को निर्णय करने

(श्री तनसिंह)

का हक है जो कि इससे प्रभावित होते हैं। जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनके लिए ५००) की रकम भी बड़ी चीज है। जब एक कानून पास होता है तो उसकी कई प्रतिक्रियायें भी होंगी। ५००) से ऊपर की रकम लेना इस कानून के अन्तर्गत सजा माना गया है। उसके पश्चात् हमने इस बिल को नॉन कोग्नीजेबल बनाया है। इस कानून के अन्तर्गत जितने अपराधी हैं वे नॉनकोग्नीजेबल है। उसमें पुलिस दस्तन्दाजी नहीं करेगी। उसके साथ साथ यह लिया है जो अबेटर है वह दंडनीय है। दहेज देने वाला और लेने वाला दोनों दंडनीय हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति दहेज देगा और जो व्यक्ति दहेज लेगा दोनों इस कानून के अन्तर्गत अपराधी हैं और दोनों को सजा मिल सकती है, तो यह निश्चित समझिये कि दहेज देने वाला और दहेज लेने वाला दोनों आकर शिकायत करने वाले नहीं हैं। तब शिकायत करने वाले कौन होंगे? वे ही लोग होंगे जिनका और कोई धन्धा नहीं हैं, जिनका काम ब्लेक मेलिंग करना है, अन्-नेसेसरी शिकायतें करना है। इस तरह से उन्हीं लोगों के हाथ में हम इस प्रकार की छूट दे रहे हैं जिनके पास और कोई धन्धा नहीं है, जो समाज सुधारक बनने का दावा करते हैं, जो लोगों में जनमत तो तैयार नहीं कर सकते वे लोग कानून का सहारा लेकर लोगों को दंड देना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ ७ वें क्लॉज़ में हम देखते हैं कि सरकार रूल्स बना कर उन लोगों को रिवार्ड्स देगी, पारितोषिक देगी जिन्होंने इस प्रकार से सरकार के समक्ष शिकायतें की हैं। इस तरह की शिकायतें करना जिनका काम-धन्धा है यदि उनको पारितोषिक देने के लिए प्रावधान किया जाय और यदि कन्वि-केशन होता है तो यह उपयुक्त तरीका नहीं है। इससे तो बहुत से लोगों को एक प्रकार से स्वाद आजावेगा। लोग रिवार्ड्स के लाभ से बिना सोचे समझे मुकद्दमा करेंगे, फिर आपस में हाथ मिला कर उनको समाप्त करेंगे। इस प्रकार से एक जबरदस्त ब्लेक मेलिंग होगा और न्याय व्यवस्था में फर्क पड़े बिना न रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसमें लिमिटेशन एक साल का रखा है। साल भर में ओफेन्स होता है तो कॉग्नीजेन्स ले सकते हैं। डेढ़ साल पहले टीके की रकम अदा कर दी, साल भर तक मियाद रहती है, साल भर शादी नहीं करते हैं, शादी को आगे बढ़ा दी और डेढ़ साल बाद करते हैं तो मैं नहीं समझा कि वह मनुष्य कैसे पनिशेबल है। रकम देने के समय से ही यदि मियाद शुरू होती है तो कैसे सजा मिल सकती है? इसके बाद कोई यह नहीं कह सकता कि दोनों फेमिलीज में रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है उन दोनों का विवाह भी अस्वीकृत हो जाय जो लोग शिकायत करने वाले हैं उनको इस प्रकार की शिकायत का मौका मिलेगा और इसका फायदा उठाकर इसका दुरुपयोग करेंगे।

इसके अलावा जो सजा इस कानून में हमने रखी हैं उसके अनुसार अबेटर को भी उतनी ही सजा मिलेगी। यहां पर अबेटर के लिए क्लॉज चार हैं जिसमें है कि "Who abates the taking or giving of dowry

इसके लिये एक महीने की सजा मुकर्रर की गई है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति दहेज देता है उसके लिये भी एक महीने की सजा बताई गई है। क्लॉज तीन में जो दहेज

(श्री तनसिंह)

लेता है उसको छः महीने की सजा और दो हजार रुपया जुर्माना देना बताया गया है। इसके अन्दर अबेटर, who abates to take dowry; इसको भी एक महीने की और taking के लिये छः महीने की सजा बतायी गई है। यह सामान्यतः न्याय के विरुद्ध है। दोनों को सज़ा बराबर की होनी चाहिये। इस तरह से इस पूरे बिल के अन्दर ऐसा कोई क्लॉज अछूता नहीं जिस पर कि गम्भीर मतभेद नहीं हो सकता।

इसके अलावा यह किन किन लोगों पर लागू होगा उसके लिये माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया है कि इसे हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिक्खों पर लागू किया जाय। उसके बाद राज्य सरकार पर यह छोड़ दिया है कि वह अन्य जातियां पर भी लागू करना चाहे तो कर सकती है। मैं समझ नहीं पाया कि जिन जातियों के लिये रखा गया है उन जातियों पर तो लागू हो, चाहे इस प्रकार की प्रथा हो या न हो। लेकिन अन्य जातियां में हो सकता है कि इस प्रकार की प्रथा अभी न हो, किन्तु आगे जाकर वह डेवलप भी हो सकती है।

इसके सिवाय जहां तक इस प्रकार की प्रथा का सवाल है तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि एक जगह तो हम इस प्रकार की प्रथा को मिटाना चाहते हैं दूसरी जगह भी इसको क्यों न मिटावें ? चार प्रकार की जातियों का समावेश इसमें किया है उसके अलावा मुसलमान और ईसाई लोगों पर यह कानून लागू नहीं करना चाहते। उसके लिए अधिकार सरकार के हाथ में देते हैं। मैं यह समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य क्या मुसलमान और ईसाई का जो वर्ग हिन्दुस्तान में रहता है उनको यहां का निवासी वे नहीं मानते हैं ? क्या इसीलिये तो वे इनको इसमें शामिल नहीं करते ? और इसके लिये सरकार को अधिकार देते हैं कि वे उन जातियों पर भी इस प्रकार का प्रावधान लागू करें जब वे भारत के नागरिक है तो उन पर भी यह कानून लागू करने में क्यों हिचक है ? इन सब दृष्टिकोणों से देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसमें ऐसी २ धारायें हैं जिन पर गंभीर मतभेद उत्पन्न हो सकता है

इसके सिवाय बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग विवाह को एक धार्मिक संस्कार मानते हैं। इस प्रकार के संस्कार में कन्यादान के साथ साथ टीके देने की भी प्रथा है। कई जगह लोग टीके को अच्छा नहीं मानते। इसमें एक महत्वपूर्ण बात रह गई लड़कियां के लिये पैसा लेना। वह भी उतना ही बुरा है। एक ओर लड़की बेची जाती है। दूसरी ओर लड़कों को बेचा जाता है। इन सब बातों के लिये मानना पड़ेगा कि ये समाज की बुराइयां हैं। लेकिन जहां हम कानून के द्वारा ये बुराइयां मिटाना चाहते हैं वहां हम लोगों में इस प्रकार की विचार धाराओं का निर्माण करना चाहिये ताकि वे न तो दहेज दें और न लें। अगर कानून के जरिये धार्मिक संस्कारों पर और सांस्कृतिक विषयों पर कटौती करते जायेंगे तो वैसे तो यह कानून हैं ही लेकिन इस प्रकार के कानून को अमल करवाने में काफी बाधायें आयेंगी इसके अलावा जब हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं वैसी हालत में यहां के सांस्कृतिक विचारों को धार्मिक संस्कारों को मान्यता देनी पड़ेगी जहां हम जनतन्त्र पद्धति को मानने वाले हैं वैसी हालत में हमारे लिये यह आवश्यक है कि यहां की सामाजिक मान्यताओं को पूर्ण

(श्री तनसिंह)

रूप से मानें। अगर हम ऐसे कामों में सुधार चाहते हैं तो उसके लिये विधान सभा उपयुक्त स्थान नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको आज राज्य सत्ता मिल गई, वे समाज में काम करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि विधान सभा की कुर्सियों पर बैठकर कानून के जरिये इस प्रकार के सामाजिक सुधार हों अगर वे वास्तविक रूप से समाज में सुधार का काम करना चाहते हैं तो वे समाज में काम करें। यह बात सबके लिये समान रूप से है चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले। इन चीजों के लिये विधान सभा उपयुक्त क्षेत्र नहीं है। इसलिये मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस बिल को जन मत जानने के लिये प्रसारित किया जाय ताकि सारे राजस्थान के लोगों की और भिन्न भिन्न जातियों की क्या राय है इस सम्बन्ध में वह मालूम हो जाय और तब सबको इकठ्ठा करके इस महत्वपूर्ण कानून को हमें पास करना चाहिये। जल्दी में यह मानकर कि यह बुरी प्रथा है हम इस कानून को पास कर देते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, इसकी बहुत प्रतिक्रियायें हो सकती है। जहां हम समाज में सुधार करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहते हैं वहां इस तरह से जल्दी में कानून पास करके हम उसमें रुकावटें ही पैदा करेंगे, जो स्मूथ ढंग से समाज का वातावरण चल रहा है उसमें गलत ढंग से सुधार करने का यह हमारा प्रयास होगा। इसके लिये हमारी यह विधान सभा उपयुक्त स्थान नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय और वह तारीख १५ मई १६५६ तक हो।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दहेज (नियन्त्रण) विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

माननीय अध्यक्ष, यह विधेयक, जो माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है। खास तौर से हमारी महिला समाज के लिये जिसकी उपेक्षा आज दहेज का कारण बन गई है उसको संरक्षण देने के लिये है। आज विवाह जैसे पवित्र संस्कार में इस प्रकार दहेज लेकर जो लोग कुत्सित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं उससे कई प्रकार की हानियां आज समाज को हो रही हैं। यह भी देखा गया है कि बड़े बड़े परिवारों की योग्य योग्य कन्यायें बिना दहेज के विवाह बिना रह जाती हैं। यहां तक भी देखा गया है कि दहेज न देने की हालत में कई कन्याओं ने अपनी आत्महत्या तक कर डाली है। इस प्रकार के कानून के लिये हमारे एक माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

इसी प्रकार का एक बिल पिछली विधान सभा में भी आया था उसको भी जनमत जानने के लिये भेजा गया था। यह हो सकता है इस बिल में कुछ खामियां हों, उनमें संशोधन हो सकते हैं और वह प्रवर समिति द्वारा ठीक प्रकार से हो सकते हैं, इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि जो कुछ खामियां हों वे दूर की जा सकें।

इसके अलावा एक बात यह भी कही गई थी कि विधान सभा में इस प्रकार के बिल को न लाकर जनमत तैयार किया जाय। उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि जनमत इस बात की इच्छा करता है और बहुत से

(डॉ० बहादुरसिंह)

लोग जो मिलते हैं वे कहा करते हैं और इस प्रकार की मांग करते हैं कि इस प्रकार का अगर कानून हो तो उसकी आड़ लेकर हम दहेज देने से बच सकते हैं, जब कोई दहेज मांगेगा तो कह देंगे कि कानून है इसलिये दहेज दे नहीं सकते, कानून तोड़ना नही चाहते। इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देने के लिये भी यह कानून आवश्यक है। जो लोग अपनी प्रतिष्ठा भी रखना चाहते हैं और दहेज देना नहीं चाहते, उनको इस प्रकार के कानून से संरक्षण मिलेगा। आप प्रचार करिये, जनमत इसके लिये बनाइये, इसके लिये आपको कोई मना नहीं करता। उससे भी समाज में जागृति होगी, समाज का वातावरण बनेगा, समाज सुधारक जो लोग हैं वे भी कह सकते हैं कि इस प्रकार का कानून भी है। इसलिये हमें दहेज प्रथा को बिल्कुल मिटा देना चाहिये।

जहां पांच सौ रुपये से ज्यादा देने का सवाल है, उससे जो कम देना चाहते हैं वे भी दे सकते हैं। एक एक रुपया भी देते हैं। इसमें जो प्रावधान है उनके अनुसार ५००) रुपया तक देने की व्यवस्था है। मैंने अच्छे अच्छे परिवारों को देखा है जहां दस दस-बीस बीस हजार रुपया तक दिया जाता है और ऐसे परिवार भी देखे हैं जिनके यहां बड़ी बड़ी लड़कियां बिना दहेज के कारण शादी बगैर बैठी हैं। ऐसी हालत में हमें यदि कुछ संशोधन भी इस बिल में करने हैं तो वे सिलेक्ट कमेटी द्वारा हो सकते हैं। वैसी हालत में जनमत के लिये भेजने का प्रस्ताव रखना मैं यह मानता हूँ कि इस बिल को पास करवाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं विधान सभा के माध्यम से सामाजिक सुधार भी हों, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात यह बताई गई कि दूसरी जातियों में यह बिल लागू नहीं किया गया और राज्य सरकार को इसके लिये अधिकार दिया गया, यह क्यों ? यह देखा गया है कि ज्यादातर हिन्दू जाति में ही दहेज की प्रथा अधिक है। दूसरी जातियों में लड़की के लिये पैसा लिया जाता है। उसमें दहेज का सवाल नहीं आता। इस सम्बन्ध में भी मैं समझता हूँ कि बहुत कम पिछड़े लोगों में रिवाज हो सकता है। पर ज्यादातर जिस समाज की स्थिति इस रोग से खराब है वह हिन्दू जाति ही है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन यह करूंगा कि जनमत की बात न करके इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें तो अधिक उत्तम होगा ताकि वहां इस बारे में जो थोड़ी बहुत खामियां हो सकती हैं वे दूर की जा सकें और वहां से यहां जल्दी आकर इसे पास किया जा सके तथा कानून वगैरह बनाने में या रुपया-पैसा देने के बारे में एक सीमा निर्धारित करने के विचार से उस पर सोचने करने में कोई जल्दी न हो जाय इस दृष्टि से इसे प्रवर समिति में भेजा जावे यह मेरा निवेदन है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रारम्भ में यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजना ही समीचीन होगा। जनमत में भेजने की बात कह कर तो यह चाहा जा रहा है कि हम इसको या तो इस सदन में पारित नहीं करना चाहते या इसमें आवश्यकता से अधिक से अधिक देरी करना चाहते हैं।

मेरी समझ में नहीं आता कि इसको

(श्री जनार्दनराय नागर)

जनमत में भेजने की क्या आवश्यकता आ पड़ी ? आज इस सन् १९५८ में मृत्युभोज या दहेज सरीखी सामाजिक कुरीतियों के बारे में जनमत की बात करना यह साबित करता है कि इन सब प्रश्नों पर हमारे समाज ने आज गये पच्चीस-तीस वर्षों में, बल्कि मैं यों कहूँ कि आधी शताब्दी तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, काफी मनोमन्थन किया है और काफी आन्दोलन चलाया है उसके प्रति हमारी कोई चेतना नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आज इस दहेज के प्रश्न को लेकर इस हिन्दू समाज में काफी उथल-पुथल आई, सामाजिक सुधार के काफी आन्दोलन चले और ये आन्दोलन आज से नहीं आधी शताब्दी पूर्व से चले आये हैं। हमारी राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ हमारी दासता की मुक्ति के संघर्ष के साथ साथ राष्ट्रीय नेताओं ने और विशेषकर सामाजिक सुधारकों ने बराबर इस बुराई के साथ भी आन्दोलन किया है और इस पर पूरा पूरा ध्यान दिया है। आज आप हिन्दुस्तान के किसी कोने में चले जाइये। यह एक जलते हुए सवाल के रूप में आपको मिलेगा। यही नहीं कि समाज-सुधारकों ने इस पर भाषण ही मात्र किये हों, या कुछ प्रयत्न भर किये हों, बल्कि इसके उन्मूलन के लिए बाकायदा संगठन मिलेंगे जो कम से कम इन दो प्रश्नों को तो मूल रूप से दूर करने में प्रयत्नशील हैं। आज समाज-सुधारकों की ही नहीं, बल्कि समाज के बहुत बड़े हिस्से की यह स्वाभाविक कामना है, उनका चिन्तन है, उनकी चेतना है, जाति में नये जीवन के साथ साथ जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई है जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। आज निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जनमत इस कुप्रथा को बिलकुल हटाना चाहता है। नये सिरे से जनमत जानने की आज कतई आवश्यकता नहीं है। इस पर जनमत स्पष्ट है। दहेज सामाजिक कुरीति है और उसको हटाना निश्चित है। यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर राज्य ने, या जनता के निर्णायक प्रतिनिधियों ने कोई निश्चय अभी तक नहीं किया है पर समाज की अन्तरात्मा ने इसे निश्चित कर लिया है, उसने पारित कर लिया है।

अगर इसको जनमत में आज भेजने की कोई बात करता है तो वह यह कहना चाहता है कि जनमत में आज विवाद या मतभेद है। इसको उखाड़ कर समाज से फैंक दिया जावे, यह एक कुरीति है इस पर कहीं मतभेद नहीं है, यह मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं। हां, कम करने के बारे में और एक बारगी ही उखाड़ फैंक देने के बारे में मतभेद हो सकता है।

इसलिए अगर यह मान भी लिया जावे कि कम से कम इसको कितना किया जावे तो इसके लिये प्रवर समिति में भेजना ही पर्य्याप्त होगा। व्यक्तिगत रूप से तो मैं यही कहूँगा कि हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इस कुप्रथा को बिलकुल ही उठा दिया जावे। यदि हिन्दू समाज के अधिकांश दुखों का कारण है तो मैं समझता हूँ कि यह कुप्रथा है। हमारे यहां मृत्युभोज की भी प्रथा है जिसने दुख दिया है। पर इससे ज्यादा संगीन दुख देने वाली प्रथा अगर कोई है तो वह यह दहेज की कुप्रथा है। आज आप देखिये कि लड़की का जन्म आज हमारे समाज में दुर्भाग्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। किसी के यहां लड़की हो गई तो दहेज

Page No.41

(डॉ० बहादुरसिंह)

की तलवार गर्दन पर पड़ी है और लड़की के जन्म पर अफसोस और दुख मनाते हैं।

इसलिये आज हम इस सदन के प्रतिनिधि के रूप में यह बात कहें कि इस कुप्रथा को हटाने में विलम्ब किया जाय, जब कि इसमें कोई ऐसी कठोर बात भी नहीं रखी गई है, उचित नहीं है। जनमत की आड़ लेकर समाज की आवश्यक मांग की ओर आप ध्यान नहीं देना चाहते। इसलिये मैं उन मित्र की बात से तो सहमत हूँ कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय पर उस मांग से सहमत नहीं कि इसे जनमत के लिये भेजकर इसे पारित करने में देरी की जाय। प्रवर-समिति में भेजने से इसमें वजन पड़ेगा। राजस्थान की जनता पर और उस पर इस बात का असर अभी से पड़ेगा कि राजस्थान में राजस्थान की विधान सभा द्वारा समाज सुधार के कानून बनाने की ओर कदम उठाये जाने वाले हैं। अब इसमें क्या खामियां हैं और क्या आवश्यकताएं हैं, इसको प्रगतिशील कैसे बनाया जा सकता है इसके लिये प्रवर-समिति में बैठ कर हम विचार कर सकते हैं। पर मैं यह कहना चाहूँगा कि जनमत के लिये भेजने का आग्रह कृपया छोड़ दें।

यह एक सामाजिक सुधार का प्रश्न है जिस पर हमें जिम्मेदारी और साहस के साथ विचार करना चाहिये। जिम्मेदारी से तो विचार कर रहे हैं, यह मैं मानता हूँ पर साहस का अभाव मुझे दिख रहा है। इसलिये कहना चाहूँगा कि साहस के साथ आप इसको पारित करिये। हम मुंह से तो समाज सुधारक बनते हैं। इधर से उधर समाज सुधार के बारे में प्रवृत्ति करने की बात करते हैं। पर वास्तविकता से जब पाला पड़ता है तब व्यामोह उत्पन्न करते हैं। इस व्यामोह को हमें छोड़ना है। प्रवर समिति में भेजने से मालूम होगा कि हमने साहसपूर्वक एक सुधार का काम प्रारम्भ कर दिया है। इस सुधार का जल्दी से जल्दी फायदा जनता को उपलब्ध करना चाहिये। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि साहसपूर्वक हम इसमें जल्दी से निर्णय क्यों नहीं करते हैं। तो यह जल्दी से जल्दी पारित कर दिया जावे। देर करने का, भूल में डालने का, व्यामोह उत्पन्न करने का, सरकने का और सरक जाने का एक तरीका है। मैं समझता हूं यह इसके बारे में जंचता नहीं है। हम में इतना साहस होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस बिल को पास करके कानून बना दिया जाय। मैं मानता हूं कि इसके कानून बना देने से जितनी हम चाहते हैं उतनी बुराई समाज से जल्दी दूर नहीं कर पायेंगे, लेकिन इसका प्रारम्भ होना चाहिए। अन्त का अन्त हमारे हाथ नहीं है। आज मैं देख रहा हूं कि प्रारम्भ में ही हम में साहस नहीं है। यह सारा सवाल यों पैदा होता है कि जनता में कैसे प्रारम्भ करेंगे, जनता के पूछे बिना क्या करेंगे ? यह साहस की कमी की द्योतक मनोवृत्ति है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि दहेज के प्रश्न को लेकर समाज में वाकई सुधार होगा। आज अगर प्रगतिशील दृष्टि से सोचा जाय तो हिन्दू समाज में, हिन्दू जाति में उनके न्यूनतम कल्याण का अनुभव करते हैं वे इसके बारे में आपको धन्यवाद ही देने वाले हैं, आपकी शुभ कामना ही करने वाले हैं, आपको मुबारकबाद देने वाले हैं। सन् ५८ में, आरम्भ में ही इसके बारे में शंका करना, मैं सोचता हूँ, उचित बात नहीं है। हम में बड़ा दृढ़ साहस होना चाहिये। इसमें साहस करने के साथ ही हम आगे बढ़ पायेंगे।

(डॉ० बहादुरसिंह)

समाज के परम्परावादी लोग, समाज में पुरानी विचारधारा के लोग, निश्चित रूप से इस बिल का विरोध करेंगे। मगर यह मौका हमारे सामने रखा गया है। नई जातियों के बनाने वाले आधारभूत सामाजिक प्रश्न पर जो जातियों के प्रतिनिधि होते हैं उन्हें हिम्मत और साहस से काम लेना पड़ेगा। प्रतिक्रियावादी, पोंगा पंथी व्यक्ति इसका विरोध करेंगे और विरोध होगा। लेकिन आज यह आपका अभीष्ट कर्तव्य है जिसकी आपसे अपेक्षा समाज करता है। मैं समझता हूँ कि हमें यह चीज साहस के साथ करनी चाहिये। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस बिल को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय और प्रवर समिति को कम से कम समय दिया जाय कि इस पर अच्छी तरह से जल्दी से जल्दी विचार करके हमारे सामने रखे। मैं यह चाहता हूँ कि इस बिल को जल्दी से से जल्दी सदन के द्वारा पास करायें और पास करने के बाद जल्दी से जल्दी कानून बनायें और समाज पर लागू करायें।

दहेज के प्रश्न का जनमत के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, वह दहेज देने वाले के साथ संबंधित है। आप उन पिताओं के आवेग और वेदनाओं की कल्पना करें जिनके पास दहेज देने को नहीं होता है और भारी भरकम दहेज की रकम देने के लिए घर बेचना पड़ता है। समाज की झूंठी प्रतिष्ठा के लिए, झूंठे मत के लिए अपनी सर्वस्व संपत्ति का बलिदान करना पड़ता है। उस वेदना की कल्पना करिये। वह वेदना हमारे समाज के दिल और दिमाग पर छाई हुई है। हम थर्रा उठते हैं जब दहेज का प्रश्न सामने आता है। हम फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म की तारीफ करते हैं, लेकिन आज हमारे सामने जब सवाल निर्णय का आया है तो हम कहते हैं कि इसको जनमत के पास भेज दें। तो मैं मानता हूँ कि जनमत के पास इन सवालों को भेजने का सवाल नहीं है। पुराना मत है समाज में पोंगापंथियों का, परम्परावादियों का, पुनर्भूभवादियों का, जो अपनी जर्जर दृष्टि को नए रंग में आज सामने रखने वाले तरकीबबाज हमारे समाज में हैं। यदि वे इसको जनमत के सामने रखने की बात करते हैं तो मैं इसका बड़ा घोर विरोध करता हूँ। यह जरूर है कि प्रतिक्रियावादी, पोंगापंथी मत निश्चित रूप से इसको स्वीकार नहीं करता है। यदि प्रगतिशील जनमत के सामने जाने की बात है, तो मैं कहना चाहता हूं कि वह मत प्राप्त हो गया है। वह मत बड़े बड़े समाज-सुधारकों के व्यक्तित्व में, उनकी साधना के साथ में हमको मिला है, महात्मा गांधी के प्रकाश के द्वारा वह मत मिला है। जनमत के सामने इस तरह के सामाजिक सुधारों के प्रश्न को भेजने का मतलब यह है कि राजा राममोहनराय के व्यक्तित्व के द्वारा वह हमको मिला है या नहीं, स्वामी दयानन्द के द्वारा हमको मिला है या नहीं, महात्मा गांधी से मिला है या नहीं ? मैं कहना चाहता हूँ कि इस भारत भूमि में अनेक समाज-सुधार करने वाले सपूतों के जीवन से प्रकाश का यह मत मिला है। आप कहना चाहते हैं कि जनमत ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े हमारे समाज सुधारकों संतों, बड़े बड़े सामाजिक चिन्तकों, सामाजिक काम करने वाले शिक्षकों के जीवन का लक्ष्य है जो आज हमारे सामने इसके पीछे एक ताकत है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप जनमत की बात करते हैं तो उसका विरोध होगा और डट कर विरोध होगा। आप आर्थिक प्रश्नों

Page No.43

(डॉ० बहदुरसिंह)

में कुछ देर कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, समय को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जातीय जीवन के नवप्रकाश के, नये संगठन के लिए देर नही कर सकते हैं। यदि जातीय सुधार में देर करते हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक चेतना के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं और इस देर को दूर करने का यही तरीका है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और प्रवर समिति कम से कम समय में विचार करके सामने रखे और जल्दी जल्दी से हम पास कराना चाहते हैं। हम सदन के सब सदस्य इस बात को चाहते हैं कि समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, अपने जीवन में एक बड़ी दूर से रास्ता देखते हुए आ रहे हैं, उस उत्तरदायित्व को पूरा करें। मैं सोचता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने इस बात पर विचार करने का मौका दिया है उन्होंने हमारी अन्तरात्मा को जगाने की कोशिश की है। समाज-सुधार के लिए हमारी सोई हुई अन्तरात्मा का प्रश्न है, उसकी ओर हम आंखों को मूंद लें और भ्रम में पड़ जायं कि सुधार करें या नहीं, यह कोई तरीके की बात नहीं है। यदि आप निश्चित रूप से समाज सुधार के प्रति सहृदय हैं, ईमानदार हैं, इस बात की आपको तकलीफ है, तो सन् ५८ के अन्दर, समाज के आन्दोलनों ने, समाज सुधार के प्रयास से जिन लोगों ने कष्ट उठाया है, जिन लोगों ने पुराने मत को उखाड़ फेंकने के प्रयास के कारण अपमान ग्रहण किया है, उन सबने हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। रास्ता साफ होने के बाद हम कहना चाहते हैं कि हम कोठड़ी में घुस जायं, उसमें ढीलढाल करें, मैं समझता हूँ यह निर्णय करने का सही तरीका नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हिम्मत और साहस के साथ इस मामले पर विचार करना चाहिए और उसका तरीका है प्रवर समिति में इसको शीघ्रातिशीघ्र भेजें।

श्री सम्पतराज (अकलेरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दहेज हमारे समाज की एक ज्वलन्त समस्या बनी हुई है। आज विधान सभा में जो विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत हुआ है यह विधेयक सरकार के द्वारा या अन्य सदस्यों के द्वारा कई वर्षों पहले ही सदन के सामने उपस्थित होना चाहिए था और सदन के द्वारा जल्दी से जल्दी उस पर विचार करके इस समस्या को मिटाने के लिए दहेज प्रथा को नियन्त्रित किया जाना चाहिए था। दहेज आज जिस तरह से भारतीय समाज को बर्बाद कर रहा है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है और इस सदन में बैटने वाले सब सदस्य इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं कि इसका रूप कितना भयंकर हो चुका है। भले ही बड़े आदमी, मालदार आदमी, पैसे वाले आदमी, इस बात को नहीं समझ सकें, लेकिन हिन्दुस्तान के ८० या ९० प्रतिशत गरीब आदमी इसे अच्छी तरह समझते हैं। क्योंकि हमारे देश में जहां १० प्रतिशत मालदार आदमी हैं और अमीर आदमी हैं, वहां ९० प्रतिशत गरीब आदमी हमारे देश में बसते हैं। यह दहेज की प्रथा छूत के रोग की तरह से बढ़ती जा रही है और यह छूत हमें अमीर आदमियों से लगी है, हमारे समाज को अमीर आदमियों की देन है, क्योंकि पढ़े–लिखे आदमियों की, बड़े आदमियों की, हर आदमी चाहे वह किसी समाज का हो, नकल करता है और फिर जब बड़े आदमी गलत रास्ते चल पड़ें तो छोटे आदमियों को भी, अध्यक्ष महोदय, उनकी नकल करनी पड़ती है, उस रास्ते पर चलने के

(श्री सम्पतराज)

लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका काम रुक जाता है समाज के अन्दर, समाज उनको नीची निगाह से देखता है, उखाड़ फैंकने की कोशिश करता है।

आज यह दहेज निवारण विधेयक प्रस्तुत हुआ है। मैं आपके द्वारा उन माननीय सदस्य को बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारी विधान सभा का, जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। मैं यह मानता हूं कि यह जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है वह संपूर्ण नहीं है। उसके द्वारा दहेज जैसी कुप्रथा पर पूरा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकेगा, उसके लिए विधान सभा की एक प्रवर समिति में यह विधेयक जाय तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि इस पर अच्छी तरह से विचार करके इसे अधिक कठोर बनाना पड़ेगा और दहेज जैसी प्रथा को मिटाने के लिए मुकम्मिल कानून बनाना पड़ेगा ताकि कानून की खामी से कोई बचकर न निकल सके। दहेज का कहां तक कु-परिणाम हो सकता है, वह आज की बात नहीं है। मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान १४-१५ साल पहले क एक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं, वह घटना थी शिमला की। क्रिप्स मिशन वहां पर आया हुआ था देश के नेताओं से राजनैतिक आजादी के लिये बातचीत करने के लिये, और-और बातों के लिये। उस समय शिमला में एक कान्य-कुब्ज ब्राह्मण का परिवार रहता था, उसका घरू मकान था। परिवार में एक विधवा थी जिसका पति मरे हुए काफी अर्सा हो चुका था और उसके एक लड़की थी जिसकी आयु २७ वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन इस दहेज की कु-प्रथा के कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। उस जाति में दहेज प्रथा है इसलिये लोग हजारों रुपये मांग रहे थे। उसकी माता लड़के वालों से कह रही थी कि मेरे पास रुपये तो नहीं हैं, लेकिन मेरा मकान ले लो। लड़की की माता के मकान देने को तैयार होने पर भी कोई शादी करने को तैयार नहीं हुआ और परिणाम स्वरूप उसकी लड़की की शादी नहीं हुई। उस समय वहां पर महात्मा गांधी– मौजूद थे और मौलाना आजाद और अन्य नेता शिमला में मौजूद थे जिनकी क्रिप्स-मिशन के साथ बातचीत चल रही थी। उसी समय लड़की की शादी न होने के दुख से दुखी होकर शिमला के तालाब में वह विधवा औरत और उसकी २७ वर्षीय लड़की रस्सी बांध कर डूब मरीं। अगले दिन उनकी लाशें तालाब के पानी के ऊपर तैरती मिलीं, यह खबर गांधीजी के पास भी पहुँची। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो यह खबर 'हिन्दुस्तान' अखबार में और दूसरे अखबारों में भी उस समय छपी थी, आप में से कई माननीय सदस्यों ने भी इसे पढ़ी होगी। उस समय गांधीजी और मौलाना आजाद ने कहा था कि देश में आजादी आते ही हमें सबसे पहले दहेज-प्रथा पर नियंत्रण करना होगा और इसके लिये एक प्रभावशाली कानून बनाना होगा ताकि हमारा भारतीय समाज ऐसी दुर्घटनाओं एवं बर्बादी से बचाया जा सके। आज देश को आजाद हुए ११ साल हो गये और अब यह विधेयक हाउस के सामने आया है, इस पर भी बाडमेर से आये हुए माननीय सदस्य कहते हैं कि इसे जनमत के लिये प्रसारित किया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि आज दहेज प्रथा के विरोध में देश में जनमत बना हुआ है, जनमत विधान सभाइयों से कहता है कि ऐसा कानून बनाया जाय, जनमत पार्लियामेंट से कहता है कि ऐसा कानून

(श्री सम्पतराज)

बनाया जाय । जनमत आज यह मांगकर रहा है कि ऐसा प्रभावशाली कानून बनाया जाय जिससे यह कुप्रथा समूल नष्ट हो जाय और लोग आसानी से अपने लड़के-लड़कियों की शादियां कर सकें और तकलीफ, बर्बादी से बच सकें। हमारे समाज में जो ज्वलन्त समस्या है उसको छः आठ महीनों के लिये टालना उचित नहीं है । आज से छः महीनों पहले यह पेश हुआ था किसी कानूनी खामी के कारण राज्यपाल महोदय के पास गया, उनकी स्वीकृति में काफी समय लग गया, अब और समय लगाना ठीक नहीं है । मैं दहेज के बारे में ऐसे ऐसे उदाहरण आपके सामने पेश कर सकता हूँ जो सच्चे हैं और जिनके कारण समाज के मध्यम व गरीब आदमियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है । विवाह होने के बाद इसी कुप्रथा के कारण लड़कियों को जिन्दा जला दिया जाता है उन पर पेट्रोल डाल कर इसलिये कि उनके यहां से दहेज कम दिया गया और इस लालच से भी विवाहित लड़कियों को जला दिया जाता है या अन्य तरीकों से समाप्त कर दिया कि लड़के की दूसरी या तीसरी शादी करेंगे और खूब दहेज मिलेगा । अगर लड़कियां शादी के बाद में बीमार हो जाती हैं तो उनके इलाज का कोई प्रबन्ध नहीं करके उनको मरने दिया जाता है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि दहेज जैसे कुकृत्यों को रोका जाना चाहिये । यदि इसे नहीं रोका गया तो निश्चय ही कहता हूं कि यह सारे भारतीय समाज को नष्ट कर देगा। आज यह बात सही है कि समाज के बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, पैसे वाले लोग इस विधेयक की मांग नहीं करेंगे। वे कहेंगे कि हमारे पास पैसा है उस में से २५-३० हजार रुपये दहेज में दे देंगे तो कौन सा फर्क पड़ जायगा । लेकिन हमारा हिन्दुस्तान केवल मालदारों का देश नहीं है, इसमें अधिकतर गरीब लोग बसते हैं जिनके लिये यह कानून बनाना जरूरी है ।

अब सवाल यह है कि जो विधेयक आज हाउस के सामने है वह क्या इस कुप्रथा को मिटाने में समर्थ होगा ? मैं समझता हूं विधेयक की धारा २ में जो परिभाषा दहेज की है वह उपयुक्त नहीं है । ५००) रुपयों की राशि तक को दहेज नहीं माना गया है, इसके अलावा और भी कई बातों को प्रथा के नाम पर इस परिभाषा में छूट दे दी गई है । इसलिये यह विधेयक दहेज प्रथा को मिटाने में अधिक सहायक नहीं होगा । इसके लिए प्रभावशाली कानून आना चाहिये जिसमें कोई त्रुटी नहीं रहने पावे और उस पर पूरी तरह से अमल हो और जनता की तकलीफ या दुःख मिटा सके । जिनके लड़कियां हैं उनको दुःख होता है । जिनके पांव न फटी बिवाई वे क्या जाने पीर पराई । जिनके चार-छः लड़कियां हैं उनकी क्या हालत हो सकती है ? यदि वे सर्विस करते हैं तो उनको इस प्रथा के भेंट चढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, रिश्वत लेनी पड़ेगी और यदि व्यापारी हैं तो ब्लेक मार्केट करना पड़ेगा । इसलिये यह प्रथा अन्य कई कुकृत्यों को जन्म देने वाली है । यदि इस प्रथा का नाश नहीं हुआ तो गरीब आदमियों को मजबूर होकर इस तरह से भ्रष्टाचार से पैसा इकट्ठा करके इस प्रथा को निभाना पड़ेगा । जो लोग बड़े आदमी हैं वे इस बात को नहीं समझेंगे । जो लोग लखपति; करोड़पति होते हैं उनके लिये २५,०००-३०,०००) रु० की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो लोग गरीब आदमी हैं या मध्यम श्रेणी के आदमी हैं जो १००) रु० या २००) रु० माहवार कमाते हैं

Page No.46

(श्री सम्पतराज)

उनकी मुश्किल हो जाती है। जिनके दो चार लड़किये हैं उनका तो ईश्वर ही आधार है।

एक माननीय सदस्य : आपके कितनी हैं ?

श्री सम्पतराज : (जारी) मेरे लड़कियां हैं, मैं गरीबों के सम्पर्क में रहता हूँ। इसीलिये तो मेरा अनुभव आपको सुना रहा हूं; लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह केवल आपकी या मेरी ही समस्या नहीं है। हो सकता है कि आप मालदार हैं इसलिए इस प्रथा से आपको तकलीफ न हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारे तो लड़के ही हैं।

श्री सम्पतराज : चिन्ता मत करिये लड़कियां भी हो जायंगी।

अन्त में इस विधेयक पर मत-संग्रह करने के लिये जो संशोधन बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है, मैं उसका विरोध करता हूं और इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये जो माननीय श्री बहादुरसिंहजी ने संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय अध्यक्ष, आज जो महत्त्व का बिल इस हाउस में प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में माननीय श्री तनसिंहजी ने जो जनमत के लिये अपना मत प्रकट किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। लड़की वालों से रुपये लेने के बारे में तो सभी कहते हैं लेकिन लड़के वालों से लड़कियों की एवज में रुपये जो लिये जाते हैं उनके बारे में कोई नहीं कहता। मैं मानता हूँ कि यह डॉवरी सिस्टम बहुत ही बुरा है क्योंकि अपने भारतवर्ष में सब जगह समानता लाई जा रही है और लड़के और लड़कियों को समाज में समान अधिकार दिये जा रहे हैं। लड़की वालों से जो दहेज में रुपये लिये जाते हैं उसके लिये तो आप बिल लाते हैं लेकिन लड़के वालों से लड़की के एवज में जो रुपये लिये जाते हैं उस पर पाबन्दी क्यों नहीं लगाई जा रही है ? उसके लिये भी बहुत से दृष्टान्त मौजूद हैं। आप आज से १४ साल पहले का दृष्टान्त देते हैं, लेकिन मैं आपको आज का ही दृष्टान्त बताता हूँ। आपने कहा कि छोटे आदमी लड़की के रुपये लेते होंगे, बड़े आदमी नहीं लेते, लेकिन मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण और महाजन अपनी अपनी लड़कियों के रुपये लेते हैं। मेरे गांव उनियारा में एक महाजन ने अपनी लड़की के एवज में १४॥ हजार रुपये लिये हैं, आप तलाश कर लीजिये। अगर आप लड़कियों के रुपये लेने वालों के लिये प्रावधान नहीं करेंगे तो अधूरा ही रहेगा। जैसा आप कहते हैं कि जिनके पांच लड़कियां होती हैं वे क्या करेंगे ? लेकिन मैं कहूंगा कि लड़की के रुपये लेने पर भी प्रतिबन्ध होना चाहिये।

१ म. प.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

श्री सम्पतराज : प्रवर समिति में जाने पर हो जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : लोकमत के लिये जाना चाहिये। आप चाहते हैं कि इसे चुपके से पास कर दें ताकि लोग इसे जान नहीं सकें। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है लेकिन इसमें बहुत खामियां हैं, । ५००) रुपये रखे हैं लेकिन आज तो सिविल मेरिजेज हो

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

रही हैं । आज तो मल्टीपर्पज़ स्कूल भी खुल रहे हैं (हंसी) Multipurpose means for all purposes. जब सिविल मेरिजेज़ हो रही हैं उस समय दहेज का प्रश्न नहीं रहता । जब मियां बीबी की राजी तो क्या करेगा काजी । राजस्थान धार्मिक प्रान्त है । आप गांवों में जाकर देखिये, गरीब किसान के साथ कोई आदमी लड़की की शादी करता है तो भी वह किसान उसको दहेज में गाड़ी देता है, बैल देता है, जमीन देता है । गाड़ी और बैल के भी आज हजार रुपये लग जाते हैं ।

एक हजार रुपयों की गाड़ी आयेगी और ५००) रुपये में बैल आवेगा । इसके लिए आपने यहां बैठ कर कह दिया कि इसमें यह कर दीजिये । मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसमें आपने प्रावधान यह किया है कि लड़के वाला अगर लड़की वाले से पैसा लेगा तो उसको सजा दी जायगी । लेकिन अगर लड़की वाला रुपया लेगा तो उसे क्या सजा दी जायगी ? यह प्रावधान नहीं है । मैं कहता हूं कि बड़े बड़े लोग यह कहते हैं कि ११ वर्ष से सुधार नहीं किया, लेकिन यहां आज बैठ कर सुधार करते हैं, कानून के द्वारा सुधार करते हैं, लेकिन कानून के द्वारा सुधार नहीं हो सकता । इसका नुक्ते से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा है, मैं उसके लिए भी बोलूंगा कि उसके क्या क्या परिणाम निकलते हैं, मृत्युभोज नियंत्रण विधेयक के । इस बिल के लिए मैं चाहता हूँ कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाय और जब राय आ जाय कि यह रहना चाहिए, उसे अच्छी तरह इसे करना चाहिए । उसके बाद में जनमत की राय और जो इसे पेश करने वाले हैं, उनकी राय, दोनों को मिला कर, इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए । इस समय प्रवर समिति को भेजा जायगा तो क्या होगा ? इसलिए, चेयरमैन महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि इसमें जल्दी न करें और इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करें ।

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, अभी जो नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे सामने दहेज नियंत्रण विधेयक रखा है, मैं उनके इस प्रयास की सराहना करता हूँ और जिस सामाजिक कानून को बनाने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ । लेकिन हमारे सामने जो सामाजिक कानून आते हैं, उन सामाजिक कानूनों को हम पास तो करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि जब तक जनता उनसे भली भांति परिचित नहीं हो जाती है तब तक वह उनका पूरी तरह अनुकरण नहीं करती है । बम्बई के अन्दर शराबबन्दी कानून बना, लेकिन आज भी शराब पीने वाले लोग बम्बई में नजर आते हैं, शायद उतने पीने वाले लोग दूसरे इलाकों में नहीं होते हैं । इसी प्रकार केन्द्र से कई तरह के और कानून पास हुए हैं, जैसे उत्तराधिकार कानून बना लेकिन उसका पालन पूरी तरह नहीं होता है । आज भी हमारी बहिनें विवाह के पश्चात् पिता की सम्पत्ति का हिस्सा मांगने में हिचकती हैं । आप प्रगतिशील कानून बनाते हैं, प्रगतिशील बनना चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकती लेकिन हम जिस कानून के द्वारा अपने समाज को उठाने की बात करते हैं लेकिन आपके कानून से समाज

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कितना प्रभावित होता है ? समाज, आपके कानूनों से, जिसके लिए आप कानून बनाने जा रहे हैं, कितना परिचित है, हमें इस बात पर पहले विचार करना पड़ेगा। जो विधेयक हमारे सामने है, उसके लिए यह कहा गया है कि इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय या प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैं इन दोनों बातों का समर्थन करता हूँ। लेकिन पहला प्रश्न यह आता है कि आखिर जनमत के लिए पहले प्रसारित किया जाय या प्रवर समिति को पहले सुपुर्द किया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पहला प्रश्न आता है वह जनमत का है, क्योंकि जनता का सम्बन्ध इस सामाजिक कानून से पहले आता है। बाद में जिस प्रकार की जनता की मांग होगी, जनता के जिस प्रकार के सुझाव होंगे, जिस प्रकार के इसमें संशोधन करने के विचार होंगे उनसे हम परिचित हो सकेंगे। यह ठीक है कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो कुछ भी हम पास करेंगे वह जनता के द्वारा पास किया हुआ माना जायगा। लेकिन जब हम सामाजिक कानून पास करते हैं, सामाजिक नियम या विधि बनाते हैं तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम कम से कम उस सामाजिक कानून से, विधि से जनता को परिचित करायें। केन्द्र से इस प्रकार के जितने कानून पास हुए हैं, उनको पहले जनमत के लिए प्रसारित किया गया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दहेज की समस्या है वह आज की समस्या नहीं है। वह अनादिकाल से चली आ रही है। हम देखते हैं कि पहले दहेज में गाय दी जाती थी, कुछ और सामान दिया जाता था, लेकिन आज कीमती जवाहरात और कपड़े आदि दिये जाते हैं। इस फेशनेबल युग में दहेज की प्रथा है। आज प्रारम्भ से लेकर, सगाई से लेकर बाद तक आने वाले समय में दहेज दिया जाता है, भले ही आज उनकी मात्रा में और उनकी कीमत में बहुत परिवर्तन आ गया हो और इसी कारण सभ्य कहे जाने वाले आदमियों के ऊपर बहुत खर्च आ गया है। यह ज्वलन्त समस्या हमारे सामने है और इस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगायें, इसमें विलम्ब की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि सामाजिक कानून व सामाजिक नियम ऐसे बनाने चाहिए जिनका पालन किया जा सके जनता के द्वारा। हम चाहते हैं कि जनता इन कानून का पालन करे तो हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि जो सामाजिक कानून या नियम हम बनाने जा रहे हैं, उनसे जनता कितनी परिचित है, यह हम देखें। मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी बहुत सी सामाजिक संस्थायें इस ओर कार्य कर रही हैं, अलग अलग जातियों की संस्थायें बनी हुई हैं और अलग अलग जातियों के अन्दर जो प्रगतिशील लोग हैं, उन्होंने इस प्रकार के प्रस्ताव पास किये हैं। मैं यहां इस बात को कहने में संकोच नहीं करूंगा कि जातीय प्रतिबन्ध जितने कड़े होते हैं, उतने राज्य सरकार द्वारा बनाये हुए कानून नहीं होते। राज्य सरकार द्वारा बनाए हुए कानूनों के अनुसार आप उनको दंड दे सकते हैं। लेकिन जातीय प्रतिबन्ध होते हैं, जातियों ने जो नियम बना रखे हैं, उनके अनुसार लोगोंको बहिष्कृत किया जा सकता है, समाज के सामने उन लोगोंको घृणित व्यक्तियों के रूप में रखा जा सकता है और जितनी जो कुछ हो सकती है उतनी उनकी भर्त्सना की जा सकती है। मनुष्य का समाज में उठना बैठना होता है, उसका समाज से सम्बन्ध जीवन मरण का होता

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है, अगर समाज द्वारा उसकी बेइज्जती होती है तो मर्यादा की बात होती है। आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा दण्ड १००) रुपये, ५००) रुपये का करदें वह जुर्माना दे सकता है लेकिन समाज के द्वारा यदि उसके आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचे तो वह इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन विभिन्न समाजों के जो कुछ नियम बने हुए हैं वे ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए हैं, इसका कारण क्या है? मैं समझता हूँ कि आज की सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की चल रही है कि जिसमें छोटे लोगों को जब मौका मिलता है तो वे कठिनाई के कारण कर नहीं पाते, लेकिन बड़े लोगों द्वारा, इन तथाकथित नियमों व प्रस्तावों का पालन नहीं होता है। बड़े लोग नहीं करते हैं और छोटे लोगों को बिगाड़ देते हैं। ऐसे कई उदाहरण बताये जा सकते हैं। मैंने स्वयं ने देखा है। मैं एक गांव में गया, कोई जातीय उत्सव था, वहां पर हम कुछ प्रगतिशील कहे जाने वाले लोग भी गये। वहां पर नारियल बंटवाने की प्रथा थी। सभा द्वारा बनाया गया प्रस्ताव था, उसका स्मरण बहुत लोगों को था। वह प्रस्ताव था कि सगाई के समय नारियल नहीं बटेगा। लेकिन जितने लोग बैठे हुए थे, उन्होंने नारियल स्वीकार कर लिया। वहां पर ऐसे भी व्यक्ति थे जो दूसरे ग्रुप के थे। उन्होंने प्रगतिशील कहे जाने वाले लोगों को थोड़ी लताड़ दी और नारियल वापिस करना पड़ा, वह सामाजिक लताड़ के कारण वापिस करना पड़ा। इसलिए मैं समझता हूँ कि कानून बड़े आदमियों द्वारा नहीं माना जाता है और गरीब आदमी नारियल को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन बड़े आदमियों के प्रभाव के कारण स्वीकार करना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कानून को बना कर समाज में परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए यह आवश्यक है कि इसका अधिक से अधिक समाज में प्रचार करना चाहिए कि जो दहेज दिया जाता है, वह समाज के ऊपर बोझ है, लड़कियोंवालों द्वारा जो लड़कों को पैसा दिया जाता है, यह एक प्रकार की समस्या हो गई है। इसको कैसे बन्द करना है, इससे जनता को अवगत नहीं करायें तो कानून निष्क्रिय रहेगा, प्रभावशील नहीं रहेगा। इसलिये मैं सबसे पहले चाहूँगा कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजने से पहले, वैसे तो जो यह विधेयक आया है उसमें बहुत सी खामियां हैं, प्रवर समिति में तो इसे अवश्य भेजा जाना चाहिए, पर प्रवर समिति में भेजने से पहले, जनमत जानने के लिए इसे जनता में प्रसारित किया जाना चाहिये ताकि जनता इससे अवगत हो सके और अपने विचारों को क्रियान्वित करने में आपका साथ दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे जनमत के लिये प्रसारित किये जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : डॉ० चन्द्रकला।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान दहेज नियन्त्रण विधेयक, १९५८ सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। इस विधेयक के सम्बन्ध में दो मत साफ दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ माननीय सदस्यों की राय है कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाना चाहिये। मेरी विनम्र राय में जनमत बिल्कुल साफ है। स्वयं सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी राय हमारे सामने है। इसके पहले होने वाले

(डॉ० चन्द्रकला)

भाषणों से भी मालूम पड़ ही गया । यहां लड़कियों के मां बाप भी हैं जो लड़कियों के मां-बाप होने के कारण इस प्रथा से पीड़ित हैं और लड़कों के बाप भी हैं जो लड़कों के बाप होने से गौरवान्वित हैं, तो सबकी राय तो यहां आ चुकी है और यहां जनमत की बानगी मान लेना चाहिये इसको....

श्री सभापति : ऐसे भी हैं जिनके कोई नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : जिनके कोई नहीं है, वे शहर के अन्देशे से दुबले हो सकते हैं और उनकी राय की कद्र कर के मान लेना चाहिये, इसलिये हम जनमत के लिए प्रसारित करने की बात न करें तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा करते हुए इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जिन्होंने कहा कि कानून से ही सब कुछ होने वाला नहीं । यह हमारी सामाजिक बुराई है, एक कुप्रथा है जिसने न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे सामाजिक जीवन को खोखला कर रखा है, इसको दूर करना है। केवल कानून से ही यह बुराई दूर नहीं होगी, जनमानस इसे पूरी तरह ग्रहण नहीं करेगा तो हमारे इस कानून की भी वही दशा होने वाली है जो दशा शारदा कानून की हो रही है। तो इसके लिये हमें जनमानस तो अवश्य ही तैयार करना है, पर वह इस समय की बात नहीं हो सकती। हम इस विधेयक को लें, प्रवर समिति में भेजें, इस पर अच्छी तरह से विचार करें, विचार करने के बाद हम जनता के हित में इसे लागू करें। जनहित को हम अपना कर्त्तव्य मानते हैं। हमको चाहिये कि जन-मानस को तैयार करके इसका फायदा उठावें । मैं जानती हूं कि केवल कानून किसी तरह समाज में कारगर सिद्ध नहीं हो सकता, वह तो एक निमित्त जनता के लिए है, एक बहाना बनता है। जब मैं यह कहती हूं तो मुझे एक कहानी याद आती है, भले ही वह सुन्दर नहीं है। एक आदमी था। वह घर से रूठा हुआ था। वह घरवालों से दूर जा कर बैठा हुआ था, उसको उम्मीद थी कि उसके घर वाले आयेंगे और उसको मना कर ले जायेंगे। वह दिन भर घरवालों का इन्तजार करता रहा, पर घर वालों में से कोई नहीं आया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ा। इतने में ही उसे उस घर की भैंस जाती दिखाई पड़ी, उसने भैंस की पूंछ पकड़ी और 'मैं तो नहीं जाना चाहता, मुझे काहे घसीटे लिये जा रही हो', इस तरह चिल्लाते हुए वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा । तो इस तरह भैंस की पूंछ सारे कानून हैं, जो घर पहुँचना चाहता है, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए एक बहाना हो यह हो सकता है। माननीय अध्यक्ष, इसको प्रवर समिति में भेजते समय मेरी यह राय है कि यह दहेज की प्रथा पुरातन काल से चली आई हुई सनातन प्रथा है, इसके पीछे कोई सामाजिक भावना रही है। पहले माता-पिता की सम्पत्ति में लड़कियों का उत्तराधिकार के रूप में अधिकार नहीं था। उस समय सामाजिक भावना ऐसी थी कि विवाह के समय लड़की को जो कुछ देना हो दे-दिवा कर वह हिस्सा पूरा कर देना चाहिये। जिन जातियों में यह प्रथा नहीं है, लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार मिले हुए हैं, वहां कोई इस प्रकार की प्रथा नहीं है। हमारे यहां यह प्रथा कोई बुराई के तरीके से नहीं चली, यह बहुत सुन्दर और वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था रही है, वह अब बदलने वाली है, हमने लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दे दिये हैं, हमने इस प्रकार के

(डॉ० चन्द्रकला)

कानून पास कर दिये हैं। कुछ दिनों में यह दहेज की प्रथा अपने आप खत्म हो जाने जाने वाली है। जबकि लड़कियां माता-पिता की सम्पत्ति में अपना पूरा हक समझने लग जायेंगी, अपने अधिकारों की मांग करने लग जायेंगी उस दिन यह प्रथा अपने आप मिट जायगी। इसे प्रवर समिति में रखें तो यह सोचना पड़ेगा कि वह पृष्ठभूमि बदल चुकी है जो दहेज प्रथा के मूल में थी। इसे प्रवर समिति में भेजते साथ दो-एक बातें कहनी है वह मैं कहूंगी।

मैं नहीं समझ पाती कि केवल वधू के माता-पिता के साथ ही इतनी सहानुभूति क्यों रखी गई है। बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनमें लड़कों के भी बिना पैसे दिये विवाह नहीं हो सकते, ऐसी जातियां बहुत सारी हैं प्रान्त के बहुत अधिक हिस्से में। इस लिये दहेज की परिभाषा में ही मूल परिवर्तन करके इस तरह करना पड़ेगा कि सब पर यह कानून लागू हो सके।

दूसरी बात जो मेरे समझ में नहीं आई वह यह है कि इसकी पहली धारा में जो प्रावधान दिया हुआ है कि कुछ जातियों के लिये ही यह लागू होगा। हमारी समझ में नहीं आता, हम गांधीजी का नाम लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कानून सारी जनता के लिये बनाते हैं तो कुछ जातियों के नाम क्यों देते हैं, कुछ को लेना और कुछ को नहीं छोड़ना चाहिये। तो इस पर भी आवश्यक विचार करना चाहिये कि हमारा कानून सारी जनता के लिये है और राजस्थान की सारी जनता के लिये यह लागू होगा। जहां यह दहेज की प्रथा नहीं होगी वहां सवाल अपने आप ही नहीं उठेगा। तो यह कहा जाय कि अमुक जातियों में दहेज की प्रथा है और हम उनके लिए कानून बना रहे हैं यह उचित नहीं है, यह हमारी शान के लायक नहीं लगता है। अतः इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है, मेरा ऐसा ख्याल है कि इस विधेयक के प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य ऐसी श्रेणी से आये हैं कि उनको ५०१) रुपया बहुत थोड़ा लगा, मगर हिन्दुस्तान में बहुत से परिवार ऐसे हैं कि जिनको ५०१) रुपया भी बहुत भारी लग सकता है। तो ऐसी दशा में यह ५०१) रुपया तक रख देंगे तो वह उनके लिये बुरा हो जायगा। हमको इसलिये ऐसी बात नहीं रखनी चाहिये। कानून तो ऐसा होता है कि वह अपना रास्ता बनाता चलता है, तो हमें कोई किसी प्रकार का छिद्र कानून में नहीं छोड़ना चाहिये जिसके सहारे जनता में वह दहेज का दुःख बना रहे हम जिस दुःख से उसे छुटकारा दिलाना चाहते हैं। जितनी बेचैनी माननीय सदस्य ने अभिव्यक्त की उससे कम किसी अन्य माननीय सदस्य को नहीं है, पर भाषण समाज की बेचैनी को दूर नहीं कर सकते, चाहे जितनी कोमल भावना व्यक्त कर दें, चाहे जितना दुःख प्रकट कर दें; पर समाज के दुःख तो समाज में जाकर काम करने से ही दूर होंगे। प्रवर समिति में इस बिल को दिया जायगा तो इस पर प्रवर समिति अच्छी तरह से सोच विचार करेगी और इसे पूरा और स्वयं सम्पूर्ण बनाने का प्रयत्न करेगी। मैं माननीय सदस्यों से चाहूँगी कि इसे कानून बना कर शारदा एक्ट जैसी इसकी भी दुर्गति करके इसे रद्दी की टोकरी में न डालें। शारदा एक्ट की जो दशा आज हम देखते हैं तो हमें इस कानून के लिए पहले जन-मानस तैयार करना पड़ेगा ताकि कानून के पीछे जो भावना है उसको जनता ग्रहण कर ले और इसके

Page No.52

(डॉ० चन्द्रकला)

पीछे जो मूल उद्देश्य है उसे प्राप्त कर सके और जो बुराई है उसको हम दूर कर सकें।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान रूल २१९ की ओर दिलाना चाहूंगा :

"While the House is sitting, a Member shall not pass between the Chair and the Hon Member who is speaking." Yes. Shri Narendra Singh.

श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : सभापति महोदय, श्री तनसिंह, बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य, ने जो प्रश्न उपस्थित किया है कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाए, उनके यह विचार अत्यन्त धन्यवाद के योग्य हैं। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत अच्छा प्रश्न हमारे सामने दहेज की प्रथा को रोकने के लिये आ रहा है और इसको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जावे। मैं तो यह समझता हूँ कि बहुमत तो पहले से ही तैयार है। हम रामराज्य सभा के जनता के ही भेजे हुए व्यक्ति हैं और दूसरे भी जनता के ही प्रतिनिधि हैं। इसलिये इसको जल्दी से जल्दी सिलेक्ट कमेटी में भेज कर पास करना अत्यन्त आवश्यक है। बीच बीच में यह भी सवाल आया था कि लड़कों के लिये भी इस प्रकार की प्रथा चल पड़ी है। ऐसा कोई भी नहीं है जो यह कहे कि लडकों के रुपये ले लिये जावें। इसलिये इस चीज में थोड़ा विलम्ब करना और अन्धेरे में डालना उचित नहीं होगा। मैं यह कहूंगा कि लड़कों के लिये भी समय आवेगा और इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत होगा। जिस समय वह आवेगा उस समय उसको भी विधान सभा में लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोनों को एक साथ मिला देना, मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ चक्कर पड़ जावेगा। दहेज प्रथा भारतवर्ष में एक प्रकार का कोढ़ है, अतः इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किये जाने के लिये इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे और वहां भेज कर इसको पारित किया जावे, यही मेरी मंशा है।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : सभापति महोदय, यह जो दहेज बिल सदन के समक्ष पेश हुआ है··········

श्री सभापति : I have noted the names of the Hon. Members and they will speak by name.

श्री सूबेदारसिंह : (जारी) इसके बारे में श्री तनसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इस को जनमत के लिये प्रसारित किया जावे, मैं इसका विरोध करता हूँ। यह दहेज की प्रथा वास्तव में हमारे समाज की वह प्रथा थी जिसके कारण जब हमारे माता-पिता अपने लड़के और लड़की का सम्बन्ध करते थे उस वक्त लड़की वाला यह सोच कर कि उसके चार लड़के हैं और दो लड़कियां हैं उनका बराबर हिस्सा होना चाहिये जबकि कानूनन या सामाजिक हिस्सा नहीं हो सकता था। इसलिए माता-पिता लड़की को कुछ दहेज के रूप में वर पक्ष को दिया करते थे और वे यह महसूस करते थे कि कुछ धन के रूप में, कुछ अर्थ के रूप में दिया जावे जिससे वे लोग अपना नया घर बसा सकें और दाम्पत्य जीवन बना सकें। लेकिन धीरे धीरे यह प्रथा कुछ उग्र रूप धारण कर गई। वह यहां तक बढ़ गई कि वास्तव में इसको दहेज न कह कर क्रय और विक्रय कहें वैसी प्रथा हो गई। ऐसा हो गया कि चाहे वह लड़का काबिल हो, चाहे नाका-

(श्री सूबेदारसिंह)

बिल हो, यदि उसका घराना सम्पन्न है, यदि उसका व्यापार ठीक चलता है, उसका लेन-देन ठीक चलता है या उनके पास चार पैसे हैं तो वह अपने लड़के की कीमत बराबर लेना चाहता है और वह लड़की तब ही लेता है जब उसको भारी रकम मिलती हो। इसलिये पुरानी जो दहेज की प्रथा थी वह समाप्त हो गई और इसी से हमारे समाज का ढांचा तहस-नहस हुआ। हमने देखा है, आपने देखा हो या नहीं, लेकिन कुछ धनी-मानी हमारी जाति में भी होते हैं उन्होंने यह सोचा कि मेरे पास इतना धन है, मैं इसको किस तरह से बर्बाद करूं। वह अपनी लड़की कि शादी में अनाप-शनाप दे देता है। उसका छोटा भाई होता है उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है फिर भी जिस समय वह अपनी लड़कियों की शादी करता है तो उसको भी उतने ही रुपये दे देने चाहिये यह सोच कर वह उतने ही रुपये देता है और नतीजा यह होता है कि वह अपना बना-बनाया ढांचा बिगाड़ देता है और जो अपने पास होता है वह दहेज में दे डालता है। इसलिये हमारे समाज की आर्थिक व्यवस्था तो बिगड़ती हो चली गई और आज हम गरीबी का बोलबाला देख रहे हैं। इसका यही एकमात्र कारण है, सभापति महोदय, यदि इस प्रजातन्त्र के युग में हमें आर्थिक विकास करना है तो हमें निश्चय ही इसको समाज से हटाना पड़ेगा। कुछ मित्रों ने यह दलील दी कि पब्लिक की राय के लिये इसको भेजा जावे और उन्होंने बम्बई में ड्राई एरिया का जिक्र किया। यह कहा कि बम्बई में सरकार ने ड्राई एरिया डिक्लेयर कर दिया मगर फिर भी शराब बन्द नहीं हुई। मैं यह कहूँगा कि यदि उसके लिये जनमत लिया जाता तो उन लोगों की राय जो शराब पीने वाले थे कभी यह नहीं बताती कि इसको ड्राइ एरिया घोषित किया जाए। इसका नतीजा यह हुआ कि जो शराब पीने के आदी थे वे तो रुके नहीं, मगर नये पीने वाले तो नहीं पी सके। प्रचार से हम सामाजिक व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं लेकिन हम देखते हैं कि कानून के बनने से अवश्य ही धीरे धीरे इस पर असर होता है। हमारे यहां शारदा बिल पास हुआ था और निश्चय ही हमारे यहां छोटे छोटे बच्चों की शादियां भी अभी होती हैं लेकिन जिस समय यह बिल पास हुआ था उस समय क्या दशा थी ? छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थीं लेकिन धीरे धीरे इसका यह असर हुआ कि छोटे छोटे बच्चों की शादियां स्वतः ही बन्द होती जा रही हैं। यदि यह कानून भी पास हो जाता है और जल्दी से जल्दी पास हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि समाज में जो मौजूदा रुख है वह बदल जावेगा। सभापति महोदय, यह बड़े और छोटे का सवाल नहीं है। हर एक व्यक्ति के लड़के और लड़कियां होती हैं। किसी के दो भाई हैं तो किसी के दो बहिनें। जिस समय वे अपने लड़कों की शादियां करते हैं तो टीका मनमाने ढंग से लेते हैं। लड़की वाले १०, २० हजार रुपये टीके के देते हैं। यहां तक देखने में आया है कि जिस बिरादरी का मैं रहने वाला हूँ उसमें यह रिवाज है कि पहले यह तय किया जाता है कि इतना रुपया टीके पर और इतना लगन पर और इतना दरवाजे पर देंगे। जहां पर अच्छे सम्बन्ध होने चाहिये वहां पर हमने यह देखा है कि किसी व्यक्ति ने टीके पर भी दिये, लगन पर भी दिये और दरवाजे पर नहीं दिये तो जबर्दस्ती रुपया दरवाजे पर लिया जाता है

(श्री सूबेदारसिंह)

और अगर नहीं दिया जाता है तो उसका नतीजा होता है कि लड़के की शादी होने के बाद जिस समय लड़की सुसराल जाती है तो बराबर सुसराल वाले ताने कसते रहते हैं। जहां हमने अपनी लड़की को अच्छी तरह से पाला, पढ़ाया और उसकी शादी में रुपये खर्च किये और दहेज में कुछ कम दे सके और उससे ज्यादा न दे सके तो लड़की को दूसरों के घर जाने पर ताने सुनने पड़ते हैं, यह कितनी बुरी बात है। आखिर दिल उसके भी तो है। वह अपने मां-बाप के लिये इस तरह से नहीं सुन सकती।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में कहना अधिक नहीं होगा कि आज भी शादी के बाद ऐसे केसेज़ मिलते हैं कि लड़कियों ने आत्म-हत्यायें कर ली हैं और वे अपने मां बाप की निन्दा नहीं सह सकीं। यदि इस बिल को जनमत के लिये भेजा जावेगा तो इससे सबसे पहला नुकसान तो यह होगा कि जिस तरह से आठ महीने पहले यह बिल पेश हुआ और अब तक न आया तो यह देर हुई, फिर भी इसको यदि जनमत के लिये भेजा गया तो उसमें देर होगी और उसके बाद फिर इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये मांग होगी और इस प्रकार से धीरे-धीरे करके इसको पास करने में देर ही होगी। जनमत का जहां तक सवाल है मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि आज प्रजातन्त्र के युग में हम रह रहे हैं। यदि कोई चीज जनता के सामने जाती है उसके लिए आज देश में राजनैतिक दल मौजूद हैं वे जनता को समझाते हैं कि आज इस दहेज प्रथा को रखने से समाज का कितना नुकसान हो रहा है और उससे समाज को बचाना है और यह सब ही दिल में जानते होंगे। चूंकि एक राजनैतिक दल ने यह सवाल उठाया इसलिए दूसरा राजनैतिक दल राम की दुहाई देकर.........

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या आप में राम नहीं है ? क्या आप में से राम निकल गया है ?

श्री सूबेदारसिंह : (अपना भाषण जारी रखते हुए) : राम के विवाह के वक्त की दुहाई देकर कि राम को राजा जनक ने दहेज में क्या क्या दिया था यह कह कर जनता को गुमराह करेगा। मेरे मित्रों ने दलील दी है और यह देखने में भी आता है कि २७, २७ वर्ष की लड़कियों का विवाह नहीं हो सका है। इसी प्रथा के कारण लड़कियां आजन्म कुंवारी रह जाती हैं और इसलिए उनका विवाह नहीं हो सकता कि उनके मां-बाप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका घर सम्पन्न नहीं है कि वे दहेज दे सकें और उनका विवाह कर सकें और वे उनको गरीब घरों में देना नहीं चाहते। यह जो आज समाज की व्यवस्था है यदि इस दहेज प्रथा को हटाया नहीं गया तो इससे भी अधिक खराब होगी। इसमें यह रखा गया है कि ५००) रुपया से अधिक दहेज के रूप में न दिया जाय। मैं समझता हूं कि ५००) रुपया की रकम एक बहुत बड़ी रकम होती है। हां, बड़े आदमियों के लिए यह रकम कुछ न हो। गरीब आदमी इस रकम में सारी शादी और सेकन्ड मैरिज़ भी इससे कर लेता है। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द भी इसीलिए किया जा रहा है कि यदि इसमें कोई खामियां रह गई हों तो उसमें इसको दुरुस्त कर दिया जाय। मेरी राय तो यह है कि दहेज में एक रुपये से अधिक न दिया जाय। जो घर साधनसम्पन्न हैं और जो देना चाहते हैं तो जब लड़की विवाह के बाद वापिस घर को आती है तो वे उसको जितना

(श्री सूबेदारसिंह)

चाहे देते रहें । जब शादी हो गई तो बाद में झगड़ा क्या रहता है ? दूसरा सवाल यह भी आया कि लड़कों को तो दहेज दिया ही जाता है लेकिन लड़की वाला भी लड़की का दहेज लेता है ।

श्री मदनसिंह : देश में सर्विस मिल जाय तो फिर रुपया का क्या ?

श्री सूबेदारसिंह (जारी) : कर्म करेंगे तो सर्विस मिलेगी ।

यह कोई राजस्थान प्रान्त में ही प्रथा हो, यह कोई वैसे प्रथा नहीं है, वैसे आपको हर प्रान्त में ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है या किसी प्रकार से जिनकी नीयत डांवाडोल हो गई है, वे लड़कों वालों से लड़कियों का रुपया ले लेते हैं । वह दहेज नहीं कहलाता है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और जनमत के लिए नहीं भेजा जाय, जिससे शीघ्र पास हो जाय ।

श्री सभापति : श्री कालाबादल ।

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा) : सभापति महोदय, आज सदन में यह दहेज बिल पेश हुआ । वैसे देखा जाय तो किसी समय में दहेज कोई बुरी चीज नहीं थी। लड़की को अपने पिता की सम्पत्ति में से कुछ अंश देने के लिये यह प्रथा किसी समय में बनाई गई थी । लेकिन आज हम देखते हैं कि दहेज प्रथा बदल कर उसके स्थान पर एक सौदा हो गया है । कुछ नवयुवक इसी आशा पर पढ़ाई करते रहते हैं कि यदि अधिक पढ़ेंगे तो दहेज अधिक मिलेगा, वे कर्जा लेकर पढ़ते हैं और दहेज के भरोसे वे शिक्षित हो जाते हैं लेकिन लड़की का पिता परेशान होता है, वह लड़की को पढ़ा लिखा नहीं सकता । यदि वह अपनी लड़कियों को पढ़ाता है तो दहेज में देने के लिए लड़की के पिता के पास सम्पत्ति जमा नहीं होती और इसीलिए लड़कियां मूर्ख रह जाती हैं और लड़के आगे पढ़ जाते हैं, वे फेशन में पड़ कर, टाई के चक्कर में पड़ कर आशा लगाये रहते हैं कि अधिक दहेज मिलेगा और उधर इस प्रकार से लड़की मूर्ख रह जाती है । जब दोनों की दहेज मिलने की दृष्टि से पढ़े-लिखे लड़के के साथ बिना पढ़ी लिखी मूर्ख लड़की के साथ शादी हो जाती है । उसको दहेज तो मिल गया,लेकिन लड़की और लड़के दोनों में आपस में प्रेम नहीं बढ़ पाया आगे होता यह है कि दहेज तो खर्च हो गया और लड़की को जीवन भर रोना का रोना रहा । न तो उसको सुसराल में प्रेम मिला और न पिता के घर में । इसलिए उसका जीवन भार रूप हो जाता है, जिससे वह सुखी नहीं रह सकती । दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़की के पिता को दहेज के लिए क्या क्या अपराध करना पड़ता है ? उसको सम्पत्ति जमा करने के लिए चोरी करनी पड़ती है, रिश्वत लेनी पड़ती है, जुआबाजी करनी पड़ती है, लड़की की शादी के लिए उसको किसी भी तरह से रुपया जमा करना पड़ता है । उसको भ्रष्टाचार करना पड़ता है और इससे दुनियां भर का व्यभिचार बढ़ गया है । व्यभिचार इसलिए इतना (हंसी) बढ़ गया है कि लड़कियां जवान हो गई, उनकी शादी नहीं होती इसलिए मजबूरी से व्यभिचार होता है, ऐसी कई घटनाऐं देखी जाती है ।

कई सदस्यों ने यह बताया कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजना चाहिये । मैं यह कहूंगा कि आज दहेज का रूप नहीं

Page No.56

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

रहा, किन्तु एक सौदेबाजी का रूप है। यह तो एक सौदा होगया और दहेज नहीं रहा। इस तरह लड़कियों का सौदा हो गया, छोटी छोटी कौमों में देने को पैसा नहीं होता, लड़की वाले और लड़के वाले दोनों देते हैं और इस तरह से एक क्रय-विक्रय हो गया और इस प्रकार से एक क्रय-विक्रय का धन्धा चल रहा है। कई लड़कियां देखने को मिलती हैं, २२-२३ वर्ष की उम्र हो गई, जवान हो गई और वह क्वारी ही डोलती फिरती हैं। जिस घर में छः सात लड़कियां हैं वहां आये दिन घर में पति-पत्नी में झगड़ा होता रहता है, लड़की की मां लड़की के पिता से लड़ती है, कहती है कि जवान जवान लड़कियां डोलती-फिरती हैं, पड़ोसियों को चैन नहीं लेने देतीं। लड़की का पिता भी परेशान है, वह इस (हंसी) से तंग आकर घर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल कर पड़ोसियों से लड़ मरता है। इस तरह से घर की लड़ाई जनता में फैलती है। मुकदमेबाजी होती है और वह भी परेशान होकर यदि किसी अफसर के पास जाता है, वह उससे झगड़ पड़ता है। इस तरह से इस दहेज प्रथा ने क्या क्या अनर्थ कर दिया है। अफसर का तबादला हुआ और इस प्रकार झगड़े फैलते हैं। अफसर परेशान है, सरकारी कर्मचारी परेशान हैं, रिश्तेदार परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, लड़की मूर्ख रहती है।

श्री सभापति : कालाबादलजी भी परेशान हैं ?

श्री भैरवलाल कालाबादल : काला बादल भी परेशान है, इसलिये कि आये दिन झगड़ा होता है।

एक माननीय सदस्य : यह घर की बात है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मेरे एक बच्ची है, अभी शादी लायक नहीं हुई लेकिन उन सदस्यों के जिनके छः छः सात सात लड़कियां हैं, जो बड़ी हो गई हैं, दहेज देना है, एक तरफ चुनाव लड़ना है और दूसरी तरफ छः सात चुनाव उनके सामने आ रहे हैं, उनका क्या हाल है। इसलिए इस सारी परेशानी से बचने के लिए इस बिल को जनमत के लिए नहीं भेजना चाहिये; आप हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं और चुनकर आये हैं, उनको समाज की व्यवस्था को बदलने का अधिकार है। पहले जो दहेज-प्रथा बनाई तो इसी प्रकार से चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों ने ही बनाई, उस समय तो इसका रूप अच्छा था, किन्तु आज यह प्रथा भ्रष्टाचार की ओर बढ़ गई है और इसने देश में एक कलंक पैदा कर दिया है, लड़कियों की जिन्दगी खतरे में डाल दी है, माता-पिता को परेशान कर दिया है, सारे देश को परेशान कर दिया है। इसलिए यदि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाय तो उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ। मैं यह मानता हूँ कि इस प्रकार की प्रथा को खत्म कर देना चाहिये। इसके अलावा इसमें कुछ और भी बातें मिलानी चाहियें। कुछ जातियों में ऐसा भी होता है कि लड़की वाले भी लड़कों वालों से पैसा लेते हैं। यह व्यापार एक तरह से दोनों तरफ से हो गया है। कई जगह लड़की वाले लेते हैं तो कई जगह लड़कों वाले लेते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को दो चार रोज के लिए सिलेक्ट कमेटी में भेज कर इसी हाउस में इसको पास करना चाहिये। कितने हमारे माननीय सदस्य हैं जिनको

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

अगला चुनाव भी लड़ना है अगर उनके समय में कानून बन गया तो उनको दहेज के लिये रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा।

श्री सभापति : कइयों को तो चुनाव में इससे राहत मिलेगी।

श्री भैरवलाल कालाबादल : इस लिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को इसी सैशन में पास किया जाय।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में प्रश्न यह चल रहा है कि जो दहेज नियन्त्रण विधेयक सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय या जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। दहेज प्रथा कैसी है इस पर वाद-विवाद रखा जाय तो यह आज ही सदन में पास हो सकता है। लेकिन सवाल इसमें यह है कि जनमत के लिये जनता में प्रसारित किया जाय या इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ? यह बात सही है कि हम जनता को यह विश्वास दिलाकर आये हैं कि आपके हित अहित के जो भी कानून होंगे बिना आपकी सम्मति लिये पास नहीं करेंगे। मैं समझता हूं जनतन्त्रवाद में यह आवश्यक भी है कि जिन कानूनों का असर समाज के ढांचे पर पड़ता हो वे सब कानून जनता के विचार के लिये रखे जांय। इससे समाज में दृढ़ धारणा होगी और जनता के भले बुरे का निपटारा जनता द्वारा ही हो सकेगा। अगर जनमत लिये बिना जल्दी से इसको पास कर दिया गया तो यह ठीक नहीं रहेगा और जनता में भी इसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी। आपको विश्वास हो या न हो दहेज प्रथा वैसे भी खत्म हो रही है। समाज आज काफी प्रगति कर चुका है। अगर ऐसी चीज बन गई और इस प्रकार के बिल को पास कर दिया गया तो करप्शन बढ़ेगा। कारण इसका यह है कि जो अपनी लड़की देना चाहता है वह तो येन-केन प्रकारेण पैसा चौड़े में न देकर के छिपी तौर पर दे सकता है और देगा भी। पैसा नहीं तो पैसे के बजाय सर्विस भी दी जाती है, अच्छे अच्छे लड़कों का सौदा इसी प्रकार पोस्टस् का लोभ देकर लोग करते हैं। अगर हमने इस प्रकार का कानून बना दिया तो जो भ्रष्टाचार आगे ही बहुत बढ़ा हुआ है वह दुगुना चलेगा। ब्लॉक्स में किसी लड़के को भेजा जाय जो हमारी लड़की के लिये अच्छा रहेगा, आज कल इस प्रकार की बातें हो रही हैं, उल्टा कानून बना कर जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको हम दुगुना प्रोत्साहन देंगे। आजकल दहेज का रूप यह भी हो गया है कि किस प्रकार की पोस्ट दिला कर लड़की की शादी की जा सकती है। मुझे तो यह बहुत छोटी बात मालूम हुई कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य जो बिल पेश करते हैं अपने घर से निबट निबटा कर अपना रास्ता साफ करके अब इस प्रकार का बिल लाते हैं, वे सोचते हैं. चलो अपने यहां जो लड़कियां थीं वे तो निकाल दीं, साठ साठ बरस के हो गये, यहां आकर विराजमान हो गये और कहने लग गये कि यह प्रथा अब बन्द होनी चाहये।

एक माननीय सदस्य : बिल रखने वाले माननीय सदस्य तो तीस वर्ष के नवयुवक ही हैं।

श्री मदनसिंह : (अपना भाषण जारी रखते हुए) हो सकता है बिल रखने वाले नवयुवक हों, किन्तु बिल रखने वालों के पीछे जिनका

Page No.58

(श्री मदनसिंह)

हाथ है, उनकी आयु तो ६० वर्ष की है । यह तो एक छोटा सा प्रश्न था सिलेक्ट कमेटी में अगर इसको भेजा जाता है तो वहां भी सिलेक्टेड लोग होंगे, वे विचार करेंगे, इससे अच्छा तो यह तरीका है कि इससे जनता का सीधा संबन्ध है इसलिये इसे जनता का मत जानने के लिये प्रसारित किया जाय । जनता ही इस पर विचार करे और जनता ही इस पर विचार प्रगट कर सकती है । अन्यथा क्या होगा सिलेक्ट कमेटी में बैठकर कुछ लोग जैसा पास करेंगे वैसा सदन में भी पास हो जायगा । उसके बाद होगा क्या कि जिस प्रकार राजस्व मंत्री महोदय को ९वां,१०वां संशोधन लाना पड़ा है उसी प्रकार इस बिल में सन् ६२ तक नाना प्रकार के संशोधन आते रहेंगे । प्रजातंत्र की मांग है कि जनता के सामने इस प्रकार के बिल रख देने चाहिये । क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि अगर कोई अमेरिकी जवांई भाई हो तो उसको देने पर तो आर्थिक संकट आ सकता है लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, जो भी कुछ रुपया-पैसा दिया जायगा वह हमारे यहां ही रहेगा । इस प्रथा से कई छोटे-छोटे घराने के लड़कों को बड़े अच्छे घर की लड़कियां तक मिली हैं और साथ में खूब पैसा भी मिला है, लाखों रुपयों तक मिला है । यह तो सोशलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी के लिए आवश्यक है । यह एक बड़ा अच्छा सीलिंग है । जनता से बहुत पैसा निकल सकता है और जहां नहीं होता है वहां जा सकता है । यह भी तरीका ठीक नहीं तो हमारे हिन्दू कोड बिल के अन्दर कानून बना रखा है, सिविल मेरिज के जरिये आज हरिजन लड़की की ब्राह्मण लड़के के साथ शादी हो सकती है । इसलिए उन लोगों को चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि इसके बिना उनकी लड़कियां क्वांरी रह जायंगी । हरिजन भाई ब्राह्मण की लड़की के साथ शादी कर सकते हैं, अदालत में जाकर कर सकते हैं किन्तु होना चाहिये आपस में प्रेम । इसलिए जिनके ज्यादा लड़कियां हैं उन पर भी कोई संकट आने वाला नहीं है ।

दूसरी बात यह भी कही गई कि बाईस-तेइस साल की जिनके घर में लड़कियां हैं वे बदमाश हो जायेंगी । इसके लिए चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं । हमारी सरकार ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने का भी कानून बना रही है और डॉक्टर लोग भी ऐसा नुस्खा निकाल रहे हैं कि अगर बच्ची के पैदा होते ही उसका इलाज करा लिया जाय तो आजन्म सन्तान पैदा होगी ही नहीं । इस तरह से जहां परिवार नियोजन के लिए सरकार कानून बना रही है वहां लड़कियां ज्यादा पैदा ही नहीं होंगी । अगर हम इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज देते हैं तो यह उन लोगों के साथ विश्वासघात होगा जिनको हम यह कह कर आये हैं कि आपके हिताहित के जो भी कानून होंगे वे आपके बिना पूछे नहीं पास करेंगे । इसलिए भी यह आवश्यक है कि इस बिल को जनता की राय के लिए प्रसारित किया जाय । सिलेक्ट कमेटी में तो वे कानून जाते हैं जिन पर आम सदस्य विचार नहीं कर सकते । अच्छे अच्छे सिलेक्टेड सदस्य सिलेक्ट कमेटी में बैठ कर कानूनी भाषा को ठीक प्रकार से समझ सकें, उस अवस्था में सिलेक्ट कमेटी में जाना आवश्यक होता है । दूसरा कानून भी आ रहा है बच्चे ज्यादा पैदा न हों, उसको भी कन्ट्रोल कर रहे हैं । लेन-देन को कन्ट्रोल कर रहे हैं । अब सिर्फ एक श्वांस बाकी रह गया है जिसको कन्ट्रोल नहीं कर पाये । हो सकता है उसके लिए भी कानून बन जाय । भारत के संवि-

(श्री मदनसिंह)

धान के अन्दर हर एक को धार्मिक स्वतन्त्रता है। उस पर भी हम कानून लागू कर देंगे तो यह उनकी धार्मिक आजादी पर आघात होगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के बजाय जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति जी, एक गैर सरकारी विधेयक यहां सदन के समक्ष उपस्थित हुआ और इसके ऊपर दो प्रकार के संशोधन आये। एक इस पक्ष में कि इस विधेयक को ठीक तौर से कानूनी रूप देने के लिये और पूर्ण व्यावहारिक बनाने के लिये प्रवर समति के समक्ष भेजा जावे और दूसरा यह कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जावे।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जो सामाजिक नियम होते हैं उनको अधिक से अधिक व्यापक और अधिक से अधिक ग्राह्य बनाना चाहिये, यह एक सर्व मान्य सिद्धान्त है। इस दृष्टि से अगर इसे प्रवर समिति में भेजा जा रहा है, तो उचित ही है।

पर जहां तक जनमत लेने का प्रश्न है, जनमत आज इस प्रश्न पर इतना जाग्रत हो चुका है कि आज सन् १९५८ में यह बात हम कहें कि इस प्रकार का एक सामाजिक नियम बनाते हैं और उस पर हम फिर से जनता की राय चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि हम आज जनता पर विश्वास नहीं करते, उसकी बुद्धि का उपहास करते हैं, जनता की समझदारी और उसकी सूझ-बूझ पर विश्वास नहीं करते। हमारे देश में लगभग ५०-६० वर्ष से समाज सुधारक के रूप में इतने महापुरुष हो गये हैं, इतनी समाज सुधारक संस्थाएं पैदा हो गई हैं कि जिन्होंने इसके लिये जनमत काफी जाग्रत कर दिया है और इस जनमत से प्रभावित होकर ही तो, जैसा मेरे एक पूर्व वक्ता ने कहा, कुछ जातियों ने अपनी सभाएं की हैं, अपना संगठन बनाया है, कुछ नियम बनाये हैं, प्रस्ताव पास किये हैं, कुछ समाजों ने इस प्रकार का निश्चय किया है जो उन उन समाजों में और जातियों में वे प्रचलित भी हैं कि दहेज प्रथा को समाप्त कर दिया जाय। पर देखने में यह आता है कि समाज में भी जो सबसे अधिक शक्तिशाली हैं पैसे के बल वाले हैं, वे पैसे के बल से, कुछ भाइयों के बल से या और दूसरे बल से वे कुछ भी कर लेते हैं और समाज के नियमों की परवाह नहीं करते, उनके सामने जाति और समाज वाले चुप रह जाते हैं। कोई कानून अच्छा है पर व्यवहार में आज हम देखते हैं कि सामज के कानून भी गरीब, निर्बलों और कमजोरों के लिये होते हैं। जो धींग होता है, जबर्दस्त होता है सामाजिक और जातीय सभाओं के नियमों का उन पर अधिक असर नहीं होता है। इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि राजनैतिक आधार लिया जावे और उनके लिए सरकारी तौर पर कानून बनाया जावे।

शारदा एक्ट, जिसकी बहुत चर्चा की जाती है, उसके सम्बन्ध में बहुत प्रचार पहले से होता रहा और करीबकरीब बहुत थोड़े ऐसे लोगों को छोड़कर जो शिक्षा और नई सभ्यता से बहुत ही दूर गए हैं आज लोग इसे ठीक समझने लगे हैं कि बारह तेरह वर्ष के बच्चों की शादी न करके अठारह, बीस या पच्चीस वर्ष के लड़कों की शादियां करनी चाहिये। पर फिर भी जब तक इसको कानूनी रूप नहीं दिया गया तब तक उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। यह मैं मानता हूँ कि कानूनी रूप देने

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

के बाद भी पूरा पालन उसका नहीं होता। कुछ लोग इसमें भी बहादुरी समझते हैं कि वे सरकारी कानून तोड़ सकते हैं।

अब इस कानून में खामियां हो सकती हैं, छोटी-मोटी। पर आज इसकी आवश्यकता अनिवार्य है। फिर यह कोई ऑफीशियल—कानून है भी नहीं। हमारे जैसे ही एक सदस्य महोदय ने इस बिल को पेश किया है। मैं समझता हूँ कि दहेज एक सामाजिक कुप्रथा है, हमारे इस राज्य में ही नहीं, सारे देश भर में और इससे सभी दुखी हैं; लड़के वाले और लड़की वाले सभी दुखी हैं।

चाहे हम कन्या विक्रय को कितना ही पाप मानते हों पर कुछ समाज और जातियां ऐसी हैं जिनमें कन्या-विक्रय अभी तक प्रचलित है, इसके लिये मांगे हुए पैसे न देने से उन कन्याओं की दुर्दशा ही होती है। अवधाहित रह जाती हैं उस हालत में ही नहीं, विवाहित हो जाने के बाद भी, परिवार में इतना आदर सम्मान नहीं होता, जितना पैसा देकर पहुंची होती, तो होता। तो लड़की पर पैसा देना और लड़के पर पैसा देना दोनों ही दोष के भागी हों, ऐसी व्यवस्था इसमें होनी चाहिये और इतना अच्छा रूप देने के लिये हम इसे प्रवर समिति में भेजना उचित समझते हैं।

हम दुःख के साथ यह भी अनुभव करते हैं कि हमारे यहां अच्छे से अच्छा कानून बन जाता है पर कानून की चोरी करने वाले उसमें से भी कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं और इससे बड़े बड़े वकील और कानून विधायक भी चक्कर में पड़ जाते हैं। मकान का किराया—कन्ट्रोल कानून बना, काश्तकारों का कानून बना, नियम बने कि इतने से अधिक किराया इस मकान का नहीं लिया जावे। पर इसमें से भी रास्ता निकाल लिया कानून तोड़ने वालों ने। बम्बई, कलकत्ता ही नहीं, आज तो जयपुर तक में पगड़ी सिस्टम चल पड़ा है। किराया ज्यादा मत दो, पर पहले पेशगी ही इतना दे दो कि कानून व्यर्थ हो जाता है जो न लिखत में आता है न पढत में और इस प्रकार कानून को तोड़ने की मंशा को वे पूरी कर लेते हैं। इन परिस्थितियों में कम से कम हम अपनी ओर से इतनी सावधानी अवश्य बरत लें कि यह कानून अपने आप में मुकम्मिल और पूर्ण बन जाय, इतना निर्दोष अवश्य बन जाय कि जिसमें इस तरह की चीजों की कम से कम सम्भावना रहे।

हमारे एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि सर्विस देते हैं, पढ़ाने का पैसा भी देते हैं, लेते हैं। मैट्रिक पास कर लिया है तो वे कहेंगे की आगे बी. ए., एम. ए. हम करावेंगे, विलायत जाने का खर्चा भी लेते-देते हैं। तो यह तो अलग अलग रीति-रिवाजों पर निर्भर है, पर हैं सभी कुरीतियां। इन सबको दूर करने के लिये उपयुक्त कानून बने। इसमें अपनी इच्छा से अफोर्ड कर सकता हो कोई तो उसमें रोक करने में दिक्कत है, पर जो एक तरह से बलपूर्वक पैसा छीना जाता है, इच्छा के विरुद्ध जो पैसा लिया जाता है, उसकी पूरी तौर से रोकथाम हो।

हम सोशलिस्टिक पैटर्न के राज्य की बात करते हैं और उसको इसमें घटाने की बात कहते हैं। मैं समझता हूँ कि यह सोशलिस्टिक पैटर्न का उपहास करना है। इच्छा के विरुद्ध लेना समाज-सुधार के नाम पर इसमें कहीं समाजवाद का सवाल ही नहीं है। मान लें जागीरदारी और जमींदारी कानून हैं ...

श्री मदनसिंह : बड़े बड़े चन्दे उगाहे जाते हैं, वे भी इच्छा से हैं क्या ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : (अपना भाषण जारी रखते हुए) वे इच्छा से ही तो लिये जाते हैं। लोग इच्छा से ही देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी हिमायत करना यहां ठीक नहीं है। कोई भी कानून बने तो ऐसा बने कि लोग उसका दुरुपयोग न करें। इसके लिये प्रवर समिति में इसका जाना जरूरी है।

जनमत की बात करना, इसमें जनमत केवल इतना ही कह सकता है कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिये। अब कोई कोशिश ही करे, जाकर उनके अन्दर इसका विरोध करे ही, तो बात दूसरी है और वह भी कोई बहुत विरोध होगा ऐसा मैं ही नहीं, कोई भी माननीय सदस्य नहीं मान सकते। फिर भी किसी भी मंच से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, कोई भी जनता का वर्ग, समुदाय, समाज या संस्था ऐसी नहीं होगी, जो यह कहेगी कि दहेज प्रथा अच्छी है या यह धार्मिक प्रथा है जिसके मिट जाने से धर्म और संस्कृति मिट जावेगी। मैं कहता हूं किसी भी धर्म-ग्रन्थ में इसका उल्लेख नहीं है। गोधन, कन्याधन आता है, पर यह प्रथा नहीं कि दस-दस हजार, बीस–बीस हजार दे दो, हाथी दो, जेवर दो, रेफ्रीजरेटर, मोटर कार और न जाने क्या क्या चीजें आज दी जा रही हैं। उनका उन धर्मग्रन्थों में कहीं उल्लेख नहीं है। इस तरह की चीजों को रोकने के लिये कानून बनाया जा रहा है। अगर यह धर्म के प्रतिकूल कानून होता तो मैं पहला आदमी होता, इसको जनमत के लिये प्रचारित करने की बात कहने वाला। मैं भी उनकी जनमत की बात का समर्थन करता, अगर यह समझता कि इस कानून से कोई धार्मिक बाधा आकर पड़ती है या कि आज की जनता इस प्रकार के सामाजिक सुधार के कानून बनाने की बात को पसन्द नहीं करती। मैं समझता हूँ बात ऐसी नहीं है। आज जो नुमाइन्दे यहां जनता के बैठे हैं, वे ऐसा कानून बनावें। आज कन्या के माता पिता दुःखी हैं। सारी उम्र कमाई करके भी फटेहाल रहते हैं। सारी उम्र की कमाई कन्या के लिये सुरक्षित रखते हैं कि वर पक्ष को देना होगा और इस तरह से वे जन्म भर भी कुछ पैसा नहीं जुटा पाते। उधर सुयोग्य कन्याएं नहीं मिलतीं तो कुछ वर के माता-पिता को भी चिन्ता रहती है। इसलिये इन दोनों प्रकार की चिन्ताओं को मिटाने के लिये इस कानून का बनना बहुत जरूरी है। आज जनमत बिल्कुल इसके प्रतिकूल नहीं है। सिर्फ इस प्रयोजन के लिये कि कानून त्रुटिपूर्ण न रह जावे इसको प्रवर समिति में भेजना आवश्यक समझ सकते हैं। ५०१) की राशि रक्खी गई है। इसको कम-ज्यादा भी किया जा सकता है।

२ म० प०

लेकिन कानून से दहेज के इस रूप को जैसा कि दिखावे के रूप में देते हैं, प्रदर्शन के रूप में देते हैं कि इतने हजार रुपये दे रहे हैं गिन गिन कर बतलाते हैं, कार दे रहे हैं, घोड़ा दे रहे हैं और ये ये चीजें दे रहे हैं, इस तरह के प्रदर्शन के रूप में बन्द कर सकते हैं, लेकिन जो गुप्त रूप से देने की चीज है, जो पेशगी के रूप में दिया जाय, पगड़ी के रूप में दिया जाय, मैं समझता हूं, उसकी भी रोकथाम होनी चाहिये। मैं यह समझता हूँ कि सदन के जो सदस्य इस बिल को प्रवर समिति में बैठें, वे पूरी तरह से इस बात पर विचार करें कि

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

राजस्थान के लिए पूरा कानून बनाया जाय। किसी प्रकार की त्रुटि इसके अन्दर नहीं रहे, और इसमें ज्यादा देरी नहीं करें। देरी करने की यह चीज है कि इसको वापिस जनमत के लिए प्रसारित किया जाय तो इसमें तीन से छः महीने के बाद फिर वह यहां आये और फिर प्रवर समिति में जाय और इस तरह से साल दो साल यों ही निकल जायें। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप कल तो कर चुके हैं और कल के लिए कानून बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत देर निकल गई है और न मालूम कितने दहेज देने वाले इसके नीचे पिस गये हैं। इस लिए इसको जल्दी से जल्दी लेना चाहिए इसका सबसे अच्छा रास्ता यह है कि इसको मैं मुकम्मिल नहीं मानता हूँ कि आज ही इसको पास कर दें, इसको प्रवर समिति में भेजना चाहिये और प्रवर समिति के सदस्य हर दृष्टि से देखकर, कानूनी दृष्टिसे, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अच्छे से अच्छे नियम बनायें और व्यावहारिक रूप दें। इस काम के लिए इसको प्रवर समिति में देना उपयुक्त होगा। इसलिए इस प्रस्ताव का इस रूप में समर्थन करता हूँ कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री हरप्रसाद: माननीय सभापति महोदय,........

श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी। (श्री हरिप्रसाद से) आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभा पति महोदय,....

श्री सभापति : आपकी तो कोई समस्या नहीं है।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : परन्तु जिनके वोट लेकर यहां आया हूं उनकी तो है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इनको कोई शादी नहीं करनी है बिना दहेज लिये।

(हंसी)

श्री सभापति : आप जारी रखें।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल हाउस के सामने आया है यह एक मेरे भाई ने बहुत पहले पिछली असेम्बली में भी रखा था और उसके ऊपर काफी बहस हुई थी, परन्तु दुर्भाग्यवश उस धारा सभा में वह पास नहीं हो सका। उसके बाद अब यह बिल इस धारा सभा में आया है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनमें यहां जितने भी धारा सभा के मेम्बर हैं वे इन कुरीतियों को अपने घर के अन्दर से हटा दें तो भी आज राजस्थान का सबसे बड़ा भला हो सकता है। मगर बिल पास करने पर भी यह हालत है कि उसका पूरा व्यवहार नहीं होता माननीय सदस्य, इस धारा सभा में बैठने वाले, इस कानून को पास करने वाले, इस बिल के ऊपर पूरी तरह से अमल करें, क्योंकि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दें तो भी दिक्कत क्या? मैं तो यह मानकर चलता हूँ कि इस बिल को जनता की राय लेकर और इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करें और उस कानून का पूरी तरह जो लोग यहां पर बैठे हैं वे पूरी तरह से पालन करें तो आज राजस्थान के अन्दर दहेज प्रथा जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई अन्दाजा नहीं है वह मिट सकती है। और इससे कई ऐसे लोग परेशान हैं कि जिनके पास आज खाने के लिए नहीं है और उनकी लड़कियां बहुत बड़ी बड़ी हैं,

Page No.63

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

पढ़ी भी हैं, परन्तु लड़के नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो वे पैसा मांगते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप तो नहीं मांगते हैं कुछ भी ?

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : आपसे नहीं मांगूगा। लेकिन उस तरफ बैठने वाले सारे मेरे जैसे नहीं हैं। मेरे जैसे प्रवर समिति में क्या करेंगे ? बिल तो इस वक्त आया है उसके लिए सब लोग कर चुके हैं, घर में सब करके बैठे हैं और कुछ मैंने भी नहीं किया है और न करने वाला हूं।

श्री तेजमल बापना : रूस में क्या है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : रूस में क्या है वह बताऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि राजस्थान के अन्दर पहले पर्दा प्रथा थी और उसके बाद दहेज प्रथा भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। परन्तु हम लोग कोई भी चीज पास करें इस धारा-सभा में, तो मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास करते हुए यह अपने दिल में जरूर तय कर लें कि हमको सारी कठिनाइयों को उठाते हुए भी, दिक्कतें उठाते हुए भी इस बिल का जरूर पालन करेंगे जिससे कि दूसरे जो लोग हैं, जनता के जो लोग हैं, वे भी उन सदस्यों की देखा-देखी जरूर पालन करेंगे। वे इस बिल का जरूर पालन करेंगे, नहीं तो मैं, सभापति महोदय, आपसे प्रार्थना करूंगा कि भले ही इस बिल को पास नहीं करें इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसके अन्दर हमारे जैसे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जिनके बाल-बच्चे हैं, यहां बैठे हैं, उनका ही बिगड़ेगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा।

श्री अर्जनदास : आपने शादी नहीं की है क्या ?

एक माननीय सदस्य : नहीं की है।

श्री अर्जनदास : इसीलिए यह कह रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ऐसी हालत में यह पास बहुत जल्दी हो जाना चाहिये था और अभी भी हाउस के सारे मेम्बर बैठकर यह तय कर लें, इस बिल को भले ही न तो सिलेक्ट कमेटी में और न जनता में भेजकर यह तय कर लें कि दृढ़ता के साथ हम इस बिल को बनाते हैं तो इसका पूरी तरह से पालन करेंगें, तो आज ही इस बिल को हाउस के अन्दर लिया जाय, तो मेरे को कोई एतराज नहीं है। परन्तु जिस तरह से कई बिल पास होने के बाद उन बिलों का पूरी तरह से पालन नहीं हो पाया है वैसी हालत में साल छः महीने में जिनके लड़के हैं उनको दहेज लेना हो और जिनके लड़कियां हैं उनको दहेज देना हो तो आपकी मर्जी की बात है। अब तक इस बिल को पांच साल हो गये, और दो-चार साल निकल जायेंगे, और दूसरी असेम्बली आ जायगी, तो उसमें देखा जायगा, यह आप लोगों की मर्जी की बात है कि इस बिल को आगे बढ़ाया जाय। परन्तु यह दहेज प्रथा इतनी खराब है, इतनी रद्दी है कि इस बात से आदमी बर्बाद हो जाता है, परेशान रहता है, दुःखी रहता है और वह अपना पूरी तरह से पेट नहीं भर सकता है, कपड़ा नहीं पहन सकता है।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

इस दहेज प्रथा के प्रभाव में आकर वह अपनी लड़की की शादी के लिये परेशान रहता है। इसलिये इस बिल को आप जैसे भी पास कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और आप इसके द्वारा गरीब जनता का काफी भला करेंगे। यह बिल पास करके राजस्थान में ऐसी मिसाल पेश कर दीजिये जिससे सारे हिन्दुस्तान के लोग कहने लगें कि राजस्थान में इस बिल को पास करके वहां के लोग हम लोगों से इतने आगे बढ़ गये हैं कि जो पुरानी रूढ़ियां पड़ी हुई थीं उन को खत्म कर दिया है और लोग बढ़ गये हैं। यह भी मैं, सभापति महोदय, बताऊं की राजस्थान में जितनी रूढ़ियां हैं उतनी दूसरे प्रान्तों में नहीं हैं और दूसरे प्रान्तों में भी राजस्थान के लोगों ने वहां जाकर इस रूढ़ि का प्रचार किया है। यदि इस रूढ़ि को राजस्थान में खत्म कर देंगे तो दूसरे प्रान्तों पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। इसलिये आपसे प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी इसे पास करें और यदि आपकी इच्छा इसे पास करने की नहीं है तो आप इसे देरी से पास कर सकते हैं।

श्री अनूपसिंह (चलोटरा): सभापति महोदय, आज हमारे समाने दहेज नियंत्रण कानून का जो मसला एक माननीय सदस्य ने रखा, उसको देख कर ऐसा मालूम होता है कि शायद हमने अपना आत्मविश्वास ही खो दिया है। लेकिन हम किसी सामाजिक तरीके से सामाजिक कुरीतियों को निकाल सकें तो ज्यादा अच्छा हो। हम देखते हैं कि हमारे सामने रोज कोई न कोई कानून समाज के खिलाफ आता है। कई तरह की ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और रोक नहीं सकते। कई ऐसी सामाजिक कुरीतियां हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और जिनके लिये हम चाहते हैं कि इनको रोका जावे, आज से ही नहीं कई वर्षों से और शायद पीढियों से चाहते हैं कि रोका जावे और उसके लिये पीढियां खत्म हो गई, लेकिन वे कुरीतियां नहीं रोकी जा सकीं। आज हम चाहते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को कत्ल नहीं करे। इसके लिये कानून बनाया गया है, कत्ल करना जुर्म रखा गया है, लेकिन कत्ल नहीं रुके। इसी तरह से लॉ में कई बातों को जुर्म माना गया है, लेकिन इन जुर्मों को रोकने के लिये स्टेट को मदद देनी चाहिये, उसके लिये सुझाव पेश करने चाहिये। लेकिन आज ऐसा कोई नहीं करता। यह कहना कि समाज के लिये फलां काम खराब है इसलिये इसको रोका जाय और उसके लिये कानून बनाया जाय, मेरी समझ में नहीं आता कि कानून बनाने से ही क्या हमारे समाज से कुरीतियां निकल जायेंगी? हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे समाज में कुरीतियां किस कारण से घुस आई जिनको निकालने में आज हम बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं। थोड़े दिनों पहले जोधपुर डिवीजन में यह कायदा था कि मृत्युभोज नहीं हुआ करेगा और अगर कोई मृत्युभोज करेगा तो करने वाले को, उसको सहायता देने वाले को और उसमें शामिल होने वाले को दंड दिया जायगा। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि मृत्युभोज नहीं रुका। वहां पर रुका जहां कि लोग पैसा नहीं दे सकते थे, वहां पर रुका जहां पर पुलिस वालों को बना नहीं सकते थे, वहां पर रुका जहां पर मजिस्ट्रेट को अपने अनुकूल नहीं बना सकते थे। जो लोग पैसा नहीं दे सकते थे, रिश्वतखोरी नहीं

(श्री अनोपसिंह)

करा सकते थे उनके यहां मृत्युभोज रुका। हो सकता है कि मृत्युभोज के लिये भी संकल्प आ जायगा। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये सामाजिक कुरीतियां हमारे अन्दर घुस गई हैं They are something innate in our society. ये कुरीतियां इनेट हो गई हैं इसलिये हमको लोगों की भावना बदलनी है। उन्हें यह समझाना है कि यह सब के लिये खराब है, ऐसी हैं, वैसी हैं, तब जाकर लोगों की भावना को बदल सकते हैं, वरना आप के कानून बनाने से और कानून बना कर जनता पर थोपने से कोई चीज रुकती नहीं है। मिसाल के तौर पर भाई दी वे, जैसे पहले बोलने वाले वक्ता ने कहा कि हम में से भी कई ऐसे आदमी होंगे जो इस कानून पर पाबन्द न रहें, मैं माननीय सदस्यों के सामने दूसरी बार कहूँगा कि हम जो यहां पर बैठे हैं उनमें से ऐसे कितने हैं जिन्होंने अपने यहां या अपने पड़ौस में शारदा एक्ट होते हुए भी लोगों को उस एक्ट को तोड़ने से रोका है या ऐसा करने वालों के खिलाफ गवर्नमेंट को इत्तिला दी हो या लोगों को ऐसा करने से रोका हो ? आपके पडोस में और मौहल्ले में न मालूम कितनी शादियां हुई होंगी जो गलत थीं। लेकिन, आपने कभी उसकी शिकायत की हो या गवर्नमेंट को या गवर्नमेंन्ट के कर्मचारियों को इससे अवगत कराया हो कि हमारे यहां कम उम्र वाले लड़के-लड़कियों की शादियां हो रही हैं जिन्हें रोका जाना चाहिये और खासकर उन माननीय सदस्यों से पूछूंगा जो उधर बैठे हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप में से ऐसे कितने आदमी हैं जिन्होंने इस तरह की चीज को रोका हो ? मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं निकलेगा। शारदा एक्ट कई दिनों से हमारे यहां लागू है, लेकिन आपने उसे तोड़ने वालों को रोकने की कोशिश नहीं की। यही हाल दहेज नियंत्रण का होगा। आपके मौहल्ले में, जान-पहचान वालों में से कोई दहेज देगा तो क्या आप उन पर दहेज नियंत्रण करेंगे ? लेकिन मैं जानता हूँ कि आप नहीं रोक सकेंगे। फिर क्या होगा यहां वक्त जाया करने से ? जिन्होंने शारदा एक्ट पास किया उन्होंने भी सोचा होगा कि इसे तोड़ने वालों को सजा दी जायगी, लेकिन उसका क्या हुआ ? कानून आप बनायेंगे और आपके हाथ से ही वह तोड़ा जायगा, आप उसे टूटता हुआ देखेंगे और कोई उसके विरुद्ध शिकायत नहीं करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कानून बनाकर ही चुप बैठ जांय इससे काम नहीं चलेगा, उसको एग्जीक्यूट कराने से ही काम चलेगा। जितने कानून बनते हैं उनसे पुलिस की एनार्की बढ़ती है, पुलिस राज्य बढ़ता है और होगा क्या ? मारे वे जायेंगे......

श्री मनोहर कोठारी : यह नोन कोग्नीज़िबल है।

श्री अनोपसिंह : किस तरह से इसका एग्जीक्यूशन होगा ?

श्री मनोहर कोठारी : प्राइवेट कम्प-लेन्टस पर होगा।

श्री अनोपसिंह : मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि शारदा एक्ट के खिलाफ आपने अपने पड़ौसियों की कितनी कम्पलेन्ट्स की हैं यह बतला दीजिये ! मेरे ख्याल से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कत्ल होते हुए देखा होगा आप में से भी, लेकिन आपने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया......

श्री सम्पतराज : ऐसा एक भी नाम बता दीजिये। यह आप अपने अनुभव सुना रहे हैं या और किसी के ?

श्री अनोपसिंह : मैंने सुना भी है और मैं नाम भी जानता हूँ, आप आगे मत पूछिये।

आज जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह देखते हैं कि हममें आत्मविश्वास की भावना नहीं आई है, इसको मानते हैं तो अच्छा रहेगा। यदि एक आदमी कोई गलती करता है तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश न करें, अगर कोई करप्शन करता है तो उसको हम-आप करने की कोशिश न करें तो काम चल जायगा। लेकिन यदि पता चल गया है कि अपना आदमी है, अपनी पार्टी का आदमी या अपने मौहल्ले का आदमी कोई गलती कर रहा है तो उसको रफा-दफा करने की कोशिश की जायगी।

अब हम यह देखें कि दहेज की प्रथा चली क्यों ? यह प्रथा शायद इसलिये चली होगी, जैसा कि मैं अन्दाज लगाता हूँ, एक लड़की अपने मां-बाप के घर को छोड़ कर पति के घर में, अनजान घर में जाती है, वहां पर वह नयी नयी होती है, वह शर्म के कारण अपनी जरूरियात बता नहीं सकती, इसलिये मां-बाप उस लड़की को अपने यहां से जरूरियात की चीजें देते हैं। इट मीन्स वालन्टीयरिली सेक्रीफाइस करने का तरीका था। जब तक लड़की अपने घर को कंट्रोल न कर ले या जब तक उसके मन-पसन्द की चीज उसके घर में न होने लगे, तब तक यदि उसको किसी चीज की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति के लिये मां-बाप अपनी लड़की को कुछ दिया करते थे जिससे उसकी जरूरियात पूरी हो सकें। हो सकता है कि आगे चल कर इसमें त्रुटियां आ गई हों। जिस तरह से देना चाहिये था और जिस तरह से लेना चाहिये था वह तरीका नहीं रहा हो, लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि लड़की के माता-पिता कुछ त्याग करते हैं उससे उनको वंचित कर दें और उनको कुछ भी देने का हक न रहे।

आपने कहा कि अब लड़के और लड़कियां बराबर हैं। लड़का तो अपना हक ले लेगा, लेकिन उसके बाद कितने कॉम्प्लीकेशन्स होंगे, कितनी लड़कियां हैं जो खड़े हो कर कहेंगी कि उन्हें अपना हक मिलना चाहिये ? इसका मतलब यह होता है कि जब लड़की अपने घर से जाती है तो नया घर बसने वाला होता है, अगर उसके पास में कुछ नहीं होता है तो उसका वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आप सोचिये, मान लीजिए कि उसकी पति से अनबन हो गई, मन मुटाव हो गया, सास-ससुर से मनमुटाव हो गया, तो वह क्या खायेगी, अपना जीवन निर्वाह किस तरह करेगी ? कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि यदि कोई विधवा हो जाती है, तो उसके पास जो कुछ होता है, जो कुछ बाप के घर से लाई थी, उससे वह काम चला लेती है। यह हो सकता है कि जो बाप के घर से आया हुआ हो, वह उसे न दिया हो, लेकिन फिर भी लड़की को दिया हुआ लड़की के हाथ में रहेगा। अब आप यह कहें कि लड़की को कुछ दिया न जाय क्योंकि दहेज प्रथा खराब है, लेकिन मान लीजिये कि कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो क्या समाज उसके आड़े आयेगा ? कौन उसके आड़े आयेगा ? मैं अर्ज करूंगा कि दहेज प्रथा जिस भावना से प्रेरित होकर बनी थी, वह भावना थी कि आपत्तिकाल में लड़की अपना काम चला सके। बाप की इस तरह की भावना बनी,

(श्री अनोपसिंह)

उसको त्याग करने की प्रेरणा मिली कि मेरे घर से लड़की जा रही है, उसको कुछ दूं। इस तरह से इसे देखें तो एक प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपर्टी हो रहा है, एक घर में धन होर्ड न होकर दूसरे घर में जा रहा है। इस प्रकार यह सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की चीज हो रही है। लेकिन आप कहते हैं कि यह गलत है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं ज्यादा टाइम न लेता हुआ यह अर्ज करूंगा कि केवल कानून के बन जाने से हमारे समाज का सुधार नहीं हो सकता। मृत्यु-भोज-कानून बन जाने पर मृत्यु-भोज नहीं रुक सकता, जैसे कि शारदा एक्ट बन जाने से बाल-विवाह नहीं रुके। बाल-विवाह नहीं रुकने का कारण यही है कि हमारे अन्दर समाज को बढाने की, समाज का उत्थान करने की भावना नहीं आई है। बहुत से कहते हैं कि वेश्यावृति रोकी जाय। मैं निवेदन करूंगा कि कानून बना देने से वेश्यावृति नहीं रुकेगी। मैं कहता हूँ कि हमारे समाज में इस तरह की बहुत सी चीजें घुस गई हैं, जिनको इस तरह से नहीं निकाला जा सकता, जब तक कि हरएक व्यक्ति के मन में यह भावना घर न कर जाय कि अपने समाज में, हर घर में इस चीज को रोकने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट से रुकवाने की कोशिश करेंगे। वरना कानून हम यहां बनाते हैं और यहां से बाहर चले जाते हैं और कानूनों को दीमक खा जाती है। शारदा एक्ट को तो दीमक खा गई। हमने कभी नहीं सुना कि किसी माइनर गर्ल या माइनर बॉय को, ब्राइड या ब्राइडग्रूम को या उनके मां-बाप को पकड़ा गया हो या उन पर जुर्माना हुआ हो। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि केवल कानून बन जाने से कुछ नहीं होने का है, उसके एग्ज़ीक्यूशन की बात आपके हाथ की बात है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज को बदलने की चीज एक दिन में नहीं हो सकती। इसलिए जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक को जनमत के लिए प्रसारित किया जाय, मैं समझता हूं, यह एक नेक सलाह है, इससे आपको समाज को बदलने के लिए एक मौका मिल जायेगा, जनता को सुझाव देने का मौका मिल जायगा, आपको जनमत जानने का मौका मिल जायगा कि किस तरह का लेजिस्लेशन बनना चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए जिसे आप थोप दें और उसकी पाबन्दी नहीं हो सके। इस विधेयक को लेकर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने इस पर काफी प्रकाश डाल दिया है। मैं अर्ज करूंगा कि इसमें वाकई कोई ऐसा क्लॉज़ नहीं है जिसके ऊपर कि वाकई सोचना-विचारना जरूरी न हो जाय, जिसके सम्बन्ध में मतभेद न हो, लीगल पॉइन्ट ऑफ व्यू से और ड्राफ्टिंग की वजह से। उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज करूं कि इसमें कहा है, हिन्दू, बुद्धिस्ट, जैन, सिक्ख, इन चारों कम्युनिटीज़ के ऊपर यह लागू होगा, लेकिन पारसी, मुसलमान, ईसाई के ऊपर लागू नहीं होगा। फिर भी यदि गवर्नमेंट चाहेगी तो उनको भी इस कानून के तहत ला सकती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके मन में सिर्फ, हिन्दू, सिख, जैन की भलाई का विचार ही क्यों आया? अगर इस तरह की कुरीतियां मुसलमानों में, ईसाइयों में, पारसियों में हैं, उनको क्या नहीं बदलना चाहते? मैं समझता हूँ कि इस कानून को उनके ऊपर न लागू करने के पीछे आपके मन में डर है या कोई पोलिटिकल रीज़न्स हैं कि जिसके कारण इस अच्छे बिल से जो अच्छे फल

(श्री अनोपसिंह)

होने वाले हैं उनसे आप उनको वंचित रख देना चाहते हैं। मेरे को पता नहीं कि आपने इन तीन-चार कम्युनिटीज़ को क्यों पीछे रख दिया, उनको भी इस विधेयक का फल मिलना चाहिए था। जो कुछ भी होता है वह केवल हिन्दू, जैन, सिक्खों के लिए होता है, इनके ऊपर ही आपकी दृष्टि पड़ती है, इनके आगे जाने की आपकी हिम्मत नहीं होती है, उनके बारे में सोचने पर पोलिटिकल रीज़न्स सामने आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप समाज को बदलने की भावना से प्रेरित होते तो किसी को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपने इन चार कम्युनिटीज को छोड़ दिया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप में समाज को बदलने की कुरीतियों को, बदलने की असल भावना नहीं है। सिर्फ चीप पॉपुलेरिटी गेन करने का रास्ता अख्तियार कर लिया है कि हमने यह किया, वह किया, आपका अखबारों में नाम आ जाय। अगर समाज को बदलने की, भावना आये, जैसा कि मैं वेश्या वृति के बारे में अर्ज करूं कि जिस वक्त चीन में वेश्यावृति बन्द हुई उस वक्त एक रिक्शे वाले के मन में भी वेश्यावृत्ति को रोकने की भावना थी। एक वेश्या उसके रिक्शे में जा रही थी किसी के घर, जब उस रिक्शे वाले को मालूम हुआ कि यह वेश्या है और यह इसीलिए जा रही है तो बजाय उस जगह उतारने के, जहां के लिए रिक्शा किया था, उसको पुलिस स्टेशन ले जाकर पकड़वा दिया और कहा कि यह वेश्या है और वेश्यावृत्ति करती है। यह भावना होनी चाहिए। यह भावना समाज को बदलने की, देश को बदलने की है। इस तरह कानून को पेश करने से समाज या देश नहीं बदलता। Rome was not built in a day. आज आप कानून बनाते हैं, कल हिन्दुस्तान दूसरा हो जाय, यह बात नहीं है। अगर आपके मन में भावना है समाज को बदलने की तो जनता को साथ लेकर आप समाज को बदल सकते हैं। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि मैं आज उस दिन के लिए इन्तजार करूंगा कि जिस दिन मृत्यु-भोज-नियंत्रण कानून आये, इस पर नियंत्रण हो, उस दिन इन सब चीजों को बदलने वाले आप सदस्यों में से कितने होते हैं, जो गवर्नमेंट से इन चीजों को बदल-वाने की कोशिश करते हैं......

श्री सभापति: There should be no repetition please. (विराम) We should be short and brief and there should be no repetition.

श्री अनोपसिंह : (जारी) सभापति महोदय, रिपीटीशन कभी कभी हो जाता है, जिसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ।

जैसा कि आपने देखा कि केवल कानून बनाने से ही समाज बदल नहीं पा रहा है, उस लिहाज से मैं अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो बाड़मेर से आने वाले हैं, जो प्रस्ताव रखा है उसको मंजूर किया जाय औरइस बिल को इसीड्राफ्ट के साथ जनता में प्रसारित किया जायऔर उस पर उनकी ओपिनियन मांगी जाय।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : सभापति महोदय, दहेज-नियंत्रण विधेयक के सम्बन्ध में दो विचारधारायें सदन के सामने प्रस्तुत हैं। एक तो यह कि आया इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाय या नहीं। दूसरी यह कि इसको प्रवर समिति के समक्ष भेज कर इसके सम्बन्ध में विचार किया जाय और इसको फिर पेश किया जाय। जो दूसरा संशोधन है, उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार

(श्री तेजमल बापना)
व्यक्त करूंगा और प्रथम जो विचारधारा है, उसका विरोध तो मैं नहीं करता लेकिन जो विचार आपने रखा है, मेरे ख्याल से उसकी पूर्ति आज से चार-पांच साल पहले हो चुकी है। यह बिल पहले की धारा सभा में प्रस्तुत हुआ था, उस धारा सभा के एक सदस्य की ओर से और उसको जनमत संग्रह के लिए प्रसारित किया गया था और उस पर जो राय थी, वह भी यहां पर प्रस्तुत हो चुकी है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो दहेज प्रथा है, शुरू में जिस रूप में इसको लिया गया था, वह शादी के समय पिता द्वारा अपनी कन्या को अपना नया घर जमाने के लिए कुछ सहायता के तौर पर कुछ आवश्यक चीजें दी जाने के रूप में था, लेकिन आज ऐसा नहीं करते हैं। इस प्रथा में तब्दीली हो गई है जिससे कई घर इससे तबाह हो चुके हैं और इसके ज्वलंत उदाहरण प्रत्येक जाति में मिल रहे हैं। बहुत सी जातियाँ तो कन्याओं की इस दहेज की प्रथा से इतनी परेशान थीं कि कुछ ही समय पहले का जिक्र है कि बहुत से अपनी कन्याओं को जन्मते ही खत्म कर देते थे। ऐसी प्रथा कई जातियों में पाई जाती थी। आज भी इस सामाजिक प्रथा ने जो स्थान समाज में ले लिया है उसके कारण वास्तव में समाज की स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है और मेरे ख्याल से जनता का कोई वर्ग इस राय से अछूता नहीं रहा है कि वास्तव में दहेज प्रथा को जितना जल्दी खत्म किया जाय उतना ही वह उस जाति विशेष के लिये और समाज के लिये लाभदायक होगा और जनमत के लिये इसे भेजे जाने की बात इसमें देरी करने की होगी। जिस मकसद से वे जनता की राय लेना चाहते हैं वह मकसद पूरा हो चुका है। वह पहले की विधान सभा थी और आज यह बिल राज्यपाल की स्वीकृति से फिर मूव हुआ है। जनता की राय के लिये यह जाना चाहिये, यह साधारण सी बात है, इस बात का साधारण सा प्रभाव है, इसमें ज्यादा वजन हो, ऐसी बात नहीं कही जा सकती। आज तो प्रत्येक जाति के सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं, उनके द्वारा जो समाज सुधार के नियम बनाये जा रहे हैं, उनमें सबसे पहला नियम दहेज प्रथा को खत्म करने का नियम है। जनता आज जागरूक है और चाहती है कि दहेज प्रथा बहुत बुरी है, अतः जल्दी से जल्दी इसको खत्म किया जाना चाहिये। इस प्रथा का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह तो समाज की एक प्रथा है और समाज की प्रथाएं समाज और समय की परिस्थितियों के साथ साथ बदलती रहती हैं। आज का युग, जिसमें हम रह रहे हैं, उसको देखते हुए जितना जल्दी इस प्रथा को समाप्त किया जा सके उतना ही अच्छा है। मैं उस ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों के विचारों की बड़ी कद्र करता हूं व उनके विचारों की मैं तारीफ करूंगा और कई युवा सदस्यों ने तो इसे जनमत के लिये प्रसारित किये जाने का कहा था पर जो एक बुजुर्ग माननीय सदस्य हैं उन्होंने कहा कि जनता की राय इस सम्बन्ध में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, काफी चर्चा और विचार इस पर सदन में हो चुका है और जब जनता इससे भली भांति परिचित है तो इसको जल्दी से जल्दी पारित किये जाने की कोशिश करनी चाहिये और यह तभी हो सकता है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करके इसे ठीक ढंग से तैयार किया जाय कि कितनी मिकदार में जुर्माना रखा जाय, किन किन वस्तुओं को देना आवश्यक समझा जाय, किन किन जातियों को छोड़ा जाय, उन्हें छोड़ा भी जाय या नहीं

(श्री तेजमल बापना)

छोड़ा जाय, यह सब पर लागू किया जाय या नहीं, इन सब बातों पर पूरी तरह से प्रवर समिति विचार करके एक मुकम्मिल राय सदन के सामने प्रस्तुत कर सके और भी दूसरी कानूनी बातें हैं उन पर प्रवर समिति अच्छी तरह से विचार कर सके, इसलिये इसे प्रवर समिति में भेजा जाय।

पहले शारदा कानून बना, सती प्रथा को रोकने का कानून बना, उन कानूनों का कितना प्रभाव हुआ है, समाज सुधार के जितने कानून बने हैं, वस्तु स्थिति में वे फायदा पहुँचा सकेंगे कि नहीं, यह सोचने की बात है। आज हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि जनता उन समाज सुधार के कानूनों की कद्र करने लगी है। शारदा-एक्ट की ही बात लीजिये, पढ़े-लिखे समझदार आदमी इस बात को महसूस करते हैं कि यह कानून हमारे नवयुवकों के लिये और हमारे समाज के लिये बहुत हितकर कानून है। और दूसरे भी समाज सुधार के कानून हैं वे समाज सुधार में काफी सहायक सिद्ध हुए हैं।

अत: मैं, इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जनता की राय जानने के लिये इसे प्रसारित किया जाय, यह जो प्रस्ताव है, इसका विरोध करता हूँ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में, इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने और दूसरा इसके सम्बन्ध में जनता की राय जानने के लिये इसे जनमत के लिये प्रसारित किये जाने का, ये दो प्रस्ताव आये हैं। जनमत के लिये प्रसारित किये जाने का जो प्रस्ताव आया है, मैं उसका विरोध करता हूँ और इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन करना चाहता हूँ।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि दहेज प्रथा जिस समय हमारे देश में चली, उस समय हमारे यहां वर्णाश्रम व्यवस्था थी, वानप्रस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम और सन्यास और ब्रह्मचर्याश्रम था।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : पहले ही सन्यास दिला रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (जारी) : मैं चतुर्थ आश्रम में हूँ, सन्यास लूंगा। जब ब्रह्मचारी शादी करता था तो उसके पास कुछ भी साधन नहीं होते थे, उसको ससुराल से साधन मिलते थे, उनसे वह अपने घर का कारबार चलाता था। इस आधार पर क्योंकि पिता की प्रोपर्टी पर लड़की का ऐसा कोई राइट या कानून नहीं होता था जिससे पिता की प्रोपर्टी में वह हक प्राप्त कर सके, इस लिये पिता सोचता था कि अपनी पुत्री को जितनी उसकी हैसियत है उतना दे दें। तो इस प्रकार, पुरानी परिपाटी के अनुसार, यह धार्मिक प्रथा नहीं थी यह तो एक रिवाज चला आ रहा है जो आज सौदेबाजी के रूप में बदल गया है।

आज जिन महानुभावों ने यह कह कर आलोचना की कि यह विधेयक पास नहीं होना चाहिये और इस पर पहले जनता की राय जानना चाहिये, मैं समझता हूँ ज्यादातर उनकी जाति में ही इस प्रथा के कारण कष्ट हैं जिनमें कि एक एक लड़की के दो-दो, चार-चार लाख रुपये टीके के मांगते हैं।

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

और उनकी जाति में भी बहुत से गरीब आज इस प्रकार की प्रथा से मरते हैं और वे बेचारे बड़े कष्ट में हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि वे लोग भी उसके खिलाफ बोलेंगे। मैं समझता था कि वे तो शायद उसमें सहयोग देंगे। लेकिन आज हमें यह सोचना है कि हमारे देश में कई पुरानी प्रथाएं बदल चुकी और कई प्रकार की भावनाएं बदल चुकी हैं। आजकल हमारे यहाँ कालेजों और स्कूलों की पढ़ाई है न कि गुरुकुलों की, जहां ब्रह्मचारियों को शिक्षा दी जाती थी। आज देश का रुख बदल गया। आजकल की देश की हवा को देख कर हमें देश और काल की हवा के मुताबिक कानून पास करना चाहिए या नहीं, यह देखने की बात है। आज यह स्थिति है कि लड़के वाला लड़की वालों से १०,२०,५० हजार रुपए शादी से पहले ठहरा लेता है चाहे लड़की वाले के पास रुपए हों या नहीं हों या उसके पास खाने को हो या न हो। पहले जमाने में लड़की के गुण और अवगुणों को देखा जाता था। लेकिन आजकल लड़की के गुण और अवगुणों को कोई नहीं देखते, वे तो रुपयों को देखते हैं। आजकल पैसे को देखते हैं। पहले जो दहेज की प्रथा थी वह उपयुक्त थी, मगर आज जैसे इस युग में वह विपरीत बन गई है और इसको बदलना चाहिये।

आज यह कहा जाता है कि हम इसको कानून से नहीं मिटा सकते। ठीक है कानून से मिटा नहीं सकते, लेकिन कानून के सहारे से बहुत कम हो सकती है। कानून का एक बहुत बड़ा सहारा होता है। एक माननीय सदस्य ने बताया कि चीन में एक रिक्शा वाला एक रंडी के लिए जा रहा था। उसे पुलिस में उसने पकड़वा दिया और पुलिस के हवाले कर आया। जब कानून था तब पुलिस में लाए, अगर कोई कानून नहीं होता तो वह कैसे पुलिस में ला सकता था? यदि कानून नहीं होता तो वह उसको उसी स्थान पर पहुँचाता, जहां पर उसको जाना था। इसलिए कानून का होना आवश्यक है। अतः यह कहना कि कानून से वह नहीं रुकेगा, उचित नहीं है। यह कहना कि कत्ल कानून होते हुए भी नही रुके हैं, मगर कत्ल को रोकने के लिए ही तो कानून बने हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कानून बनाना दूसरी चीज है और उस कानून पर अमल कराने के लिए आन्दोलन करना दूसरी चीज है। विधान सभा का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के कानून बनाए जो चीज उसके ध्यान में खराब हो उसको मिटाने के लिए हमारा और आपका यह फर्ज है। आपने फर्माया कि आपने कितना रोका है? मैं बताना चाहता हूं कि हमने रोका या नहीं, यह तो अपनी अपनी आत्मा पर निर्भर है। मैं यह निवेदन करूंगा कि कानून बनाना बहुत अच्छी चीज है और विशेषकर इस समय जब हमारे देश में यह महसूस किया जा रहा है कि यह प्रथा खराब है और इस प्रथा से कई घर बर्बाद हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें उसे रोकने के लिए अवश्य इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए।

अब हम यह कहें कि राजी-खुशी से दहेज देते हैं। आज जब कि एक आदमी अपनी लड़की की शादी करता है तो ५० हजार या लाख-दो लाख रुपया देता है। लड़के वाला लेता है तो वह वास्तव में लड़की के गुण और अवगुणों को नहीं देखता, वह तो पैसे को देखता है और यह भी नहीं देखता कि उसके घर वालों की क्या दुर्दशा होगी। इसके अलावा पहले की बातों को हम कानून की दृष्टि से देखें

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

तो आपको मालूम होगा कि पहले इस प्रकार का कोई कानून नहीं था कि लड़की का भी अपने पिता की प्रोपर्टी में कोई राइट हो। लेकिन आज हमने लड़की को भी अधिकार दे दिये हैं तो ऐसी हालत में पहले जो दहेज की आवश्यकता थी उसकी अब जरूरत नहीं। उस समय पिता का दहेज देने का यही आशय था कि वह अपनी लड़की को कुछ दे। लेकिन जब आज कानून पास हो गया कि पुत्री का हक भी पिता की जायदाद में होता है तो ऐसी हालत में इस सड़ी गली दहेज प्रथा की अब कोई जरूरत नहीं रहती है। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि इसको मिटाना चाहिए।

अब यह कहा जाता है कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जावे। मैं यह कहूँगा कि जनता की राय जान ली गई है। पब्लिक के पास यह राय के लिए जा चुका है। पब्लिक ने आपको भेजा है और आप विधायिक लोग यहां आए हैं। आप जरूर विचार करें। जो बिल सदन में आता है उसमें कुछ न, कुछ कमियां रह जाती हैं, इसलिए इसको प्रवर समिति में भेजा जावे ताकि जो खामियां रह गई हों वह प्रवर समिति में जाकर ठीक हो सकें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको पब्लिक ओपीनियन में भेजने की जरूरत नहीं है।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : सभापति महोदय, यह बहुत खुशी की बात है कि आज इस प्रगतिशील युग में जबकि हर समाज तरक्की की ओर चला जा रहा है इस प्रकार दहेज प्रथा को रोकने के लिए बिल आया है। यह दहेज प्रथा बड़ी सड़ी-गली व बुरी प्रथा है और इसके लिए जनता की राय जानने के लिए इसको जनता में भेजने के लिए कहा जाता है यह उचित नहीं है। जब आज से २० वर्ष पहले से जनता इसको रोकने के लिए चिल्ला रही है क्या उसी को आज भी जनता के सामने फिर से भेजने की आवश्यकता है? मैं समझता हूं कि कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि क्यों न इसको कानून के तौर पर बन्द किया जावे। मैं तो यह समझता हूं कि पब्लिक के सामने इसको वापिस भेजने का जो प्रस्ताव है वह केवल एकमात्र इसमें रोड़ा अटकाना ही हो सकता है। इसके लिए जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है वह उचित नहीं है क्योंकि पब्लिक आज से १०-१५ वर्ष पहले ही इसके लिए सोच चुकी है। यदि आप इसके लिए देखना चाहें तो २० वर्ष पहले के अखबारों में समाज सुधारकों के आए हुए लेख, देख लीजिए। वे पत्र बोलेंगे कि पब्लिक की राय क्या है? इसलिए जनता की जानकारी के लिए इसको वापिस प्रसारित किया जाय, उसका मैं विरोध करता हूं।

दूसरा प्रश्न है, इसको प्रवर समिति में भेजा जावे। वैसे तो मेरी यह राय है कि इस प्रकार के विधेयक को फौरन पास करा दिया जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि कुछ भूलें इसमें रह गई हों इसलिए इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाए और उसमें ऐसे व्यक्तियों को लिया जावें जो ज्यादा जानकारी रखते हों, ताकि कोई कमी रह गई हो तो वे संशोधन पेश कर सकें। जैसा कि मुझे इस बिल में नजर आता है कि ५०१) रखे हैं कि इतना दे सकता है। मैं यह कहूँगा कि आज हमारे देश में ८० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो ५०१) तक नहीं दे सकते। एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि लाख, दो लाख की रकम लोग देते हैं लेकिन मैं यह

(श्री लच्छूराम)

कहूंगा कि कानून उन अमीरों के लिए नहीं है, कानून गरीबों के लागू होते हैं। पूंजीपति और सरमायेदारों के लिए कानून नहीं होते। कानून आम जनता के लिए होते हैं, किसान और मजदूरों के लिए ज्यादा लागू होते हैं। क्योंकि इन लोगों को कायदे-कानून से बचने और दूसरे दाव-पेचों से बचने के लिए बहुत कम जानकारी होती है जो कानून से जानकारी उन पर यह कानून लागू होता है। जो संपन्न हैं, वे सभी प्रकार के कानून से अलग रहते हैं। इन्कम टैक्स, हम देखते हैं कि, पैसे वाले नहीं देते। यह कानून उन लोगों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए जरूर फायदेमन्द होगा। इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए जो प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करता हूँ और मैं यह समझता हूं कि जहां ५०१) की रकम रखी है वहां पर १०१) रुपए ही काफी होंगे, but it does not include any customary presents etc. इसमें इस बात का खुलासा नहीं है। दो हजार-तीन हजार का भी जेवर दे सकते हैं। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी सिलेक्ट कमेटी इसको इसी सत्र में जांच करके भेज दे और इसी चालू सत्र में इसको पास किया जावे। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के आदमियों को इसमें ज्यादा लिया जावे, जिनके समाज में दहेज की प्रथा ज्यादा हो, और ५०१) तक की बात है उसको नहीं ली जावे। मैं यही निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे और उसकी रिपोर्ट इसी सत्र में आ जाए और इसको इसी सत्र में पास कर दिया जाना चाहिए।

श्री श्रीराम बासोतिया (नवलगढ़) : सभापति महोदय, जो बिल सदन के सामने माननीय सदस्य ने रखा है उस बिल का मैं स्वागत करता हूं, साथ ही मैं उन माननीय सदस्य को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने एक साहसी कदम समय के अनुसार उठाया है, जिसको उन्हें उठाना चाहिए था। इस विषय में सदन के सामने दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक तो यह कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जावे और दूसरी यह विचारधारा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे। मैं सदन के समक्ष जो दूसरी विचारधारा है, इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे, उसका समर्थन करता हूँ।

माननीय चेयरमैन साहब, वैसे तो यह दहेज रूपी कोढ़ सारे देश में ही इस रूप में फैला हुआ है कि शायद एक बहुत जबर्दस्त मजबूत कानून बनाने के बाद भी इस प्रथा को समाज खत्म कर सकेगा, इसमें मुझे शक है। लेकिन मैं एक ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूँ जहां कि यह कोढ़ इस रूप में फैला हुआ है कि तुरन्त कोई कानून का अंकुश इस प्रथा पर नहीं लगाया गया तो मैं समझता हूँ कि एक दिन जो यह प्रथा है मेरे प्रान्त से इस रूप में सारे प्रान्तों में फैल जायेगी कि सारे राजस्थान में कोढ़ ही कोढ़ नजर आयेगा। चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां यह दहेज प्रथा किस रूप में पनप रही है ? आप आश्चर्य करेंगे कि इसके लिए हमारे यहां एजेन्सियां बनी हुई हैं और इस तरह के दलाल काम कर रहे हैं कि जो कि इस प्रथा को पनपाने के लिए इस व्यापार को दिन दूना और रात-चौगुना बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि आज हमारे किसी के यहां लड़का है और लड़की वाला सम्बन्ध लेकर

(श्री श्रीराम बासोतिया)

जायेगा तो आपको ताज्जुब होगा कि लड़के का पिता यह कहेगा कि बोलिये, आपको कितने का लड़का चाहिए, पांच हजार वाला या दस हजार वाला या बीस हजार वाला ? जैसे गांवों में बैलों की बिक्री होती है उस तरह हमारे यहां लड़कों की बिक्री होती है। माननीय चेयरमैन साहब, आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे यहां जो सम्बन्ध होता है वह लड़के और लड़कियों का सम्बन्ध नहीं होता है बल्कि हमारे यहां तो रुपयों से सम्बन्ध होता है। आपकी यह जानकारी में होगा कि कोई भी लड़के वाला लड़की वाले से यह नहीं पूछेगा कि आपकी लड़की पढ़ी-लिखी है, सुन्दर है, सुशील है या कैसी है। आपका घराना कैसा है यह नहीं पूछेगा बल्कि वह पूछेगा कि आप कितना रुपया लगाना चाहते हैं। अगर उसकी इच्छा के अनुसार लड़की वाला यह मंजूर कर लेता है कि इतना रुपया लगा देंगे तो लड़के वाला यह कह देगा कि हमें मन्जूर है। अगर वह थोड़ी सी भी कमी उसमें पाता है तो कभी भी लड़के वाला उस सम्बन्ध को मंजूर नहीं करेगा। साथ ही बहाना बना देगा कि लड़का तो अभी पढ़ रहा है। अनेक ऐसे बहाने हैं कि जो वह निकालने की चेष्टा करता है। जब लड़की वाला यह मंजूर कर लेता है कि इतना रुपया हम आपको दे देंगे तो इसके बाद लड़की को देखने की जरूरत नहीं है। लड़की चाहे मूर्ख हो, गंवार हो, पढ़ी-लिखी न हो केवल रुपया घर में आना चाहिए। एक ऐम लड़के के पिता के सामने होता है और वह यह कि किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा रुपया उसे मिल सकता है। ज्यादातर इस मामले में मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है। मध्यम श्रेणी का कोई भी लड़की का पिता जब यह देखता है कि लड़के वाला ऐसी मांग कर रहा है तो वह गलत वायदा करके भी उसको संतुष्ट करके सम्बन्ध पक्का करने की चेष्टा करता है और अगर लड़के वाले की बात पूरी नहीं की तो, उसका परिणाम यह होता है कि जब लड़की लड़के वाले के घर जाती है तो लड़के वाले उसको परेशान करते हैं। उसकी सास परेशान करती है कि तुम्हारे बाप ने यह देने का वायदा किया था और वह नहीं दिया और इसके कारण चाहे वह लड़की कैसी भी समझदार हो, कैसी भी सुशील हो उसमें हजार तरह के ऐब हो जाते हैं। जब तक वह लड़की उस घर में रहती है तब तक उसको यंत्रणायें भोगनी पड़ती हैं। यहां तक कि कई बार लड़कियों को तंग आकर आत्म हत्यायें भी करनी पड़ती हैं। माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि कलकत्ते में एक सम्बन्ध हमारे समाज में होने के लिए गया। लड़की का पिता जब लड़के के पास गया तो लड़के के बाप ने मांगा कि मुझे एक कलकत्ते में मकान चाहिए एक मोटर चाहिए। लड़की का पिता दबा हुआ था और उसको जरूरत थी। उसका कारण यह था कि लड़की काफी बड़ी हो गई थी और उसका सम्बन्ध करना जरूरी था। यह तो तब हालत थी जब कि लड़के वाला स्वयं १४ रुपये माहवार के कमरे में किराये पर रहता था, तो उसने उसको यह सब देने के लिए वायदा किया और सम्बन्ध पक्का कर लिया गया। सारी तैयारियां जिस रूप में दोनों ओर से कर सकते थे, कीं। जिस समय उपयुक्त समय आया पहरावनी का, जिस समय दहेज दिया जाता है उस समय लड़की के पिता ने चांदी की एक मोटर और चांदी का ही एक छोटा सा मकान बनाकर रख दिया। लड़के के पिता ने पूछा कि मकान

(श्री श्रीराम ग्रासोतिया)

व मोटर कहां हैं, तो उसने वह थाल सामने रख दिया जिसमें वह चांदी की मोटर और मकान रखा हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ ? परिणाम उसका यह हुआ कि लड़की के फेरे पड़ चुके थे, लड़की लड़के की हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी यह कहकर उसका बाप चला गया कि हमने जो वायदा किया था वह पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं इस लड़की को नहीं ले जाऊंगा। अब उस बेचारी लड़की की क्या हालत हुई होगी, आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं। यह जो कुछ परिणाम है यह सारा दहेज प्रथा का है। जब तक आप कोई कड़ा कानून नहीं बनायेंगे तब तक यह प्रथा कभी नहीं मिट सकती है। समाज की गाड़ी जो लाइन से फिसल गई है वह लाइन पर तब तक नहीं आयेगी जब तक कि कोई कड़ा कानून नहीं बन जाता है।

दूसरी चीज हमारे यहां एक दिखावा होता है। जब लड़की वाला दहेज देता है तो एक शो करेगा जिसे दिखावा बोलते हैं। जैसे अपने मित्रवर हैं या सम्बंधी हैं उनके यहां पर बुलावा जायेगा। यह प्रथा इतनी बुरी है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मान लीजिए दो भाई हैं और दोनों समान स्थिति के हैं, दोनों का एक-सा रहनसहन है। लेकिन एक के पास किसी तरह से अनुचित या उचित तरीके से पैसा एकत्रित किया हुआ है और दूसरा जिसके पास पैसा नहीं है जब वह दिखावा देखने के लिए जायेगा तो वह देखेगा कि उसके भाई ने दस हजार रुपया भी दिया है, काफी सोना भी दिया है तो उसके मन में यह भावना जाग्रत होगी कि मैं भी अपनी लड़की को सब चीजें दूं लेकिन वह भावना तो रुपया पास में होने से पूरी होती है। उसका परिणाम यह होता है कि उसे अपना मकान बेचना पड़ता है, या कोई लिखा-पढ़ी वायदा करना पड़ता है। अपना सर्वस्व बेचकर वह यह चेष्टा करता है कि अपनी लड़की को इतना दहेज दूं। अगर वह नहीं दे सकता है तो उसका परिणाम यह होता है कि समाज में वह इज्जत के साथ नहीं रह सकता है। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि यह जो दहेज रूपी कोढ़ है अगर इसको खत्म जल्दी से जल्दी करने की चेष्टा नहीं करेंगे तो यह गेंगरीन के रोग की तरह फैल जायेगा। जैसे गेंगरीन उंगली में हो गया तो उंगली को शीघ्र काटना पड़ता है और अगर उसका इलाज नहीं कराया जाये तो एक दिन वह आता है कि सारे शरीर को वह बहुत जल्दी खत्म कर देता है अगर यह दहेज प्रथा इसी रूप में चलती रही तो ऐसा समय बहुत जल्द सामने आयेगा कि यह सारा समाज ही उसमें खत्म हो जायेगा। यह दहेज रूपी जो गेंगरीन है वह समाज को समय आने पर निगल जायेगा। जहां तक इस बिल का सवाल है जनमत के लिए या प्रवर समिति के भेजने के लिए, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि जिस माननीय सदस्य ने यह बिल रखा हैं आप कृपा करके उनका समर्थन करें खास करके मेरी तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों से यह कहूँगा कि आप उनका उत्साह बढ़ायें इस मामले में आगे आइये। आप यह नहीं कहें कि जनमत क्या कहेगा। अगर आपने इस बिल को अगले चुनावों से पहले पास करा दिया तो मैं आपको बताऊं कि जनमत सबसे ज्यादा आपके साथ रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जितनी जल्दी हो प्रवर समिति के सुपुर्द इस बिल को पेश करके पास करें।

३ म० प०

श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना) : सभापति महोदय, जो दहेज बिल आज सदन के समक्ष आया हुआ है और उस पर दो मत माननीय सदस्यों के हैं। एक मत तो इस प्रकार का है कि इसको जनता के भाव जानने के लिए प्रसारित किया जाय और दूसरा यह है कि उसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। सभापति महोदय, यह जो बिल हमारे माननीय सदस्य ने रखा है आजकल की समाज की स्थिति को देखते हुए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि मैं सदन के नोटीस में यह चीज़ लाना चाहता हूँ कि आज इस दहेज प्रथा का जो कुप्रभाव है वह एक ऐसे समाज पर पड़ता है जो उसको बर्दाशत नहीं कर सकता रही मालदारों की बात, सो वे तो अधिक पैसा कमाते हैं और अधिक दहेज दे देते हैं। लेकिन एक समाज जो इस भारतवर्ष में और हमारे इस राजस्थान में रहता है जो भूखा और नंगा रहता है और वह गरीब और मजदूर है। आज उस समाज की स्थिति को देखें और दिल में विचार करें तो मालूम होगा कि वास्तव में उस समाज के व्यक्ति को खाने और पहिनने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और मालदारों की इस कुप्रथा का भार उस समाज पर भी पड़ रहा है, जिससे वह समाज भी इस प्रथा तड़फ रहा है। आज एक गरीब की लड़की शादी योग्य होती है और दूसरी तरफ वर पक्ष के आदमी उससे मन-चाहा धन मांगते हैं, लेकिन वह व्यक्ति उसको नहीं दे सकता। गरीब, मजदूर और ४०-५०) की तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी, और हरिजन समाज उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसको क्या करना पड़ता है कि उसकी जाति के जो लोग मालदार होते हैं उनसे जाकर धन कर्ज लाना पड़ता है और कर्ज लाकर अपने घर को उजाड़ कर वह दूसरे घर को बना देता है। उसकी इच्छा नहीं रहती, उसका दिल नहीं करता कि मैं इस तरह से दूँ लेकिन उसको समाज की रीति के अनुसार देना पड़ता है जो उसकी ताकत से परे होता है। ऐसी स्थिति में। एक घर को तो कपड़ा और धन दिया जाता है और दूसरा घर ऐसा हो जाता है जिसका नग्न चित्र सामने आ जाता है। इस दृष्टि से हम यह मान सकते हैं कि एक व्यक्ति इस योग्य नहीं हो सकता कि वह धन दे सके, लेकिन उससे वह धन छीना जाता है। एक तरफ तो यह स्थिति है और दूसरी तरफ लड़के वाले को लड़की वाले की ओर से कुछ देना पड़ता है और तब ही शादी होती है। हरिजन समाज में यह प्रथा है और मैं कह सकता हूँ कि हरिजन समाज में तीन-तीन चार-चार वर्ष का लड़की वाले का कर्जा वर पक्ष वालों को चुकाना पड़ता है। एक एक पैसा बजा कर हरिजन समाज के जो पंच और चौधरी होते हैं वे गिन गिन कर लेते हैं। इस बिल में केवल लड़के वालों के लिए रखा है इसमें लड़की वालों के लिए नहीं रखा गया है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि इसको प्रवर समिति को भेज देना चाहिये और इसमें यह बढ़ाया जाय कि लड़की वालों को लड़के वालों की ओर से जो धन दिया जाता है उस पर रोक होनी चाहिये।

श्रीमती गौरी पूनिया (डिगाना): सभा-पति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्य का आभार प्रदर्शन करना चाहती हूँ जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसमें दो संशो-धन प्रस्ताव हमारे सामने आये हैं। पहला यह है कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाना चाहिये और दूसरा संशोधन यह

(श्रीमती गौरी पूनिया)

है कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये। पहले संशोधन का मैं विरोध करती हूँ क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण बिल है कि इसको पास करने में देरी नहीं लगनी चाहिये। जब जनमत को भेजने के लिए कहा जाता है तो मेरी यह समझ में नहीं आता कि उनका जनता और जनमत से क्या मतलब है? जनता और जनमत से यदि उनका मतलब धनवानों से है तो बेशक वे भेजें और देरी करें। यदि वास्तव में जनमत जानना है तो उन मध्यम श्रेणी के लोगों से पूछें जिनको इसका सामना करना पड़ता है या उन बहिनों से पूछें जिन्हें तीस–चालीस वर्ष तक क्वांरी रह कर या जीवन भर क्वांरी रह कर अपने मां, बाप, भाई पर आश्रित रहना पड़ता है, या उन बहिनों से पूछें जिनको इस दहेज रूपी दानव से मजबूर होकर व्यभिचार वृत्ति को अपनाना पड़ा है, या उन बहिनों से पूछें जो कि मनमाना दहेज न लेकर ससुराल चली जाती हैं और वहां उनको जिन्दगी भर ताने सुनने पड़ते हैं। इतने वक्ता बोले हैं उससे जनमत का आभास हमें सदन में ही मिल गया है। यदि निर्णय चाहते हैं तो इसको जनमत के लिए न भेज कर इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। क्योंकि मुझे इसमें कुछ खामियां दीखीं हैं। जैसे ५०१)की सीमा। लड़कियों का कुछ जातियों में रुपया लेने की प्रथा है उनके लिए भी दंड रखा जाना चाहिये। दूसरी खामी यह है कि यह जाति विशेष पर ही लागू होगा और राजस्थान में रहने वाले सब लोगों पर लागू नहीं होगा। इसलिए इन खामियों को देखकर मैं यह निवेदन करती हूँ कि इसको प्रवर समिति में भेजना चाहिये ताकि स्पष्ट रूप से इस पर विचार-विमर्श हो सके। साथ ही सदन से भी निवेदन करती हूँ कि इसको शीघ्र से शीघ्र पास करने की आवश्यकता समझें।

काफी वक्ताओं ने तरह तरह के विचार प्रकट किये हैं उनको न दोहरा कर इतना ही निवेदन करूंगी कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है इसको शीघ्र से शीघ्र पास करके लागू करना चाहिये।

भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, सदन में दहेज प्रथा को रोकने के बिल पर विचार हो रहा है। इस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है। मैं भी अपने विचार प्रकट करते हुए निवेदन करूं कि यह बिल, मैं समझता हूँ, आज के प्रजातन्त्र के युग को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में कई प्रकार की कुप्रथायें हैं। लोग इन रिवाजों के अन्तर्गत बुरी तरह से फंसे हुए हैं और उन रिवाजों के अनुसार अब तक चल रहे हैं और अब महसूस करने लगे हैं कि यह दहेज का रिवाज कितना बुरा है और हमारे समाज में घर कर गया है। इस बिल में कुछ एक जातियों का नाम दिया गया है, इससे मुझे संदेह हो गया है। अन्य जातियों के साथ अन्याय है या कुछ और शंका पैदा हो गई है। यह बिल साफ बताता है कि लड़के को दहेज देकर शादी कराई जाती है उसके लिए है। हमारे बहुत पिछड़े हुए लोगों में एक वह प्रथा है कि लड़के को लड़की को दहेज देना पड़ता है। तो एक प्रथा तो यह है कि लड़के वाले को लड़की वाला देता है और दूसरी प्रथा यह है कि लड़की वाले को लड़के वाले को देना पड़ता है। पैसे वाले तो कभी भी इस बिल को पास करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन एक मध्यम वर्ग है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको इस बिल में नहीं लेते हैं, वह पिछड़ जाता है, तकलीफ उठाता

(श्री मोगजी भाई)

है उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे देहात में यह होता है कि लड़की वाले लड़का वाले से पहले तय करते हैं कि कितना पैसा दोगे और उसके बाद ही शादी करते हैं, सवाल तय करते हैं। पहले यह प्रथा कम थी, लेकिन धीरे धीरे आज यह बढ़ती जा रही है तो मैं समझता हूँ कि यह जो प्रथा आज है उससे हम देखते हैं कि देहात के जो लोग हैं वे लड़की का सौदा करते हैं। उस हालत में लड़के वाला अपनी जमीन जायदाद को सेट साहूकार के यहां गिरवीं रख कर या जायदाद बेचकर लड़की वाले को देने के लिये इन्तजाम करता है तब जाकर कहीं लड़के की शादी होती है। उसके बाद नतीजा क्या होता है कि जो निर्वाह के साधन थे, उनको तो गिरवीं रख दिया गया, तो उसके बाद रोटी से पेट भरना भी उसके लिये मुश्किल हो जाता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके इस बिल को पास करना चाहिये। पिछली विधान सभा में इस प्रकार का बिल आया था उससे लोगों में एक प्रकार का उत्साह पैदा हो गया। इस प्रकार के बिल से हमारा फायदा होने वाला है। लोगों में आज लड़कों के या लड़की के पैसा लेने की भावना है वह हट जायगी। आज जहां गरीब जनता के पास पैसा नहीं है उन लोगों को इस बिल के पास होने से बड़ी राहत मिलेगी और कानून का जब दंड होगा तो लोगों में इस प्रथा को मिटाने की भावना बढ़ेगी। मैं समझता हूँ जनमत प्रसार के लिये जो प्रस्ताव रखा है उसको न मानते हुए प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय ताकि सिलेक्ट कमेटी से जल्दी पास होकर के सदन के समाने आ जाय और सदन इसको जल्दी पास करे, यही मेरा निवेदन है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी पश्चिम) : Mr. Chairman Sir, I believe, if you try to analyse this problem, the first question would be—

(आवाज "हिन्दी, हिन्दी में")

श्रीमान् सभापति महोदय, इस सवाल को अगर हम अच्छी तरह से देखते हैं तो इसके दो भाग है। वास्तव में हम क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि दहेज पर कन्ट्रोल करें या न करें इस सवाल का जवाब दे दिया तो दूसरे सवाल का जवाब फौरन ही आ जायगा। मेरे ख्याल में इस सदन में हर प्रकार के, हर सोसायटी के, हर सेट के सिटीजन मौजूद हैं और मेरे ख्याल से हर सेट के सिटीजनों ने अपने अपने विचार रख दिये हैं और जैसा कि मैं देख रहा हूँ मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया जिस मेम्बर साहब ने कहा हो कि इस प्रथा पर कन्ट्रोल नहीं होना चाहिये। इस चीज को कन्ट्रोल करने में सारे सदस्य एक राय हैं। दहेज का कन्ट्रोल करना वास्तव में लाजिमी है और जरूरी भी है। जब हम देखते हैं कि हर प्रकार के ऑनरेबल मेम्बर्स इस राय के हैं तो मैं समझता हूं राजस्थान भर में कोई सेट ऐसा नहीं होगा, जिसकी यह राय हो कि दहेज पर कन्ट्रोल नहीं होना चाहिये।

पब्लिक ऑपीनियन के लिये वे बिल भेजे जाते हैं जिसमें हमें सन्देह हो कि वास्तव में जनता इसको स्वीकार करेगी या न करेगी। मेरे ख्याल में एक चीज का तो निर्णय हो गया है कि राजस्थान भर की जनता ऐसे विधेयक को स्वीकार करेगी और जरूर करेगी सम्बन्धियों की तरफ से, जिनकी आबादी राजस्थान में ६ लाख है, उनके नुमायन्दे की

(श्री अर्जनदास)

हैसियत से मैं कह सकता हूं इस विधेयक की उनके लिये न केवल जरूरत ही है, बल्कि तुरन्त जरूरत है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आप क्या केवल सिंधियों के ही प्रतिनिधि हैं ?

श्री अर्जनदास : मुझे यह मानने में शर्म नहीं।

ठा० मदनसिंह : सेन्टर तो जयपुर ही रहेगा।

श्री अर्जनदास : सेन्टर जयपुर में रहेगा तो सेन्ट्रल जेल में भी रहेंगे इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हर प्रकार के प्रतिनिधियों की राय है कि ऐसे विधेयक का होना लाजिमी है और इसे जरूर पास करना चाहिये।

ठा० मदनसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, माननीय सभापति महोदय क्या यहां प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि यहां पर ही किसी सदस्य के लिए ऑर्डर पास कर दें कि तुम्हें सेन्ट्रल जेल में रहना पड़ेगा।

श्री अर्जनदास : आप चिन्ता मत करिये, आपके साथ मैं भी चलूंगा।

ठा० मदनसिंह : आप कहां तक साथ देंगे, यह तो पता चल गया है। आप तो कभी साथ दे नहीं सकते। सभापति महोदय, यह अच्छे शब्द नहीं हैं कि माननीय सदस्य को सेन्ट्रल जेल जाना होगा। यदि ऐसे फैसले सदन के जरिये होने लगे गए तो मैं समझता हूं यह उचित परम्परा नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य का किसी को सेन्ट्रल जेल भेजने का तात्पर्य नहीं था। सदन में इस प्रकार के लवली रिमार्क्स हुआ करते हैं ताकि बहस में रोचकता आ सके इसलिए माननीय सदस्य को इसे गलत इन्टरप्रेट नहीं करना चाहिये।

ठा० मदनसिंह : तो क्या मुझे जेल भुगतनी पड़ेगी ? जब आपने कह दिया तो क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा ?

श्री सभापति : आवश्यकता हो तो जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है।

श्री भोलानाथ : चेयरमैन भी हो आये हैं ?

श्री सभापति : There should be no repurcussions on the Chairman, There should be no reference about the Chair at the moment.

श्री अर्जनदास : इसके बाद दूसरा प्रश्न यह आता है कि वास्तव में इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजना चाहिये या जनता के पास ? मेरे ख्याल में इस विधेयक में काफी कानूनी गलतियां रह गई हैं जो हमें दुरुस्त करनी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि इस विधेयक का अच्छी तरह से उपयोग हो सके। मेरी राय में यह लाजमी है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और हिदायत कर दी जाय कि जितना स्ट्रिक्ट इसको कर सके, किया जाय ताकि सारी जनता इससे लाभ उठा सके।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, जो बिल सदन के सामने विचारार्थ है उसके लिए माननीय सदस्यों की तरफ से दो प्रस्ताव आये हैं। पहला यह कि इस बिल को जनमत संग्रह के लिए प्रसारित किया जाय और दूसरा यह कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(श्री गिरधारीलाल)

सभापति महोदय, मेरा विचार यह है कि हमारे समाज के अन्दर जो कुछ खामियां और प्रवृत्तियां चली आ रही हैं वे पुराने जमाने से चली आ रही हैं, किसी उद्देश्य को लेकर ये परिपाटियां चली आ रही हैं। हो सकता है, जिस समय यह परिपाटी कायम हुई, उस समय हो सकता है कि इस प्रकार की परिपाटी की आवश्यकता होगी किन्तु समय के परिवर्तन के साथ-साथ आज दिन हम लोगों ने समझा कि यह जो दहेज प्रथा है यह समाप्त होनी चाहिए। इससे काफी गड़बड़ियां समाज में व्याप्त हो गईं, जिससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार का कानून जल्दी से जल्दी पास किया जाना चाहिये। जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा कि यह बिल जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय उन्होंने इसके लिये कोई आर्ग्युमेंन्टस नहीं दिये जिनके कारण यह जनमत के लिए प्रसारित होना चाहिये। लेकिन जिन्होंने प्रवर समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव रखा उन्होंने एक बात पर जोर दिया कि कानून जितने बनते हैं उन कानूनों का अच्छी तरह से पालन नहीं होता। जिस बुराई को खत्म करने के लिए कानून बनाते हैं वह बुराई खत्म हो जाय, इसी लिये तो कानून पेश करते हैं। सभापति महोदय, चाहे समाज के अन्दर सैंकड़ों, हजारों सालों से जो कमियां रहती आई हैं, जो हमारे यहां कमियां हैं, जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करना सरकार का काम है और समझदार आदमियों का काम है। आज तक इन बुराइयों को दूर करने के लिए बड़े बड़े आदमियों ने काफी त्याग किया है। सरकार की ओर से इस तरफ ध्यान कम दिया गया इसलिए ये बुराइयां बढ़ीं। ये बुराइयां आज दिन तक हमारे सामने मौजूद हैं, अगर इनको अच्छी तरह से रोकें और कानून के सहारे से चलें और जो पब्लिक के अन्दर बुराइयां हैं उनको पब्लिक के समझदार आदमी अगर खत्म करना चाहें, तो मैं समझता हूँ कि ये बुराइयां खत्म हो सकती हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी अभी एक माननीय मित्र ने कहा कि कानून से कोई बुराइयां या बीमारियां खत्म नहीं होती हैं। कानून से समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं वह खत्म नहीं हो सकती हैं और इसीलिए कानून इनके लिए नहीं बनने चाहिये। हां, यह हो सकता है कि कानून का हम अच्छी तरह से पालन नहीं करें। कानून के जो पालन करने वाले लोग हैं, जो मशीनरी है जिससे, जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो और पब्लिक को किसी प्रकार का नुकसान न हो। समाज के अन्दर एक कलंक है वह दहेज का है और जिसके कारण आज हजारों औरतें मर चुकी हैं, हजारों औरतों ने खुदकशी की है, हजारों आदमी आज दिन तक क्वांरे बैठे हैं और इनके कारण आज हमारे समाज के अन्दर अनैतिकता आ गई है। मैं समझता हूं कि अनैतिकता का सबसे बड़ा कारण हमारी दहेज प्रथा है। यह देखा गया है कि लड़कियां बड़ी हो जाती हैं और लड़कियां बड़ी मजबूरी के कारण ही घरों में रहती हैं इसके लिए हमारे समाज के बड़े बड़े आदमी यह कहते हैं कि जो अनैतिकता बढ़ रही है उसको किसी प्रकार से खत्म किया जाये। इस प्रथा को ही दूर करना इसका एकमात्र उपाय है। इसके अलावा कुछ आदमी जिनको औरतें नहीं मिलती हैं, जो क्वांरे हैं उनकी भी समस्या हल होगी और देश के अन्दर नये आदमी और आयेंगे। माननीय सभापति महोदय,

Page No.81

(श्री गिरधारीलाल)

इसी प्रकार एक और चीज है। माननीय सदस्यों ने अभी अभी कहा था कि हमने ऐसे कानून पास किए हैं जिनसे हमारे समाज की परिस्थिति ही बदल गई और उन्होंने कहा है कि हमने ऐसे कानून पास किये हैं कि पिता की सम्पत्ति में लड़की का भी हिस्सा है, मैं तो समझता हूँ कि ऐसे कानून पास नहीं करने चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि जिनके पास पैसा है उसका पैसा तो लड़की को मिल ही जायेगा, लेकिन जो गरीब पिता हैं वे तो हिस्सा नहीं दे सकते हैं। हमारे देश में आज अधिकतर लोग गरीब हैं और इसके कारण न तो लड़कों को ही हिस्सा मिल पाता है और न लड़कियों को ही। लेकिन दूसरी ओर दहेज है वह तो सभी को देना होता है। हो सकता है कुछ आदमी ऐसे हों जो इन बीमारियों को दूर करने के लिए अपने घर से शुरू करते हों, लेकिन सौ में से ६० आदमी ऐसे हैं जिनको इसका शिकार होना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन से निवेदन करूंगा कि इस दहेज प्रथा को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। इस कानून को सिलेक्ट कमेटी को सौंपना चाहिए। हो सकता है, इसके अन्दर कुछ खामियां हों। मगर जनमत संग्रह के प्रसारण के लिए भेजने का तो मतलब फिर यही हुआ कि मामले को डिले किया जाये।

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Chairman, Sir, I move that the question be now put to vote.

रावराजा श्रीसरदारसिंह : Why?

श्री श्रीभानसिंह : This is a closure motion.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि अब इस डिबेट को क्लोज़ किया जाये ?

(स्वीकृत)

(विराम)

३.२५ म० प०

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) **:** इस डिबेट के पहिले यदि इस विषय पर माननीय वित्तमंत्रीजी का भाषण हो जाये और उनके विचार यदि हाउस को सुनने को मिलें तो हाउस का बहुत लाभ होगा और यह क्लोज़र मोशन मूव किया है वह इस दृष्टि से मूव किया है कि इसमें आपको एग्ज़म्प्ट किया हुआ है और इसलिए इनके एग्ज़म्पशन का प्रश्न नहीं आता और साथ ही हमें यह भी मालूम हो जायेगा कि गवर्नमेंट की क्या मन्शा है। इसके लिए हमारे वयोवृद्ध माननीय वित्त मंत्रीजी बैठे हैं। उनके विचार हाउस को सुनने की बहुत इच्छा है, इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय, हाउस की ओर से निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी अपने विचार सदन को बतायें और सदन को किसी प्रकार से ऑब्लाइज़ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : उनका मूड अच्छा नहीं मालूम होता।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल अच्छा मूड है आप कहें तो वे बोलने के लिए तैयार हैं।

श्री अर्जुनदास : मंत्रीजी तो एवर-रेडी हैं।

श्री सभापति : I mean we have carried the resolution and now the question before this House is whether the motion moved by Shri Tan Singh

(श्री सभापति)

for circulating this bill for eliciting Public opinion be put to vote.

श्री तनसिंह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, वे तो जवाब देंगे: The motion is subject to a reply by the mover and after that I have to reply and then it can be put to vote.

श्री सभापति ; Do you want to exercise our right ? If you want you are allowed.

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय सभापतिजी, जहां तक मेरे द्वारा प्रस्तुत बिल का प्रश्न है मैं समझता हूँ कि इस लम्बे-चौड़े विवाद के बाद हम एक नतीजे पर जरूर पहुँच गये हैं और वह नतीजा यह है कि, जो एक संशोधन बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया, मैं समझता हूं कि, उसकी आवश्यकता नहीं है। जनमत संग्रह के विरोध में जो कुछ मैं कहना चाहता था उस बात को अजमेर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर दी है और इस बिल के सम्बन्ध में यदि विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के द्वारा या अलग अलग विचारधारा वाले सदस्य जो आज यहां बैठे हैं उनके विचारों में कोई एक दूसरे का विरोध होता तब तो इस बात की आवश्यकता अनुभव की जा सकती थी कि इसको जनमत संग्रह के लिए भेजा जाये । लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी माननीय सदस्यों ने अब तक इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये उनमें से एक या दो सदस्यों को छोड़कर अधिकांश सदस्यों ने इस बिल की उपयोगिता को स्वीकार किया है और यह कहा है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस बहस के अन्दर यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि दहेज निरोधक बिल को स्वीकार करने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। मैं आपकी सूचना के लिए यह भी कहना उपयुक्त समझता हूँ कि जहां तक जन-मत संग्रह का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पहले भी जनमत संग्रह किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अभी जब कि कुछ समय पूर्व इस बिल को इस विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, उसके ठीक बाद कुछ अखबारों ने इस बात का प्रयत्न किया कि जनता की भावना को इस सम्बन्ध में व्यक्त किया जाये और उन्होंने विशेष तौर पर इस तरह का स्तम्भ प्रकाशित कर जनमत जानने की चेष्टा की और इसके लिए आम जनता को आमंत्रित किया कि अपने विचार निर्भीकता पूर्वक प्रकट करें। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक सप्ताह कई लोगों के विचार उसमें आये हैं। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि मैंने सारे समाचार पत्रों को पढ़ा है, उनके अन्दर व्यक्त विचारों को भी पढ़ा है उसमें अधिकांश विचार महिलाओं के हैं। जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं, यह निश्चित बात है कि उन्हीं के महिला समाज पर दहेज जैसी कुप्रथा का सबसे अधिक असर पड़ता है। इस प्रकार महिलाओं ने अपने विचार जनता के समाने अखबारों के माध्यम से या और किसी दूसरे रास्ते से सही व्यक्त किये हैं इस तथ्य को स्वीकार करना ही चाहिये और मैं समझता हूँ कि जितने भी आर्टिकल्स, या समचार अब तक प्रकाशित हुए, उन सब में एक भी विचार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जिसमें इस प्रथा का समर्थन किया गया हो। बल्कि सब ने एक भावना से यही माना कि दहेज प्रथा को जितनी जल्दी खत्म किया जायगा,

(श्री मनोहर कोठारी)

उतना ही राजस्थान के लिए और सारे देश की समृद्धि के लिए अच्छा होगा । मैं समझता हूँ कि आज जिस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमने बहस की है ऐसा ही प्रश्न हमारे देश की कई अन्य विधान सभाओं में चल रहा है । इसमें खास तौर से आंध्र ऐसा प्रदेश है जिसने इसके निवारण के लिए एक कानून आज से कुछ महीने पहिले स्वीकार कर लिया है । इसी तरह से अपने आपको प्रगतिशील मानने वाले केरल राज्य विधान सभा में भी एक ऐसा ही दहेज निवारण कानून प्रस्तुत किया गया है । जो अभी वहां विचाराधीन है ।

तो मैं समझता हूँ कि जहां तक इसकी उपयोगिता का प्रश्न है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । जिन्होंने जनमत संग्रह की बात कही उन्होंने भी ऐसा कोई विचार व्यक्त नहीं किया कि जिससे ऐसा ज्ञान हो सके कि वे इसकी मूल भावना के विरुद्ध हों । उनकी मन्शा कुछ भी हो किन्तु, यदि समाज सुधार सम्बन्धी कानूनों में इस प्रकार विलम्ब किया यगा तो मुझे डर है कि हम लोग बहुत पिछड़ जायेंगे ।

अब इस बिल की उपयोगिता के बारे में अपने विचार थोड़े में व्यक्त करना चाहूँगा । आज के पहले हमने देखा है कि कानून के आधार पर किसी सुधार की बात करने में थोड़ी कठिनाई जरूर होती है । कानून तो एक माध्यम होता है कि जिसके सहारे हम अपना गन्तव्य मार्ग ढूंढ सकें । कानून अपने आप साध्य नहीं है । वह तो साधन मात्र होता है । मैं समझता हूँ कि कानून बनने पर उन लोगों को रास्ता या थोड़ा सहारा मिलेगा, जो कानून की अवहेलना नहीं करना चाहते । कई लोगों के विचार मेरे पास आये हैं जिनके आधार पर मैं अधिकार पूर्वक कह सकता हूँ कि कानून बन जाने पर वे उसकी अवहेलना नहीं करेंगे और इसकी आड़ में इस कुरीति की प्रवृत्ति से वे बच जावेंगे । तो मैं समझता हूँ कि यह कानून इस दृष्टि से भी उपयुक्त है । मैं अधिक विस्तार से नहीं कहना चाहता । इस विषय में मेरे साथी कई सदस्यों ने काफी कह दिया है । जो विचार सदन में प्रस्तुत हुए हैं, उनमें दर्दभरी आवाज भी थी, कई उदाहरण भी रक्खे गये कि इस दानवी प्रथा के फलस्वरूप कई लोगों के घर तबाह हो गये, कईयों को समाज में अपमानित होना पड़ा और कई लोगों को मृत्यु का शिकार तक होना पड़ा । तो ऐसी जो यह दानवी प्रथा है उसका उन्मूलन केवल समाज सुधारों के द्वारा ही संभव नहीं, इसके लिये सरकारी सहयोग भी अपेक्षित है । अगर समाज सुधारकों के ही बल-बूते की बात होती तो यह प्रथा अब तक कभी की समाप्त हो गई होती । बीसियों बरसों पहले से समाज सुधारक इस दिशा में प्रयत्न करते आये हैं और उन्होंने जन-मानस तैयार किया है, आन्दोलन चलाये हैं पर केवल कानून के अभाव में उनको वांछित फल नहीं मिल पाता था । मैं समझता हूँ कि अब एक कानून का सहारा होगा और दूसरी तरफ समाज सुधारक जनता में जागृति और तैयारी पैदा करेंगे तो निश्चय ही कुछ कारगर कार्य हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है ।

इन शब्दों के साथ मैं बिल को प्रवर समिति में भेजे जाने के लिये रक्खे गये संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ और जनमत संग्रह सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मेरे इस संशोधन प्रस्ताव के बारे में जो बातें कही गईं, उनमें यही कहा गया कि मैंने इसके पक्ष में कोई खास दलील नहीं दी जबकि मेरी यह शिकायत है कि जो दलीलें मैंने दीं, उनका जवाब नहीं दिया गया।

अब पहली बात तो यह बतलाई गई कि हमारे यहां पर इस प्रकार की जो यह प्रथा है, किसी समय में उपयुक्त रही होगी, पर आज नहीं। मेरा यह निवेदन करना है कि उपयुक्तता का सवाल नहीं है। समाज अपने रास्ते से प्रगति करता आ रहा है। वह हमेशा प्रगति करता ही रहा है। वह उपयुक्तता और अनुपयुक्तता के समय की इन्तजार नहीं करता और अगर हम समाज के इस सहज विकास-पथ में कोई कानूनी व्यवधान डालना चाहें और यह चाहें कि उसके विकास की गति कानून द्वारा तेज की जाय तो इसके परिणाम के बारे में दो राय हो सकती हैं।

एक तो वे बातें जो समाज के अन्दर निहित हैं और जो समाज की विचारधारा से सम्बन्धित हैं, जो लम्बे काल से समाज के साथ चलीं आ रहीं हैं, उन बातों को हम कानून के द्वारा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया हमेशा होती है और जो लोग इस प्रकार अपने कदम समाज की प्रगति के साथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए किसी प्रकार इस प्रथा से लाभ उठाते जा रहे हैं उनके लाभ में इस प्रकार के कानून के हो जाने के बावजूद भी कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। हम भावना में बह जावें तो यह ठीक नहीं। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि टीके और दहेज की प्रथा ठीक नहीं। पर यह भी मैं जानता हूँ कि समूल विनाश इसका नहीं हो सकता। दहेज की प्रथा के लिए जो प्रोविजन इसमें है उसको तो मैं मानता हूँ पर टीका-प्रथा को भी इसमें लेना चाहिए था। इसके अलावा लड़कियों को देकर इसके बदले में पैसा ले लेना जो है उसको तो यहां छेड़ा ही नहीं गया।

एक ओर कहा जाता है कि टीका, दहेज न मिलने के कारण हत्याएं होती हैं, कन्यायें अविवाहित रह जाती हैं। वहां दूसरी ओर ऐसे बहुत ब्रह्मचारी भी बैठे हैं जिनको पैसा न देने के कारण लड़की नहीं मिली। हम एक ओर जहां इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरी ओर हमें उन लोगों का भी तो ख्याल रखना चाहिए। या तो आपने इसको सोचा ही नहीं या जान-बूझकर उड़ा दिया। तो मेरी इस दलील का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इसके बाद आपने कहा इसके लिए कानून बनाया जावे। कानून से प्रगति होगी, इसमें मुझे संशय है। प्रगति स्वयं निर्मात्मिक वस्तु है। निर्माण के लिए पोज़िटिव एक्शन चाहिए। यह कानून बनाना तो नेगेटिव एक्शन है। किसी भी वस्तु का सही रूप में निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन से नहीं, नेगेटिव आस्पेक्ट से नहीं, पोज़िटिव ऑस्पेक्ट से करना होगा। इसके लिए स्वयं को पहले आदर्श बनाना होगा। इससे समाज पर प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से जनमत को पहले तैयार करने की आवश्यकता है। हम उस आवश्यकता को तो अनुभव नहीं करते और कानून बनाकर उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। इससे फल की प्राप्ति संभव नहीं है।

मैं भी कह सकता हूँ कि समाज की इस बुराई को मिटा देना चाहिए। पर फिर भी जिस कानून से आप उसे मिटाने जा रहे हैं

(श्री तनसिंह)

हमें यह भी देख लेना चाहिए कि वह कानून है कैसा ? उसके प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया है, क्या भावना है ? इसको जानने की हमेशा आवश्यकता बनी ही रही है । अब यह कह देना कि जनमत तो पहले ही ज्ञात हो चुका है, मैं इस सिद्धान्त को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ । अब यह भी कहा गया कि पहले जो जनमत मालूम किया गया था उस पर सिलेक्ट कमेटी ध्यान देगी, लेकिन इसका भी निश्चित रूप से प्रस्तुत प्रस्ताव में कोई उल्लेख नही है । तो जब तक यह स्पष्ट उल्लेख इसमें न हो कि यह प्रवर समिति उन पहले जनमत संग्रह किए गए कागजों को भी देखे और फिर कोई निर्णय करे तब तक वह चीज भी मानी नहीं जा सकेगी । यह जो प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसमें मूल-रूप में ऐसा कोई संकेत नहीं है और न डाइरेक्शन है । तो बिना डाइरेक्शन के, बिना संकेत के वह माना नहीं जा सकता कि पिछली असेम्बली के वक्त जो जन-मत इस पर प्राप्त हुआ था उस पर यह सिलेक्ट कमेटी किसी प्रकार अपने विचार व्यक्त करेगी ।

एक बात और कही गई, जिसकी तुलना शराबबन्दी से की गई । यह उपयुक्त नहीं है । जहां एक और शराब पीना नैतिक दृष्टि-कोण से अच्छा नहीं है वहां दहेज का लेना न लेना नैतिक दृष्टिकोण. से सम्बन्ध नहीं रखता, वह तो आर्थिक दृष्टिकोण को सामने रख कर एक समस्या के रूप में हमारे सामने आता है । तो हमें इस पर इस आर्थिक दृष्टिकोण से विचार करना है । एक आर्थिक प्रश्न है, दूसरा नैतिक । उनकी आपस में कोई तुलना नहीं की जा सकती ।

इस समय मुझे जहां तक मालूम है बम्बई में इस प्रकार की संस्थाएं हैं, और इस प्रकार के लोग हैं जो पैदल भ्रमण करके अब भी शराबबन्दी के लिए प्रयास कर रहे हैं । यदि हम मानते हैं कि शराबबन्दी कानून से हो गई है तो उन लोगों का प्रयास एक तरह से फ्यूटाइल सा दिखता है । लेकिन व्यावहारिकता यह है कि कानून होते हुए भी शराब बन्द नहीं हुई है । आज यह कानून बनता है तो उसके साथ साथ दूसरा आस्पेक्ट यह भी है कि जनमत तैयार करें, तो वह इस तरह से तैयार होगा नहीं और वह रहेगा ।

दूसरी बात यह बतलाई गई है, एक बड़ी से बड़ी बात बताई है कि जनमत के लिए एक अखबार, क्या मालूम कौन सा है, जिसमें इस तरह के लेख छपे हैं । मैं नहीं समझता हूँ कि वह अखबार हमारी विधान सभा में क्या हैसियत रखता है । उसके अन्दर लेख प्रकाशित हुआ होगा । हम लोगों से यह एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि हम उसको पढ़ें । ऐसे अनेकों अखबार हैं जिनको पढ़ना हम अपनी प्रतिष्ठा के अनुपयुक्त समझते हैं । और उसमें कहा जाय कि महिलाओं ने यह बात कही है । मैं यह निवेदन करूं कि यह महिलाओं का ही अकेले का प्रश्न नहीं है । इस विषय में केवल महिलाओं को ही प्रामा-णिक माना जाय, यह कोई दलील नहीं है । इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों का ध्यान रखना है । दूसरी बात यह है कि अखबार एक अपनी विशेष नीति को लेकर चलता है । हम यहां पर सारे राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । अखबार एक विचारधारा को लेकर चलता है । उस अख-बार में अपने विचार अपने कलर और अपने टिन्च से दिये जाते हैं । मैं कैसे मान लूं कि जितने भी पत्र आये हैं वे प्रकाशित हुए हैं

Page No.86

(श्री तनसिंह)

और जो पत्र विरोध में आये हों वे रोके नहीं गये हों। ऐसी हालत में जो अखबार का हवाला है कि जनमत ज्ञात हो गया है वह कैसे ठीक है ?

तीसरी बात यह है कि उसका अध्ययन करना पॉलिसी के कारण होगा। इसलिए अखबार के पचड़े में चक्कर में, नहीं पड़ेंगे।

इसके सिवाय इसके परिणामों के विषय में कहा गया है कि दहेज प्रथा होने के कारण, टीका प्रथा होने के कारण अनैतिकता बढ़ी है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि दहेज और टीका प्रथा के परिणामस्वरूप अनैतिकता नहीं बढ़ी है बल्कि हमारे चरित्र के अभाव के कारण वह बढ़ी है। हमें उपयुक्त शिक्षा नहीं दी जाती है। हममें थोड़ा-सा संयम का अभाव है। ऐसी स्थिति में केवल कानून से संयम प्राप्त किया जा सकता है, केवल कानून से वह परिस्थिति बनाई जाय जिससे हम ठीक प्रकार का आचरण करें, बात वेतुकी सी है। अगर यह अनैतिकता कानून से बन्द होती है तो इसको सिलेक्ट कमेटी में पास करने की बात नहीं है, हम इस कानून को यहीं बैठकर पास करें। लेकिन यह चीज़ इस कानून से समाप्त होने वाली नहीं है। जो दलीलें दी गई हैं वे ऐसी दलीलें हैं जो कि बाजार में दी जाती हैं भावुक आदमियों द्वारा दी जा सकतीं हैं। कम से कम उन लोगों के सामने ये दलीलें काम की नहीं हैं जो लोग कानून सारे राजस्थान के हित में बनाते हैं। इस दृष्टिकोण से मैं समझता था कि मेरे इस संशोधन प्रस्ताव पर कुछ अच्छी तरह से विचार और मनन किया जायगा। लेकिन माननीय सदस्य महोदय यह कहते हैं कि उस समय इस विषय में जो कुछ ज्ञात हुआ था, उस जनमत को, सिलेक्ट कमेटी विचार करे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ मेरे संशोधन प्रस्ताव का मकसद हल हो जाता है और ऐसी अवस्था में मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान डॉवरी रेस्ट्रेन्ट बिल को जनमत जानने के हेतु प्रसारित करने का जो प्रस्ताव श्री तनसिंह ने रखा है उसको उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

(विराम)

श्री तनसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान डॉवरी रेस्ट्रेन्ट बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव जो श्री बहादुरसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय, जिसकी प्रवर समिति की नामावली इस प्रकार है:—

१. श्री भीखा भाई, सभापति
२. श्री जनार्दनराय नागर
३. डॉ० बहादुरसिंह
४. श्री सम्पतराज
५. श्रीमती गौरी पूनिया
६. श्री मनोहर कोठारी
७. श्री नारायणलाल
८. श्री हीराभाई
९. श्री चन्दनमल

(श्री सभापति)

१०. श्री फूलाभाई
११. श्रीमती प्रभा मिश्रा
१२. श्री जयसिंह राणावत
१३. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
१४. श्री अब्दुल गफ्फार
१५. श्री चन्द्रसिंह
१६. श्री मोहरसिंह
१७. श्री बेनाराम गहलोत
१८. रावल श्री नरेन्द्रसिंह
१९. श्री नरपतसिंह
२०. श्री सतीशचंद्र अग्रवाल
२१. एडवोकेट जनरल

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें महिलाएं कम हैं।

३.४५ म० प०

राजस्थान मृत्यु भोज प्रतिबंध विधेयक, १९५८
(वापिस लेना)

डॉ० बहादुरसिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान मृत्यु-भोज प्रतिबंध विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : Raoraja Shri Sardar Singh to move that the Bill be circulated for public opinion.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, ऐसा सुना है कि इस बिल को गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से मूव कर रही है। गवर्नमेंट जब अपनी तरफ से स्वयं एक फाइनल बिल ला रही है तो इस पर वादविवाद होना, कन्सीडरेशन करना, जरा ठीक नहीं होगा। इससे सदन का टाइम सेव हो जायगा।

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : मैं सोचता हूँ कि इस पर विचार किया जाय। गवर्नमेंट लाना चाहती है और जिस स्टेज पर लाना चाहेगी उस स्टेज पर ले आयेगी।

श्री श्रीभानसिंह : लाना चाहती है या नहीं, यह क्लियर हो जाय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लाना चाहती है, यह निश्चित है।

श्री भैरोंसिंह : कब ? इस सैशन में या अगले सैशन में, दूसरे वर्ष में ?

हरिभाऊ श्री उपाध्याय : जहां तक होगा इसी सेशन में ले आयेगी।

श्री श्रीभानसिंह : तो फिर डिस्कशन की क्या जरूरत है ?

एक माननीय सदस्य : इसी सत्र में आयेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह तैयार हो रहा है। कोशिश यही करेंगे कि इसी सैशन में लायें। अगर तैयार नहीं हो सका तो अगले सत्र में आ जायगा। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है।

डॉ० बहादुरसिंह : अगर गवर्नमेंट डेफिनेट नहीं है, तो इसको विचारार्थ लेना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : डेफिनिट का सवाल यह है कि इस सत्र में आयेगा।

श्री अर्जुनदास : We can adjourn it today.

श्री श्रीभानसिंह : मगर परम्परा यह है कि जिस बिल को कोई प्राइवेट मेम्बर लाता है, लेकिन गवर्नमेंट अपना बिल लाना चाहती है तो उस प्राइवेट मेम्बर को ऑथोरिटी नहीं है मूव करने की। बिल गवर्नमेंट के बिहाफ पर मूव करते हैं। अगर ऑनरेबल मिनिस्टर यह कहते हैं कि जल्दी ही गवर्नमेंट इस बिल को लायेगी तो फिर प्राइवेट मेम्बर मूव नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मूव होना चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : गवर्नमेंट की तरफ से बिल आ जायगा, लेकिन कब तक आयेगा यह मैं निश्चित नहीं कह सकता हूँ। जब तक वह बिल नहीं आता है तब तक यह चल सकता है। इसमें कोई रुकावट नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : फायदे या नुकसान का सवाल नहीं है। गवर्नमेंट का बिल तैयार हो रहा है..........

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : कम से कम गवर्नमेंट ला रही है, यह स्पष्ट हो गया है। बिल आयेगा। इसलिए अभी डिस्कशन से मतलब क्या है ?

श्री सभापति : This is for the Hon'ble member to consider. The Government propose to bring the Bill.

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय मिनिस्टर साहब कुछ बता दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : गवर्नमेंट निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में एक विधेयक तैयार कर रही है, वह आयेगा जरूर। यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ कि इसी सैशन में आयेगा या अगले में, लेकिन गवर्नमेंट का अभिप्राय इस बिल को लाने का निश्चित है।

डॉ० बहादुरसिंह : जैसा कि सरकार की ओर से विश्वास दिलाया गया है कि इस प्रकार का बिल गवर्नमेन्ट पेश कर रही है तो मैं चाहूंगा कि मुझे अपने विधेयक को वापिस लेने की इजाजत दी जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो विधेयक डॉ० बहादुरसिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना विधेयक वापिस लेता हूं।

३.५१ म० प०

परिवार नियोजन सम्बन्धी अशासकीय सकल्प

(पूर्व क्रम से)

श्री सभापति : Now we shall discuss the resolution with regard to Family Planning.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I move that the question be now put to vote, Sir.

श्री तनसिंह : माननीय सभापति महोदय, यह तो कोई बात नहीं है कि अभी डिस्कशन शुरू ही न हो और उसके पहले ही

Page No.89

(श्री तनसिंह)

क्लोज़र मोशन मूव हो जाये। हां, पहले कोई बोलना नहीं चाहे तो वह दूसरी बात है।

श्री श्रीभानसिंह : आप तो बोल चुके हैं और कोई हैं ही नहीं बोलने के लिए। इसके लिए मेरे ख्याल से हाउस की जनरल सेन्स जान ली जाये।

श्री भैरोंसिंह : इस पर काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं और अब इस पर आगे डिस्कशन नहीं होना चाहिए।

श्री सभापति : This is for the Hon ble members to decide.

श्री भैरोंसिंह : हाउस की यही ओपीनियन है कि इस टोपिक को बन्द कर दिया जाये।

श्री सभापति : According to the List of Business, that is before me, Shri Narain Singh of Masuda is to resume his speech. I don't know whether the Hon'ble member is in a mood to resume or not.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) **:** I have already finished that speech, Sir.

श्री सभापति : Any reply.

अनेक माननीय सदस्य : रिप्लाई कोई नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो परिवार नियोजन के लिए एफर्ट्स किये वे सबको मालूम हैं, इस पर कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि यही जवाब दे दें तो अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : हैल्थ मिनिस्टर साहब कुछ बोलना चाहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) **:** चेयरमैन महोदय, परिवार नियोजन के ऊपर पिछली बार सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। मूल प्रस्ताव यह था...

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय सभापति, ...

श्री सोहनलाल भटनागर : आप नहीं थे यहां पर, इसलिए इजाजत न दी जाये।

श्री सभापति : I mean, the Hon' ble Minister has begun. I am so sorry for it.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर आप (श्री हरिभाऊ उपाध्याय की ओर संकेत) बोलना चाहें तो बोलिये, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री सभापति : आपके एतराज का प्रश्न नहीं है, मुझे तो एतराज है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मगर मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री सभापति : This is not within your jurisdiction to have 'Etraj' or 'no Etraj.'

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चेयरमैन महोदय, इस प्रस्ताव पर सदन के माननीय सदस्यों ने पिछली बार अपनी राय जाहिर की और करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने इस पर काफी दिलचस्पी दिखलाई। वह जो उस रोज बहस हुई उससे मैं यह समझा इस बात पर कि फैमिली प्लानिंग होना चाहिए,

Page No.90

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

यह आवश्यक है। इस बात पर मैं समझता हूँ कि सदन के सभी माननीय सदस्य एकमत हैं। लेकिन इस प्रश्न पर कि फैमिली प्लानिंग के लिए क्या तरीके अख्तियार किये जायें, इस बात पर, मैं समझता हूं मतभेद है और इसके विरोध में जो दलीलें दी गईं कि फैमिली प्लानिंग नहीं होना चाहिए उस दलील का भी मतलब यही था कि फैमिली प्लानिंग के लिए जो कृत्रिम तरीके काम में लाये जाते हैं वह हिन्दुस्तान जैसे धार्मिक मुल्क के लिए उपयुक्त नहीं हैं। साथ ही और भी दलीलें दी गईं कि हमारे मुल्क में जहां कि धार्मिक भावनाएं इतनी बढ़ी हुई हैं वहां पर इन कृत्रिम तरीकों का उपयोग नहीं होना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है एक तो यह कि क्या परिवार नियोजन आवश्यक है और यदि आवश्यक है तो क्यों? यदि आवश्यक है तो उसके लिए क्या तरीके अख्तियार किये जायें? ये दो प्रश्न इन सारी दलीलों से पैदा होते हैं। जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है, चेयरमैन महोदय, मैं समझता हूँ, मैं जानकारी के लिए अर्ज करूंगा कि दुनियां में जितने भी मुल्क हैं.........

श्री श्रीभानसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, यह रिप्लाई किसका हो रहा है? यह माननीय मंत्री महोदय किस का जवाब दे रहे हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अपनी राय जाहिर कर रहा हूं।

श्री श्रीभानसिंह : राय जाहिर करने का तो टाइम गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे बोलने के लिए इजाजत दी गई है।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय चेयरमैन महोदय, यह नहीं समझ में आया कि माननीय मंत्री महोदय रिप्लाई दे रहे हैं किसी चीज पर या अपनी राय जाहिर कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह : रिप्लाई देने का तो प्रश्न पैदा नहीं होता है और वह राय देने का प्रश्न इसलिए पैदा नहीं होता कि क्लोज़र मोशन मूव हो गया है और क्लोज़र मोशन मूव हो जाने के बाद जब तक उसके ऊपर कोई डिसीज़न नहीं ले लिया जाता तब तक उनको बोलने के लिए समय नहीं दिया जा सकता। अगर बोलने के लिए समय दिया जाता है तो नियमानुसार नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लोज़र मोशन मूव नहीं हुआ है। मुझे बोलने की इजाजत दी गई है इसलिए बोल रहा हूं।

श्री श्रीभानसिंह : रिप्लाई जो माननीय मंत्रीजी दे रहे हैं, जो रिज्योल्युशन है अगर मैं उसको पढ़कर सुनाऊं तो उससे मालूम होगा कि उसमें रिप्लाई देने की जरूरत ही नहीं रहती है। रिज्योल्युशन में इस तरह है: 'इस सदन की राय है कि बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण करने के लिए राजस्थान सरकार अन्य राज्यों की भांति परिवार नियोजन के लिये अधिक तेजी के साथ कारगर कदम उठाये।' एक तो वैसे ही रिज्योल्युशन इन-इफेक्टिव है और हाउस इस पर एक निर्णय पर आ ही नहीं सकता। तो इस रिज्योल्युशन को वोटिंग के लिए रखा जाये तो देखें हाउस क्या निर्णय देगा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Government has to say this कि गवर्नमेंट ऐसा करे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है?

Page No.91

श्री श्रीभानसिंह : माननीय मंत्री यह कह रहे हैं कि क्लोज़र मोशन ही मूव नहीं हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे......

श्री सभापति : आप (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता से) जरा एक मिनट के लिए बैठें।

श्री तनसिंह : क्लोज़र मोशन मूव नहीं हुआ है तो यह बीच स्पीच में नहीं हो सकती। यह रूल में साफ है कि क्लोज़र मोशन या तो स्पीच खत्म होने के बाद होगा या फिर स्पीच शुरू होने के पहले ही मूव होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्लोज़र मोशन मूव करने के बाद में हाउस उसको एडमिट करता है या नहीं, इसके लिए तो उसको हाउस के सामने पुट-अप करना है। इसलिए भाषण देने के पहिले क्लोज़र मोशन मूव किया जाय। फिर इसके बाद में क्लोज़र मोशन के ऊपर भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, तब तो आवश्यकता नहीं रहेगी और अगर हाउस का ऐसा डिसीज़न होता है तो माननीय मंत्रीजी जैसा चाहेंगे अपना जबाब देंगे।

४ म. प.

श्री सभापति : जब यह प्रश्न सामने आया था तब बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपत्ति की थी कि अभी विचार प्रारम्भ नहीं हुआ तो क्लोज़र मोशन का प्रश्न नहीं उठता, उसके बाद में मंत्रीजी ने बोलना शुरू किया और उसके बाद में बोलने वाले वे ही पहिले व्यक्ति हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्लोज़र मोशन मूव हो चुका है, उस पर पहले डिसीज़न लेना होगा, हाउस इसके पक्ष में है या विपक्ष में है, इस बात का निर्णय हाउस ही करेगा। यदि हाउस मंत्रीजी के पक्ष में है तो मंत्रीजी चाहे कल तक बोलते रहें मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन मोशन ऑलरेडी मूव्ड है, वह रिजेक्ट नहीं हुआ है, इसके पक्ष में या विपक्ष में मत नहीं आये हैं इसलिये इस पर हाउस का पहले निर्णय लेना जरूरी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मोशन पुट हुआ उसके बाद में मुझे बोलने की इजाजत बक्शी गई है, इसलिये यह ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया।

श्री श्रीभानसिंह : यहां कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है जिसके कारण ऑटोमेटिकली रिजेक्शन हो जाय। यहां तो रिजेक्शन हाउस करता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : The Chairman has got power to reject it.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री श्रीभानसिंह ने रखा है कि इस प्रश्न पर वाद-विवाद समाप्त किया जाय,

(मत-दान के पश्चात् स्वीकार किया जाए)

ना पक्ष जीता ?

अनेक माननीय सदस्य : 'हां' पक्ष जीता।

(मत-विभाजन घंटी के पश्चात्, पुनः)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री श्रीभानसिंह ने रखा है कि इस प्रश्न पर वाद-विवाद समाप्त किया जाय, इसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

डिबेट जारी रहेगी।

(विराम)

Page No.92

श्री श्रीभानसिंह : स्पीच होगी या राइट ऑफ रिप्लाई or this is to both.

श्री सभापति : Not both.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am putting my views on the point as well as the views of the Government.

श्री श्रीभानसिंह : How does the Minister say that he is placing Government views ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जवाब वे देंगे जिन्होंने प्रस्ताव मूव किया है ।

श्री श्रीभानसिंह : वे तो एबसेन्ट है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am allowed to speak.

श्री सभापति : आप जारी रखिये । विषय बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, विषय बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिये मैं लिट्रेचर भी लाया हूँ हाउस की जानकारी के लिये । यह महत्वपूर्ण होने के साथ साथ...

श्री मदनसिंह : फिर आप हंस क्यों रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो बहुत सीरियस हूं, यदि आप मुझे सीरियस रहने देंगे ।

श्री सभापति : इस विषय में यही मुश्किल होती है कि कोई रहने नहीं देता । Carry on.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, इसके बारे में दो प्रश्न हैं, एक तो यह कि क्या परिवार नियोजन आवश्यक है ? और दूसरा यदि आवश्यक है तो उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए कौनसा उपाय काम में लिया जाय ? जहां तक परिवार नियोजन की आवश्यकता का सवाल है, मैं समझता हूँ सारी दुनियां में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें परिवार नियोजन के सम्बन्ध में कुछ न कुछ कार्यवाही नहीं की गई हो और वहां के विचारक और वहां की गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में बहुत पर्टिक्युलर न हो, ऐसा दुनियां में कोई मुल्क नहीं है । हिन्दुस्तान में भी जब से फर्स्ट फाइव इयर प्लॉन शुरु हुआ है तभी से फेमिली प्लॉनिंग के लिए ध्यान दिया गया है और जब से सेकन्ड फाइव इयर प्लॉन आया उसके बाद से तो इस संबंध में काफी प्रगति करने की कोशिश की गई है । लेकिन, सभापति महोदय, यह समस्या इतनी बड़ी है और साथ साथ कठिन भी है और हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में जहां पर धार्मिक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और इस मुल्क में, जहां पर बच्चे पैदा करने के बारे में यह भावना है कि बिना पुत्र उत्पन्न किए एक इन्सान को स्वर्ग नहीं मिल सकता । इस मुल्क में परिवार नियोजन की बात कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि परिवार नियोजन का अर्थ यह नहीं है कि बच्चे पैदा करना बिल्कुल बन्द कर दिया जाय । यह इसका अर्थ नहीं है । परिवार नियोजन एक तरीके से फेमिली में बच्चों की पैदावार को रेगुलेट करने की बात है और आज सभी मुल्कों में विशेष तौर से जोर दिया जा रहा है कि बच्चे हर साल पैदा होते हैं उनको रेगुलेट करके फेमिली की जिन्दगी को किस तरह...

श्री मदनसिंह दाता : सब से छोटे लड़के की उम्र क्या है ?

Page No.93

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्या फरमाया ?

श्री सभापति : What is the age of your youngest son ?

श्री मदनसिंह दांता : Only four years.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Let it be, have you any objection about it ?
आपको इसमें क्या एतराज है ?

श्री मदनसिंह दांता : हम चाहते हैं कि एक और हो ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बड़ी खुशी हुई ।

श्री सभापति : आशीर्वाद से केवल काम नहीं चलेगा । जारी रखिए ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह अर्ज कर रहा था कि परिवार नियोजन का आम तौर से जो मतलब समझा जाता है, जिस तरह का प्रस्ताव रखा गया है या पंचवर्षीय योजना में जो सुझाव रखे गए हैं उसका अर्थ यह है कि हिन्दुस्तान में लोग बच्चे पैदा करना बंद कर दें और आजीवन हम सब पर पाबन्दी लग जाय और कोई आदमी बच्चे पैदा नहीं करेंगे इस तरह की बात नहीं है । नियोजन का अर्थ योजना से है, हमारे परिवार की एक योजना होनी चाहिये ।

क्यों होनी चाहिए और इसके क्या लाभ हैं, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करूंगा । परिवार नियोजन की आवश्यकता के बहुत से कारण हैं, उनमें जो पहला कारण है वह यह है कि हमारे मुल्क के रहनेवालों की औसत आयु अब तक २३ साल थी और इस समय ऐसा अन्दाजा लगाया जाता है कि औसत आयु २३ साल से बढ़ कर अब ३२ साल हो गई है । मगर हमारे मुल्क के बाहर रहने वाले हैं, खास तौर से पश्चिमी यूरोप के और पश्चिमी देशों के जो रहने वाले हैं, उनकी औसत आयु हिन्दुस्तान के रहने वालों की औसत आयु से बहुत अधिक है और कुछ देश ऐसे हैं......

श्री अर्जनदास : On a point of information, Sir, आप पक्ष में बोल रहे हैं या खिलाफ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : समझ में आ जायेगा ।

श्री पी० के० चौधरी : What steps does the Government intend to take up ? The Hon'ble Minister is repeating what other Hon'ble members have spoken already.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am not bound to say what you want me to say.

(विराम)

मैं बता दूँगा ।

श्री पी० के० चौधरी : वह बता दिया, आप रिपीट कर रहे हैं ।

Please let us know whether you are speaking in favour of the resolution or against.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am giving you the opinion of the Government on this resolution.

श्री अर्जनदास : यह क्लियर करें, पक्ष में या विपक्ष में बोल रहे हैं ।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसके ?

श्री अर्जनदास : रिज़ोल्युशन के ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : परिवार नियोजन होना चाहिए...

श्री भैरोंसिंह : प्रस्ताव के ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : परिवार नियोजन होना चाहिए, यह अर्ज कर रहा हूँ ।

श्री पी० के० चौधरी : You are giving simply the statistics.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am telling you. You will understand...

श्री अर्जनदास : Opinion can be either 'yes' or 'no.'

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am speaking in favour of the family planning, यह होना चाहिए ।

श्री सभापति : But try to be brief.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फैमिली प्लानिंग होना चाहिए, इसके पक्ष में बोल रहा हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : अगर आप पक्ष में बोल रहे हैं और यही मन्शा है तो प्रस्ताव को मंजूर कर लेना चाहिए ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे कहने से आप बन्द नहीं करते । आपके कहने से मैं बन्द नहीं कर सकता, इसलिए कि बहुत दिनों बाद बोलने का मौका मिला है, थोड़ा बोल लेने दीजिए । चेयरमैन महोदय, फेमिली प्लानिंग का स्पष्ट दृष्टिकोण सदन के सामने आना चाहिए था, उसके बारे में मैं अर्ज कर रहा था कि फेमिली प्लानिंग के क्या क्या फायदे हैं । सबसे पहली बात जो अर्ज करनी थी वह यह थी कि हमारी औसत आयु, हिन्दुस्तान के रहने वालों की ३२ साल की है और बहुत से मुल्क हैं जिनकी औसत आयु बहुत ज्यादा है । इसका अर्थ यह हुआ कि उन मुल्कों के रहने वालों की तन्दुरुस्ती हमारे मुल्क में रहने वालों से अच्छी है । यह कहा जाता है कि हमारे मुल्क में रहने वालों की तन्दुरुस्ती अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए फेमिली प्लानिंग के जरिये यह उद्देश्य सामने रखा गया है और यह आशा की जाती है कि चूंकि हर साल बहुत बच्चे पैदा होते हैं...

श्री भैरोंसिंह : एक बार में दो दो ।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसलिए फेमिली प्लानिंग जरूरी है ।

श्री अर्जनदास : Have you tried it ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I have not tried it. But I would advise you as well as myself to try it.

श्री सभापति : Practice is better than precept.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रस्तावक महोदय ने प्रेक्टिस की है इसलिए प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव से एडवाइज़ मिली है, उसको फॉलो कर रहा हूं...

श्री अर्जनदास : कब ?

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं आपसे छोटा हूँ, आपके पीछे पीछे चलूंगा ।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मैं अर्ज कर रहा था कि बच्चे हर साल ज्यादा पैदा होते हैं तो उससे माताओं की और जो पैदा होते हैं, उन दोनों की तन्दुरुस्ती खराब हो जाती है। इसके साथ ही जो बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसके बारे में मैं अर्ज करूंगा। वह नुकसान यह है कि इस सिलसिले में माताओं की, बच्चों की मृत्युसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऐसा अनुमान किया जाता है कि हर साल करीब दो लाख मातायें प्रसवकाल में हिन्दुस्तान में मर जाती हैं और इसके साथ ही साथ ये भी आंकड़े इकट्ठे किये गए हैं कि इससे १० गुनी संख्या उन माताओं की है, यानी २० लाख उन माताओं की संख्या है, जो कि प्रसव के कारण बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं···

डॉ० बहादुरसिंह : वे मेडिकल एड न मिलने की वजह से हो जाती हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं जानता हूं आप जो बात कहने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि आप डॉक्टर हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे यह काम करते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे मालूम नहीं था। मैं समझता था कि दवा देते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि बच्चे पैदा करते हैं।

श्री सभापति : आप क्या करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं कहीं नर्स लगा देता।

(हंसी)

मैं अर्ज कर रहा था कि दो लाख मातायें प्रसव–काल में मर जाती हैं और २० लाख मातायें इस प्रसव की गड़बड़ी के कारण बीमारियों की शिकार हो जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए बहुत उपाय आज मुल्क के अन्दर काम में लाये गए हैं और गणना के आधार पर यह प्रयास किया जाता है कि पहले के बनिस्बत, पहले जहां एक हजार के पीछे ४७ माताओं की मृत्यु होती थी, उसके बजाय अब वह नम्बर कम हो गया है और बच्चों और माताओं की मृत्यु की संख्या पहले के मुकाबले कम हुई है, फिर भी यह संख्या इतनी अधिक है कि उसको रोकना अब भी आवश्यक है। तो पहली बात मैंने अर्ज की वह यह कि हिन्दुस्तान की औसत आयु और हिन्दुस्तान की जनरल हैल्थ इतनी कमजोर है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से और कम होगी। और दूसरी बात थी, मृत्यु संख्या की जो महिलाओं और बच्चों की मृत्यु संख्या है, वह इतनी बढ़ी हुई है कि उसके लिए परिवार नियोजन के अलावा और कोई उपाय, ऐसा सीधा और अच्छा, नजर नहीं आता। यह बात ठीक है कि ५ पर्सेन्ट केसेज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें बच्चे पैदा होते समय कुछ असावधानी से माता और बच्चे की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि गांवों में, हिन्दुस्तान गांवों का मुल्क है, पुरानी दाइयां काम करती हैं, उस सिलसिले में इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज़्यादा शिक्षित दाइयां गांवों में जा सकें। फिर भी जो विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि मुख्य कारण इसके पीछे यह है कि बच्चे हर साल पैदा होने से माताओं की तन्दुरुस्ती कमजोर होती है और चूंकि माता कमजोर होती है, इसलिए बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, इसलिए माता और बच्चा दोनों बीमारियों के शिकार होते हैं। हिन्दुस्तान जैसे मुल्क के लिए, जो कि बहुत गरीब मुल्क है, जिसकी आमदनी के

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जरिये बहुत सीमित हैं, हमने अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रयत्न करके इस संबन्ध में अपनी औसत आमदनी बढ़ाने की कोशिश की है, परन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में बहुत प्रयास किया जाना आवश्यक है। लेकिन एक ओर ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, दूसरी ओर हर साल अब भी हमारी पोपुलेशन इस रफ्तार से बढ़ रही है कि शायद हमारे प्रयास करने के बावजूद भी हम उस मामले से सफल नहीं हो सकें। औसत पोपुलेशन जो हिन्दुस्तान में बढ़ रही है, वह एक साल में ५० लाख का अन्दाज है और दुनिया में जिस रफ्तार से बच्चे पैदा हो रहे हैं, वह है कि हर सेकिण्ड में एक बच्चा पैदा होता है। सन् १६५१ से पहले ऐसा समय था कि औसत आयु बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती थी, उसके बहुत से कारण थे, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा! लेकिन सन् २१ के बाद से यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद से, बच्चे इस रफ्तार से पैदा होने शुरू हुए हैं कि ढ़ाई करोड़ बच्चे हर साल दुनियां में पैदा होते हैं और ५० लाख बच्चे हिन्दुस्तान में पैदा होते हैं। तो यह प्रश्न सब के विचार करने का है कि इन परिस्थितियों में से आज सारी दुनियां गुजर रही है हमारा देश भी गुजर रहा है हम तो इसका क्या उपाय करें? यह बात विचार करने की जरूर है। जब बहस हुई थी तो यह बात कही गई थी कि बच्चे होते हैं तो यह एक परमात्मा की देन है परमात्मा जब बच्चे देता है तो हमें रोकना नहीं चाहिये और परिवार नियोजन की बात नहीं होनी चाहिये। शायद यह बात इस सिलसिले में कही थी! 'हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश विधि हाथ' बच्चे मरते हैं, प्रसव काल में औरतों की मृत्यु अधिक तादाद में होती है, हमारे यहां की औसत आयु कम है, हमारे यहां की जनरल हैल्थ है वह वीक है, इन सब बातों को भाग्य के ऊपर छोड़ देना चाहिये और हमारे लिए इस बारे में करने को कोई काम बाकी नहीं रहता। पर अध्यक्ष महोदय, बड़े अदब से उन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वाकई में जिस दृष्टि से इस समस्या को देखते हैं कि है जैसे ही इस समस्या को छोड़ दिया जाय और आगे जो होगा उसे देखा जायगा, तो इस प्रकार की बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इस प्रकार की बात मेरी समझ में नहीं आती। आज बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपने यहां से बीमारी को एक दम दूर कर के जनरल हैल्थ को बढ़ा लिया है। प्रसवकाल में माताओं की मृत्यु संख्या को कम कर दिया है। छोटे बच्चों की मृत्यु को रोक कर कम कर दिया है। अभी दो रोज पहले रूमानिया के 'चार्ज डी अफेयर्स' यहां जयपुर आये थे तो उन्होंने कहा कि रूमानिया में मलेरिया को खत्म कर दिया गया है; उन्होने और भी बहुत सी बातें कहीं। बहुत मुल्कों ने इस बात का प्रयास किया है कि हमारे यहां मृत्यु संख्या कम हो और उन्होंने प्रयास करके कामयाबी हासिल की है, वहां मृत्यु संख्या कम हुई है, इससे सिद्ध होता है कि हम मृत्यु और हैल्थ को एक हद तक कन्ट्रोल कर सकते हैं। असावधानी से जो मृत्यु होती है, बीमारी से जो मृत्यु होती है, उसको एक हदतक रोक सकते हैं। ऐसे प्रयास बहुत से मुल्कों में किये गए हैं और कामयाबी हुई है। अब हम हिन्दुस्तान में इस बात का प्रयास कर रहे हैं और पिछली बार हैल्थ कॉन्फ्रेंस हुई उसमें प्रस्ताव आया था कि हिन्दुस्तान में भी कुछ बीमारियों को लिया जाय जिनको यहां से मूलत: ही खत्म कर दिया जाय। मलेरिया इरेडिकेशन का प्रोग्राम शुरू किया जाय और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रयास करने को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने कहा है। तो

Page No.97

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अगर हम यह मान लें कि बीमारियां पैदा हुईं, बच्चे अधिक मरते हैं, प्रसवकाल में माताओं की मृत्यु अधिक होती है, ये सब काम हमारे करने के नहीं हैं, तो मैं बड़ी नम्रता के साथ कहूँगा कि बीमारियों को रोकने के, जनरल हैल्थ को इम्प्रूव करने के हमारे सभी प्रयास ढीले पड़ जायेंगे।

लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे मुल्क में भी हम जनरल हैल्थ को, पब्लिक की जनरल हैल्थ को, इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रसवकाल में जो माताओं की अधिक संख्या में मृत्यु हो जाती है उसको हम रोकना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में प्रयास हुए हैं; उन प्रयासों में हमें कुछ सफलता मिली। पहले १००० के पीछे ४७ मृत्यु होती थीं वहां अब २७ हो गई हैं। अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में और भी कम औसत मृत्यु होती है। १००० बच्चे पैदा होते हैं तो २ की डैथ होती है। वहां हिन्दुस्तान में ४७ के स्थान पर २७ मृत्यु होती है। महिलाओं की मृत्यु के बारे में अभी हमारे यहां २ लाख है, दूसरे मुल्कों में डैथ को कन्ट्रोल कर के कम कर दिया है। इससे जाहिर होता है कि हम अपने मुल्क में भी प्रयास कर के मृत्यु और असामयिक मृत्यु को, बच्चों और माताओं की मृत्यु को कन्ट्रोल कर सकते हैं। तो उन माननीय सदस्य से जिन्होंने 'हानि, लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश विधि हाथ' इस तुलसीदासजी के वाक्य के अनुसार भाग्य भरोसे रहने को कहा है। मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि तुलसीदासजी ने मेरे ख्याल से यह कहा है कि ये बातें विधि ने, विधाता ने इन्सान के हाथ में दी हैं। परमात्मा हमारे अन्दर है, जैसे स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि 'मैं खुद परमात्मा हूँ, उसका दूत या उसका अवतार या उससे छोटी चीज मानने को तैयार नहीं हूँ,' तो हम भी यह विश्वास रखें कि परमात्मा ने हमें यह शक्ति दी है, और और मुल्कों में इतने बड़े प्रयास हो रहे हैं, हैल्थ को इम्प्रूव करने के पीछे करोड़ों रुपया लग रहा है। अगर हम यही मान लें कि बीमारी और मृत्यु तकदीर में लिखे हुए हैं उसी के अनुसार होता है तो फिर इतने होस्पिटल्स खोलने की मांग क्यों की जाती है? जो जगह जगह शफाखाने खोले जाते हैं, डाक्टर की ट्रेनिंग हो रही है, नर्सरी की ट्रेनिंग हो रही है, इन सबको बन्द करके भाग्य पर विश्वास करके, भगवान पर इन सब बातों को छोड़ देना पड़ेगा। पर मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों की इस प्रकार की धारणा नहीं है और इस सम्बन्ध में जो जो हमने प्रयास किये हैं उनमें हमें सबको सहयोग देना चाहिये। इसकी आवश्यकता के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था और मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता के सम्बन्ध में किसी को एतराज नहीं होना चाहिये। परिवार नियोजन आवश्यक है और और देशों में इसके प्रयास किये जा रहे हैं तो राजस्थान में भी हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें सहयोग देकर.......

श्री पी० के० चौधरी: राजस्थान में क्या प्रयास कर रहे है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: वह मैं अर्ज कर रहा हूं, आप शान्ति रखिये, आप विश्वास रखिये, मैं अभी इसी बात पर आ रहा हूं।

अब प्रश्न यह है कि प्रयास क्या किये जायं? सब से सीधा और सच्चा उपाय तो एक ही है और उसको सभी लोग जानते है।

श्री अर्जुनदास : हम नहीं जानते ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप नहीं जानते तो मैं अर्ज कर रहा हूं इसके बारे में ।

श्री अनूपसिंह : ट्रेनिंग क्लास ले लीजिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं मैं तो इसके बारे में कह रहा हूँ कि संतति रोकने के उपाय तो वेदों और पुराणों में और शास्त्रों में कहे हैं कि इन्सान को ब्रह्मचारी रहना चाहिये । इसके बारे में दो राय नहीं है । यह सबसे सीधा और सच्चा उपाय है ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कृत्रिम उपाय काम में नहीं लेकर वही उपाय जो हमेशा से हमारे मुल्क में काम में आ रहे हैं, वे ही उपाय काम में लेने चाहियें । गांधीजी एक ऐसे आदमी थे जो कि कृत्रिम उपायों के खिलाफ थे । महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि कृत्रिम उपायों से हिन्दुस्तान जैसे देश में कोई लाभ नहीं होगा । यहां पर कृत्रिम उपायों को काम में नहीं लिया जाना चाहिये । उन्होंने एक पुस्तक लिखी है 'आरोग्य कुंजी', उसमें अपनी राय दी है । उन्होंने उसमें अपनी राय दी है और एक दूसरी पुस्तक लिखी है 'अनीति-रोधक' । एक समय उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि जापान जैसा बहादुर मुल्क इस प्रकार के उपायों को काम में लेता है । मैंने यह पुस्तक आज से १८ या २० वर्ष पहले पढ़ी थी । उस समय महात्मा गांधी से पूछा गया था कि जापान कृत्रिम उपायों को काम में ले रहा है, उसमें आपकी क्या राय है ? मैं तो यह कहूँगा कि जापान में तो एबोर्शन को जायज करा दिया गया है, चाहे वह अन-मेरिड गर्ल हो, चाहे वह मेरिड गर्ल हो। जिस समय उनसे यह प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि जापान जैसा बहादुर मुल्क एक गलत रास्ते पर जा रहा है । अगर वह ऐसा करता है तो वह निश्चय ही गलती कर रहा है और जापान जो कृत्रिम उपाय वह काम में ले रहा है वह कदापि नहीं लेने चाहिये । उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि उन उपायों को काम में लेकर संयम नहीं रख सकते हैं । हम चाहते हैं कि बच्चे पैदा नहीं हों लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि विषय-भोग की भावना होती है तो बच्चे पैदा होते ही हैं । तो महात्मा गांधी ने कहा है कि हमको संयम रखना चाहिये ।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि बजाय हम यहां पर 'गांधी-दर्शन' या 'प्रेम-दर्शन' पर चर्चा करें, राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं उन पर प्रकाश डालें ।

Let us come direct to the resolution and if you have anything to say, you may say.

राज्य सरकार ने जो कदम उठाये हैं वे सामने रख दीजिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो मैं इस बात को खत्म कर दूं कि कृत्रिम उपायों से जो फेमिली प्लॉनिंग की बात चल रही है उसमें फेमिली प्लॉनिंग के सेन्टर्स सारे हिन्दुस्तान में खुले हैं ।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान में कितने खुले हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं कि है । सारे हिन्दुस्तान में····

Page No.99

श्री सभापति : Let us not be impatient.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am submitting that; don't be impatient. मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में जो पेटर्न बना है, उसी बेसिस पर हमने किया है और वही मैं बता रहा हूँ। जो फेमिली प्लॉनिंग राजस्थान में लागू है वह हिन्दुस्तान की एक बड़ी स्कीम का भाग है। उसमें एक बात....

श्री पी० के० चौधरी : On a point of information, Sir, राजस्थान में फेमिली प्लॉनिंग के कितने सेन्टर्स हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : You are putting a short notice question. मैं उनको ही बता रहा हूँ।

(हंसी)

राजस्थान में सेकन्ड फाइव इयर प्लान है, उसके अन्तर्गत २५ अर्बन एरियाज़ में सेन्टर्स खोलने के लिये प्रावधान है।

एक माननीय सदस्य : खोले कितने गये हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और १५० रूरल सेन्टर में खोलने का प्रावधान है।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order Sir, the Minister is just replying. We have been asking how many centres are there in Rajasthan? He is not coming straight way to the point. He should say how many centres are there?

श्री सभापति : This is no point of order.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ।

श्री सभापति : Please be brief, direct and releveant to the question.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am just coming to the point, Sir.

श्री अर्जुनदास : There should be some thing new.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं बहुत ही रिलेवेन्ट और अपटू दी पोइन्ट कह रहा हूँ। क्या प्रयास होने चाहिये और क्या प्रयास हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। माननीय सदस्य कोई जानकारी नहीं चाहते तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो अपने पास बहुत से फेक्टस् एन्ड फिगर्स लाया था....

श्री सभापति : अब तक राजस्थान में कितने फेमिली प्लॉनिंग सेन्टर्स खोले गये हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें जो अर्बन सेन्टर्स है, उनमें १० सेन्टर्स खोले गये हैं— अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर, कमानी, जमुआ रामगढ़, आदि इस तरह से अर्बन सेन्टर्स हमारे यहां पर १० स्थानों पर खोले गये हैं और इसके अलावा जो रूरल सेन्टर्स खोले गये हैं उनमें अब तक कि जो लिस्ट है उसमें ५० सेन्टर्स की मंजूरी हम दे चुके हैं; लेकिन उसके लिए स्टाफ की कमी के कारण ८ सेन्टर्स चालू हुए हैं। दौसा, नीमका थाना, बीदासर, गंगापुर, तिजारा, राजगढ़, हिन्डौन आदि हैं।

एक माननीय सदस्य : मालपुरा में है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मालपुरा इसमें नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : इनमें कितने ऑपरेशन्स हुए हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ऑपरेशन सेन्टर्स नहीं हैं। फेमिली प्लानिंग की बात कह रहा हूं। I have studied the subject for more than a week.

आप चाहते हैं कि स्टर्लाइज़िंग करना ही एक फेमिली प्लॉनिंग है, मगर यही फेमिली प्लानिंग नहीं है। आज सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारे मुल्कों में फेमिली प्लॉनिंग चलता है। मगर जब बताने की बात होती है तो आप कह सकते हैं कि हमको तो फिगर्स दे दीजिये, बाकी की जानकारी नहीं चाहिये ।

श्री तनसिंह : २० मिनट ही अब और बाकी हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (अपना भाषण जारी रखते हुए) स्टर्लाइज़ेशन के लिए कहा गया। जो ऑपरेशन होने की बात है वह तो फेमिली प्लानिंग का लास्ट रिसोर्ट है। फेमिली प्लानिंग में तो काफी बातें बतायी जाती हैं, जैसे मैरिड कपल को कैसे बिहेव करना चाहिये। जब वे प्लॉनिंग सेन्टर में नहीं जाते हैं तो बहुत बच्चे पैदा हो जाते हैं, और जब बहुत बच्चे पैदा हो जाते हैं तो यह लास्ट रिसोर्ट है कि ऑपरेशन करा लेना चाहिये। फेमिली प्लानिंग सेन्टर्स में ऑपरेशन करने का काम नहीं होता। माननीय सदस्य केवल इसी बात पर जोर दे रहे थे कि किनने और कितनों ने ऑपरेशन कराया और इस को केवल लाइटली ट्रीट कर रहे थे.......

श्री भैरोंसिंह : On a point of information, Sir, क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि जिनके दो-दो बच्चे हों उनको कम्पलसरीली स्टर्लाइज़ करने के लिए तैयार हैं ?

श्री सभापति : और जिनके एक भी नहीं है उनको कोई इनाम देने के लिए तैयार हैं ?

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, ऐसी बात है कि अभी माननीय सदन के सदस्यों ने इस विशेष कारण को ही नहीं माना है कि फेमिली प्लॉनिंग होना चाहिये। यहां पर जो प्रस्ताव आया उसके लिए यह कहा गया कि चूंकि सेकन्ड फाइव इयर प्लान फैल हो रहा है और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि प्लान को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है, वह तो फेल नहीं हो रही है और चल रही है। फेमिली प्लॉनिंग की बात भी सेकन्ड फाइव इयर प्लान में दी हुई है और उसका कारण जो था वह मैंने निवेदन किया; उससे इन्कार नही कर सकते। किसी पुरुष, स्त्री और बच्चे की तन्दुरुस्ती को ठीक करना है और हिन्दुस्तान के रहने वालों की आयु के सम्बन्ध में जो आंकड़े हैं, आज उनकी जो तन्दुरुस्ती है उसको और मुल्कों के मुकाबले में ठीक करना है, तो आज की परिस्थिति में, आयन्दा क्या होगा जब कि सब ब्रह्मचारी हो जावेंगे या

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नहीं, मैं नहीं कह सकता, फेमिली प्लानिंग के अलावा और कोई चारा नहीं है। वह तो एक आदर्श परिस्थिति होगी, जबकि हम अपने आप को कन्ट्रोल कर सकें और इस हद तक कन्ट्रोल कर सकें कि जब चाहें तब बच्चे पैदा करें। हमारे शास्त्रों में इसको ब्रह्मचर्य कहा गया था, "ब्रह्म की चर्या।" वास्तव में यह कार्य बहुत कठिन है और इस चर्या को करने पर ही ब्रह्म के पास पहुंच सकते हैं। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो क्रियायें करनी चाहिये, फेमिली प्लॉनिंग के लिए भी वे ही काम में लाना चाहिये और यह आवश्यक है। लेकिन जैसे इन्सान हैं और आज की परिस्थिति में हैं, इसलिए हम को मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि आज हम उस युग की परिस्थिति में नहीं जब कि यह माना जाता था। जो लोग ब्रह्म की चर्या करते वह ब्रह्म में लीन हो जाते, मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करते। हम कमजोर इन्सान यदि नहीं कर सकते तो कम से कम जो इसके लिए उपाय हो सकते हैं, उनको अवश्य काम में लाना चाहिये। यह इसलिए भी आवश्यक है कि और मुल्कों ने उन उपायों को काम में लिया है और काम में लाने के कारण उनको लाभ हुआ है, इससे उनको फायदा स्पष्ट दिखाई दिया है। और उसको स्पष्ट समझना चाहिये। जब परिवार नियोजन के बारे में जिक्र आता है तो आम तौर पर लोग यह ख्याल करते हैं कि यह तो ऑपरेशन की बात है और नस कटाने की बात है। ऐसा मजाक में भी कहते हैं। नस कट गई उसको ही फेमिली प्लॉनिंग समझते हैं। लेकिन फेमिली प्लॉनिंग के असली माने वे नहीं समझते हैं। यह तो उसका लास्ट रिसोर्ट है। जब कपल मेरिड होता है तो उस रोज से ही फेमिली प्लॉनिंग की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, परिवार की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए कितने बच्चे पैदा करना है और यह सब फेमिली प्लानिंग में बताया जाता है। उसी रोज से ही फेमिली प्लॉनिंग सेन्टर में इन बातों की शिक्षा दी जाती है। इसका बाकायदा कोर्स है कि यदि इतनी इन्कम है तो इतने बच्चे पैदा करना चाहिये और हर बच्चे की तन्दुरुस्ती का टेस्ट कराया जाय।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यदि जिसके बच्चे न हों तो क्या वह भी वहां जाय तो टेस्ट किया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, फेमिली प्लानिंग सेन्टर में बहुत से ऐसे कपल होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वे निराश हो जाते हैं, वे जाते हैं। हिन्दुओं में ऐसे संस्कार हैं कि जिसके बच्चा नहीं होता है उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है और जिस स्त्री के बच्चा पैदा न हो तो उसकी तो घर में और भी मुश्किल हो जाती है, उसको आम तौर पर

(हंसी)

ताने दिये जाते हैं कि किस खानदान की हमारे घर में आ गई और पुरुष दूसरी शादी इसी गर्ज से करता है कि बच्चा पैदा होना चाहिये।

एक बीमार मेरे पास आये, जिनको हार्ट ट्रबल थी। वे बड़े परेशान थे। मुझे बाद में पता चला कि महाशयजी के बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वे दूसरी बीबी ले आये। उनको हार्ट ट्रबल नहीं होगी तो फिर किसको होगी ? जब धार्मिक दृष्टि से इस पर विचार करते हैं कि बच्चा होना चाहिये तो फेमिली प्लॉनिंग में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जब बच्चा नहीं होता है तो उनको वहां ट्रीट किया जाता है और किस तरह बच्चा पैदा हो यह शिक्षा दी जाती है।

Page No.102

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि नस कटाने से क्या होता है और मंत्री महोदय भी ऐसा कर रहे हैं ?

(करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : यहां तो दो महीने ब.द ही बच्चा पैदा होने वाला है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं हैल्थ डिपार्टमेंन्ट का मिनिस्टर हूं और नस कटाने के बारे में मुझे बताने में कोई शंका नहीं । डाक्टर भी कहते हैं इसके बारे में । बहुत से आदमी कहते हैं कि नस कटाने से नपुंसक हो जाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपका एक्सपीरियेन्स हैं ऐसा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं इरादा करता हूं । अभी किया नहीं । मेरे एक मित्र हैं, वकील हैं । वे ब्लड प्रेशर से बीमार थे । उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने ऑपरेशन कराया है उनकी ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक होगई । ऐसे बहुत से केसेज़ देखे हैं कि ऑपरेशन होने के बाद उनकी तन्दुरुस्ती अच्छी हो गई ।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करियेगा ।

श्री भैरोंसिंह : आप ऑपरेशन करा लीजिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे अभी इतने बच्चे नहीं हैं । तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि फैमिली प्लानिंग के बारे में हमारे दिमागों में किसी प्रकार की गलतफहमी होनी नहीं चाहिए । हम अपने एक परिवार का अच्छी तरह से आयोजन करें । खानदान में जब स्त्री पुरुष एक घर में आते हैं तो उनको सब बातें देखनी होती हैं कि हम अपने परिवार में किस प्रकार से सुयोग्य और सुडौल बच्चे पैदा करें और सुयोग्य और सुडौल बच्चे पैदा करने के लिए हर एक माता-पिता इस बात की ख्वाहिश करता है कि मेरे यहां एक रेवड़ न बन जाये, जैसे कि एक बच्चा गोद में है, एक पीठ पर है, एक पेट में है और एक दौड़ रहा है । इस तरह की किसी भी माता-पिता कि इच्छा नहीं है कि इस तरह से ज्यादा बच्चे पैदा कर लें । मैंने कई जगह जहां एग्जिबिशन लगी हैं वहां देखा है और वहां पर चार्ट वगैरह भी लगे हुए हैं वहां पर लोगों ने कहा है कि जो इतने बच्चों का बोझ स्त्री के ऊपर पड़ता है क्या वह किसी तरह से कम हो सकता है ? बहुत से लोग तो यह चाहते हैं कि बच्चे का बोझ जो स्त्री के ऊपर आ जाता है वह न आये और साथ ही साथ इस बात को हर एक आदमी चाहता है की मेरे बच्चे मेरा नाम कायम रखें । इन्सान अपने नाम को चाहता है और चाहे उसके पास करोड़ों रुपया हो तब भी उस रुपये से उसको संतुष्टि नहीं होती, लेकिन इन्सान की जो नाम की ख्वाहिश होती है वह बहुत प्रबल होती है और इसलिए वह चाहता है कि उसके जो बच्चे पैदा हुए हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, वह ऐसे पैदा हों जो मेरा नाम छोड़ जायें । इसके लिए यह आवश्यक है कि बच्चे तन्दुरुस्त पैदा हों और अगर बच्चा तन्दुरुस्त पैदा नहीं होगा, वही मरा हुआ सा होगा जैसा कि आजकल बच्चे पैदा होते हैं···

श्री सभापति : आप जैसा तो हो भी नहीं सकता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चेयरमेन महोदय,

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

आजमाइश करने का मौका नहीं मिला, लेकिन सदन में आज बहुत कम सदस्य हैं जो मेरा पैदल चलने में मुकाबिला कर सकें। मैं केवल दिखने में ही बीमार सा लगता हूं, मगर अब भी मैं समझता हूँ कि पैदल चलने में मैंने रेकार्ड कायम कर रखा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : और कामों में भी रेकार्ड कायम हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं एक साथ चालीस मील पैदल चला हूं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब एक दो मिनट में ही समाप्त कर दीजिए। कुछ 'दा साहब' भी अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अच्छी बात है।

श्री सभापति : आप एक मिनट में ही समाप्त कर दीजिए।

श्री भैरोंसिंह : आप (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) तो एक बात जरा यह बता दीजिए कि सारे भाषण में एक बात नहीं आई और वह यह है कि जैसे गरीब क्लास के अन्दर ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो उस गरीबी को दूर करने के लिए या फेमिली प्लानिंग को सक्सेसफुल कराने के लिए और उससे लाभ उठाने के लिए क्या एक्शन्स गवर्नमेंट ने लिये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो अर्ज किया कि रूरल एरियाज़ में फेमिली प्लानिंग सेन्टर्स खोलने का इरादा है और वे १५० केन्द्र खोले जायेंगे। तो गरीबों की इन्कम बढ़ाने के लिए जहां तक बात है तो वह तो सेकण्ड फाइव इयर प्लान चल रहा है। अगर इन्कम की बात लेंगे तो यह तो एक दूसरा ही टोपिक हो जायेगा और उसके लिए और एक दो घंटे की आवश्यकता होगी कि विलेजेज़ की इन्कम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। गरीबों के यहां जो अधिक बच्चे...

श्री भैरोंसिंह : गरीबों में गरीबी के कारण और इस प्रकार के अन्य कारणों से बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा होने की प्राब्लम गरीबों में ज्यादा है बजाय अमीरों के, तो गरीब क्लास की इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, एक बात में अर्ज करूंगा और वह यह कि गरीबों में अधिक बच्चे पैदा होते है यह तो मानी हुई बात है। अब बच्चे ज्यादा क्यों पैदा होते हैं, इसके बारे में मैंने अध्ययन किया। लोअर क्लास में बच्चे ज्यादा और ऊंची क्लास में बच्चे पैदा कम क्यों होते हैं इसके बारे मैंने अध्ययन किया तो उससे यह पता चला कि गरीब लोगों की तन्दरुस्ती कमजोर होने के कारण स्त्रियों में बच्चों को कन्सीव करने की ताकत ज्यादा होती है। इसलिए बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं ...

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछ रहा था कि उन गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए क्या सरकार ने कदम उठाये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फिर तो आप ६ बजे तक बैठिये।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मैं यह अर्ज कर रहा था कि गरीबों में ज्यादा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। मैं सभापति महोदय, एक गांव में गया। यह मैं प्रेक्टिकल बात अर्ज कर रहा हूँ। अभी पिछली बार एक गांव में मैं गया और मैंने वहां कहा कि हमें परिवार नियोजन करना चाहिए तो एक आगमी ने कहा कि पहले जहां कि स्त्रियों को जापे में काफी खुराक मिलती थी तो पांच साल तक बच्चों को जन्म ही नहीं मिलता था। पहले काफी घी देते थे जिससे उस समय स्त्रियों को काफी खुराक मिलती थी और पांच साल तक बच्चे पैदा नहीं होते थे। अब तो हॉस्पिटल में जाइये और आधा सेर दूध सबेरे और आधा सेर दूध शाम को मिलता है। हैल्थ इतनी डेलीकेट होती है कि स्त्रियां बच्चे जल्दी कन्सीव कर पाती हैं और इस कारण गरीब क्लास के अन्दर बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। उसका कारण यह है कि वीक हेल्थ हो जाने के कारण ज्यादा पैदा होते हैं। अच्छी हैल्थ रखी जाये और साथ ही पूरी देखभाल की जाये तो बच्चे अच्छे पैदा होंगे और जो प्रोजिनी आयेगी वह अच्छी होगी। खुराक अच्छी हो और उसके लिए इन्कम बढ़नी चाहिए। मैं इस बात का बहुत पक्षपाती हूँ कि हमारे यहां गांवों के अन्दर जहां धंधे नहीं हैं, वहां ज्यादा धंधे दिये जाने चाहिए......

श्री अर्जन दास : On a point of information, Sir, how many Ministers and Dy. Ministers have taken use of this Famliy Planning business? कितने मन्त्रियों ने फैमिली प्लानिंग का उपयोग किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने इस बारे में और मिनिस्टरों से तो जानकारी नहीं की लेकिन हां मैं इसकी जानकारी कर लूंगा। हां, इतना जरूर कह सकता हूँ कि वित मंत्री महोदय ने उसका पूरा लाभ उठाया है।

(हंसी)

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (समाज कल्याण मन्त्री) : चेयरमैन महोदय, समय करीब करीब समाप्त हो रहा है और इस थोड़े समय में मैं जो कुछ आपके सामने कहना चाहता हूँ वह इतना ही है कि जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, राजस्थान सरकार उसके हक में है। उसमें राजस्थान सरकार से चाहा गया है कि फेमिली प्लानिंग के लिए शीघ्र कारगर कदम उठाये जायें। अभी आपके सामने माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने बताया कि राजस्थान सरकार उसके लिए क्या कर रही है। राजस्थान सरकार निश्चित रूप से चाहती है कि जितने ज्यादा सुविधानुकूल कदम जल्दी से जल्दी इस दिशा में उठाये जा सकते हैं, वे उठाये जायें। लेकिन यह कई बातों पर अवलम्बित है। जहां तक सरकार की नीति का सम्बन्ध है स्वास्थ्य मन्त्रीजी स्पष्ट कर चुके हैं और मैंने भी स्पष्ट कर दिया है। जहां तक यह प्रश्न है कि फैमिली प्लानिंग के लिए जो उपाय काम में लाये जाते हैं उनके बारे में क्या राय है, यह तो अलग अलग बातें हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, संयम और फिर दूसरे ऐसे साधन हैं कि जिनसे फेमिली का नियोजन होता है, बाद में बात ऑपरेशन की आती है। इस क्रम से हमें चलना है। इतना ही इस सम्बन्ध में मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस बारे में

Page No.105

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अगर ज्यादा जानकारी की जरूरत हो तो इसके लिए सेन्टर्स मौजूद हैं। इसके बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं...

श्री श्रीभानसिंह : आप अपना एड्रेस दे दीजिए, आपके पास ही आ जायेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा एड्रेस तो आपके पास है। अगर आप फायदा उठाना चाहें तो सेन्टर्स में जा सकते हैं।

श्री भोलानाथ (लक्ष्मणगढ़) : सभापतिजी, मुझे खुशी है कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार भी समर्थन करती है और सदन के माननीय सदस्यों ने भीदिलचस्पी ली और मैं समझता हूँ कि जितने माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर बोल रहे हैं उतने किसी पर भी नहीं बोले। इसमें सदस्यों के साथ ही साथ महिलाओं ने भी भाग लिया। लेकिन एक बात सामने जरूर आई कि जो सरकार के टीर्गेट्स हैं वह ठीक नहीं चल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि २५ सेन्टर्स में से केवल १० ही खोले गए हैं। रूरल साइड में १५० में से सिर्फ ८ ही खुले हैं। मेरे प्रस्ताव का यह आशय था कि राज्य सरकार ऐसे कारगर कदम उठाए कि जिससे फेमिली प्लानिंग का काम राजस्थान में ठीक तरह से चल सके। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ इतने डिस्कशन के बाद, इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जायगा और सदन से यह प्रार्थना करता हूँ, कि इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित किया जाय।

५ म० प०

श्री सभापति : (श्री पी. के. चौधरी से) आपका इसमें अमेण्डमेन्ट है।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw it.

श्री सभापति : जो संशोधन इस प्रस्ताव में श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाय। क्या सदन की यह अनुमति है?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन इस प्रस्ताव में श्री मूलचन्द डागा और श्रीमती गंगादेवी डाटा ने रखे हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

डॉ० बहादुरसिंह : सभापति महोदय, मुझे संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि डॉ० बहादुरसिंह को संशोधन वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

Page No.106

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री भोलानाथ ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(श्री सभापति)

सदन की कार्यवाही दिनांक १८ नवम्बर, १९५८ के ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बज कर २ मिनट पर मंगलवार, दिनांक १८–११–५८ के ११ म० पू० तक के लिए स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, १७ नवम्बर, १९५८)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर २४६६

सेन्ट जेवियर स्कूल से हरिजन को हटाया जान

सिंधी कॉलोनी, बनी पार्क में विकास कार्य ।

डाइरेक्टर, ट्रेनिंग सर्विसेज़, जयपुर की कलकत्ता तथा बम्बई यात्रा ।

गणेश आयर्न फेक्टरी, अजमेर द्वारा चुंगी का भुगतान ।

ग्राम पंचायत दूणी का चुनाव ।

बनी पार्क कॉलोनी में डिस्पेन्सरी।

तहसील कोटपुतली में लगान की वसूली ।

ठिकाना खेतड़ी के कर्मचारियों की नियुक्ति।

बेसिक प्राइमरी स्कूल, लालसोट।

झुंझुनू जिले में भूमि का बन्दोबस्त।

रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन के लिए ली गई भूमि का मुआवजा ।

ज़मीन का परिवर्तन तथा छुटा बांटा की वसूली ।

पटवारखाने के लिए मकान ।

प्रशासनिक खर्चे में कमी ।

तहसीलदार, बोंली द्वारा मुकदमों का फैसला ।

पिपाड़ सिटी में नगरपालिका की स्थापना ।

तहसील बड़ौद की पंचायतों को लगान के रुपए का वितरण ।

भूतपूर्व झालावाड़ रियासत में काश्तकार फंड की जमा धन-राशि ।

जनाना अस्पताल, जयपुर में बीमारों के साथ लापरवाही ।

सुनेल के जागीरदारों को मुआवज़ा ।

जिला बोर्ड व जल बोर्ड, जयपुर द्वारा रुपया दिया जाना ।

ग्राम पंचायतों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप ।

झालावाड़ नगरपालिका को वाटर वर्क्स निर्माण के लिए कर्ज ।

राजस्व कर की पंचायतों द्वारा वसूली ।

डाक्टरों की स्थायी नियुक्ति ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर २५२७

डूंगरपुर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा किए गए कार्य।

अभावग्रस्त क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता ।

स्कम्भ

भीनमाल में भूमि-वितरण समितियां ।

बाढ़ से रूपवास, बयाना व भरतपुर को क्षति ।

भाजना की गढ़ी (भरतपुर) में कृषि हेतु नियत की गई भूमि ।

गैरखातेदारी पड़तल भूमि का भूमि-हीनों में वितरण ।

अनुसूचित जाति के भूमि-हीनों को भूमि-सुविधा ।

अशासकीय कार्य

(१) राजस्थान दहेज नियन्त्रण विधेयक, १९५८ २५३५
(प्रवर समिति को)

श्री मनोहर कोठारी, सदस्य विधान सभा, द्वारा दिनांक १४ अप्रेल, १९५८ को प्रस्तावित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिए जाने के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार किया गया। श्री तनसिंह ने यह संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय तथा डॉ० बहादुरसिंह ने इस आशय का संशोधन प्रस्ताव रखा कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । वाद-विवाद के पश्चात् विधेयक इस आदेश के साथ प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया कि समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे ।

स्कम्भ

समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

१. भीखाभाई, सभापति ।
२. श्री जनार्दनराय नागर ।
३. डॉ० बहादुरसिंह ।
४. श्री सम्पतराज ।
५. श्रीमती गौरी पूनिया ।
६. श्री मनोहर कोठारी ।
७. श्री नारायणलाल ।
८. श्री हीरा भाई ।
९. श्री चन्दनमल बैद ।
१०. श्री फूला भाई ।
११. श्रीमती प्रभा मिश्रा ।
१२. श्री जयसिंह राणावत ।
१३. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।
१४. श्री अब्दुल गफ्फार ।
१५. श्री चन्द्रसिंह ।
१६. श्री मोहरसिंह ।
१७. श्री बैनीराम गहलोत ।
१८. रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।
१९. श्री नरपतसिंह ।
२०. श्री सतीशचन्द्र ।
२१. एडवोकेट जनरल ।

(२) राजस्थान मृत्यु-भोज प्रतिबन्ध विधेयक, १९५८
(वापिस लेना) २६४१

डॉ० बहादुर सिंह, सदस्य विधान सभा, ने उनके द्वारा पुन: स्थापित किए गए उपरोक्त विधेयक को,

सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात, वापिस ले लिया।

२. अशासकीय संकल्प

दिनाक ३१ अक्टूबर, १६५८ को श्री भोलानाथ द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नांकित संकल्प पर आज भी वाद-विवाद हुआ—

"इस सदन की राय है कि बढ़ती हुई आबादी का नियन्त्रण करने के लिए राजस्थान सरकार अन्य राज्यों की भांति परिवार नियोजन के लिए शीघ्र कारागर कदम उठावे।"

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री, तथा श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, ने अपने अपने विचार व्यक्त किए।

२६४४ श्री पी० के० चौधरी तथा डॉ० बहादुरसिंह ने अपने अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिये तथा शेष संशोधन अस्वीकृत हुए तत्पश्चात् संकल्प सदन द्वारा पारित किया गया।

मंगलवार, दिनाङ्क १८ नवम्बर १६५८ की कार्य सूची

(१) राजस्थान बिक्री कर निर्धारण तथा वैधकरण विधेयक, १६५८

(२) राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (संशोधन) विधेयक, १६५८

———

परिशिष्ट १

(कृपया ता० प्रश्न संख्या ५१६ का उत्तर देखिये)

नकशा बकाया गैर खालसा बाद वसूल सं० २०१४ तहसील कोटपूतली

क्रम संख्या	नाम ग्राम	जमा	वसूली बकाया	बाकी	तफसील सम्वत्																
		डिमान्ड	वसूल २०१४	बाकी	२००० तक	२००१	२००२	२००३	२००४	२००५	२००६	२००७	२००८	२००९	२०१०	२०११	२०१२	२०१३	योग	२०१४	कुल योग
१	बुवारा	५७१६.६०	२१०४.२८	३६१२.३२	—											४२३.६२	२४६३.१६	७२५.२१	३६१२.३२	—	३६१२.३२
२	खेलना	२११३०८.१६	—	२११३०८.१६	४४१.३३	७.३१	२.१२	६.७२	४.५०	७५४.४७	—	७.५६	—	२७८३.६६	३६१८.३३	४४२६.७२	४४२६.७२	४४३६.७२	२११३०८.१६	—	२११३००.१६
३	ढसं ोला	२४.३१	—	२४.३१									—					२४.३१	२४.३१	—	२४.३१
४	कीराडोद	५४६७.२८	१०२८.२५	४४३६.०३	१५८६.३६	६५.१४				६४.५३		७६.१७		४२६.६६	२३२.६४	६१४.२०	६०४.२१	७३८.८२	४४३६.०३	५६२.१२	४६६.१
५	जोधपुरा	४६.२३	३०१.००	१६.२३														१६.२३	१६.२३	—	१६.२
६	बडनगर	७२८५.३८	७२८५.३८	६०४.३०											१८.६८	४२६.०५	२००१.७८	३२२४.५७	७२८५.३८	—	७२८५.३८
७	राजनोता	१५५.६०	—	१५५.६०					११.००	८६.८४	—	५५.०६							१५५.६०	—	१५५.६०
८	पाछोडाला	६६.०२	६६.०२																		
		४००७५.६१	३१३१.५५	३३८४४.३६	२६३१.६६	१०२.४५	२.२२	६.७२	१५.५०	६०८.८४	—	२१०.८२	—	३२१०.६२	४१७९.६५	५६००.८६	१०५०५.६०	६१६८.८६	३६८४४.३६	५२३.१२	३७३६७.३८

तहसील लालसोट में जिला बोर्ड द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिये सन् ५५-५६ में दी गई सहायता की सूची

१	२	३	४	५	६	७
क्रम संख्या	नाम नागरिक जिसको धन दिया गया हो	नाम कार्य व ग्राम जिस के लिये धन दिया गया	धन	धन दिये जाने की तारीख	काम सम्पूर्ण हो गया या बाकी हैं	विशेष विवरण
१	श्री मुन्शीलाल जी सरपंच, मंडावरी	मंडावरी स्कूल भवन निर्माण	१५००) रु०	२४-३-५६	दिये गये रुपयों का काम सम्पूर्ण हो गया	
२	श्री सरपंच, ग्राम पंचायत, मंडावरी	तालाब खुदाई मंडावरी	५००) रु०	२४-३-५६	,,	
३	श्री सरपंच, ग्राम पंचायत, खटवा	मिर्जापुर के कुवे की मरम्मत	७००) रु०	३१-७-५६	,,	
४	श्री अध्यक्ष, म्यूनिसिपल बोर्ड, लालसोट	सड़क एवं खुरा निर्माण लालसोट	२५००) रु०	६-२-५६	,,	
५	श्री सरपंच राहूवास	खुरां निर्माण राहूवास	५००) रु०	२८-२-५६		
६	श्री सरपंच, डीडवाना	खुरा निर्माण डीडवाना	५००) रु०	२८-२-५६	,,	
७	श्री सरपंच, दौलतपुरा	औषधालय भवन निर्माण, दौलतपुरा	१०००) रु०	२४-३-५६	,,	
८	श्री सरपंच, सवासा	पचायत भवन निर्माण, सवासा	१००० रु०	३१-३-५६		
९	श्री सरपंच, राहूवास	पंचायत भवन निर्माण, राहूवास	५००) रु०	३१-३-५६	,,	
१०	श्री सरपंच, बिलौना	पंचायत भवन निर्माण, बिलौना	१०००) रु०	३१-३-५६	रकम वापिस आ गई ,,	

तहसील लालसोट में जिला बोर्ड द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिये सन् ५५-५६ में दी गई सहायता की सूची

१	२	३	४	५	६	७
क्रम संख्या	नाम नागरिक जिसको धन दिया गया हो	नाम कार्य व ग्राम जिसके लिये धन दिया गया	धन	धन दिये जाने की तारीख	काम सम्पूर्ण हो गया या बाकी हैं	विशेष विवरण
१	श्री मुन्शीलाल जी सरपंच, मंडावरी	मंडावरी स्कूल भवन निर्माण	१५००) रु०	२४-३-५६	दिये गये रुपयों का काम सम्पूर्ण हो गया	
२	श्री सरपंच, ग्राम पंचायत, मंडावरी	तालाब खुदाई मंडावरी	५००) रु०	२४-३-५६	,,	
३	श्री सरपंच, ग्राम पंचायत, खटवा	मिर्जापुरे के कुवे की मरम्मत	७००) रु०	३१-७-५६	,,	
४	श्री अध्यक्ष, म्यूनिसिपल बोर्ड, लालसोट	सड़क एवं खुरा निर्माण लालसोट	२५००) रु०	६-२-५६	,,	
५	श्री सरपंच राहूवास	खुर्रा निर्माण राहूवास	५००) रु०	२८-२-५६	,,	
६	श्री सरपंच, डीडवाना	खुरा निर्माण डीडवाना	५००) रु०	२८-२-५६	,,	
७	श्री सरपंच, दौलतपुरा	औषधालय भवन निर्माण, दौलतपुरा	१०००) रु०	२४-३-५६	,,	

१	२	३	४	५	६	७
८	श्री सरपंच, सवासा	पंचायत भवन निर्माण, सवासा	१००० रु०	३१-३-५६	,,	
९	श्री सरपंच, राहूवास	पंचायत भवन निर्माण, राहूवास	५००) रु०	३१-३-५६	,, रकम वापिस आ गई	
१०	श्री सरपंच, त्रिलौना	पंचायत- भवन निर्माण, त्रिलौना	१०००) रु०	३१-३-५६-	,,	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२५ का उत्तर देखिये)

राजस्थान विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या १४६. आर. एम. के खण्ड १ से सम्बन्धित सूची

क्र० सं० १	संख्या ग्राम २	अवधि सम्वत् ३	बन्दोबस्त सम्वत् तक ४	समय वर्षों में ५
(क)	६	१९९७	२००७	११
(ख)	१२३	१९९८	२००७	१०
(ग)	४३७	१९९९	२००८	११
(घ)	३	२००५	२००७	३
(ङ)	२	२००५	२००८	४
(च)	१३	२००५	२०१५	११
(छ)	४६	२००८	२०२७	२०
(ज)	७२	२०१२	२०३१	२०

मीजान ७०५

नोटः--इस जिले के शेष दो गांव मुड़की व परशुरामपुरा का बन्दोबस्त कार्य प्रगति पर है ।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५३१ का उत्तर देखिए)

नकशा पटवार खाने जात, जिला जयपुर

क्रम संख्या	नाम तहसील	नाम मौजा जहां पटवारखाना है
१.	जयपुर	बैंगस.
२.	,,	जयसिंहपुरा खोर
३.	सांगानेर	सरामपुरा
४.	,,	दुर्गापुरा
५.	,,	जुगलपुरा
६.	,,	मोहनपुरा
७.	बस्सी	तुंगा
८.	,,	जेटवाडा
९.	,,	पाटन
१०.	,,	बैनाडा
११.	चाकसू	श्योदासपुरा
१२.	,,	कोंथून
१३.	,,	कोटखावदा
१४.	आमेर	तीगरा
१५.	,,	हस्तेड़ा
१६.	,,	जगरामपुरा
१७.	,,	कालाडेरा
१८.	,,	असेपुरा
१९.	जमवा रामगढ़	लयाना
२०.	,,	काकरेल
२१.	,,	मानपुरकलां
२२.	,,	ताला
२३.	,,	बन्दवाजी
२४.	,,	घोला

Page No.116

१	२	३
२५.	,,	सामरेड
२६.	,,	कस्बा जमवारामगढ
२७.	,,	चावन्डीया
२८.	,,	बुध
२९.	,,	रामपुरा
३०.	,,	नैजर
३१.	,,	रुपवास
३२.	,,	सवा
३३.	बैराठ	बैराठ
३४.	,,	भेड
३५.	,,	आसेला
३६.	,,	रामपुरा
३७.	कोटपुतली	बनेटी
३८.	,,	खेडा निहालपुरा
३९.	,,	मालोजी
४०.	,,	मेतखाना
४१.	,,	द्वरका
४२.	,,	कुम्ज़ोला
४३.	फुलेरा	सांभर
४४.	,,	सुनोद
४५.	,,	भैलाना
४६.	,,	पृथ्वीपुरा
४७.	,,	फुलेरा
४८.	,,	नरैना
४९.	,,	मदाल
५०.	,,	हिगोदिया
५१.	,,	आसलपुरा
५२	,,	रामपुरा

१	२	३
५३.	फागी	चऊ
५४.	,,	रेनवाल
५५.	,,	मोयोराजपुरा
५६.	दूदू	ममाना
५७.	,,	दात्तरी
५८.	,,	आचोली
५९.	दौसा	सेन्थल
६०.	,,	लबान
६१	,,	लाहडीकावास
६२	,,	छारेडा
६३.	,,	पापडदा
६४.	,,	नागल चांपा
६५	बसवा	बसवा
६६	,,	मुरलाना
६७	,,	बिवाई
६८.	,,	बावडी खेडा
६९.	,,	गढ़कस्बा
७०	लालसोठ	डीडवाना
७१	,,	लालसोट
७२.	,,	मन्डापरी
७३	सिकराय	दुब्बी
७४	,,	सिकन्दरा
७५	,,	रानोली
७६	,,	गढ़रावा
७७	,,	कालवान
७८	,,	मानपुर ।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४२ का उत्तर देखिए)

STATEMENT OF GRAT-IN-AID UTILISED IN TEHSIL LALSOT (JAIPUR).

VILLAGE.	Work's Nature	Amt. paid	Date of payment.	Name of Recepient
RURAL WATER SUPPLY SCHEME 1955-56.				
1. Jhabda	Well repair	Rs. 70/-	9-2-56.	Shri Dhanwarilal S/o Ghisilal Verma.
		,, 135/-	23-5-55.	Sitaram S/o Sharvan lal Gupta.
		,, 135/-	19-7.55.	-do-
2. Begri	-do-	70/-	22-5-55.	Ramnath S/o Mool-chand Mahajan.
		Rs. 130/-	10-4-58.	-do-
3. Ramgarh Pachwara	-do-	Rs. 100/-	22-5-55.	RambilasS/o Hazari lal Jangir
		Rs. 70/-	17.3-56.	-do-
		Rs. 30/-	12-11-58.	-do-
4. Tutayas	Well Repair	Rs. 250/-	15-12-55.	Mohanlal Bunkar.
		Rs. 450/-	24-12-55.	-do-
		Rs. 200/-	4-11-57	-do-
		Rs. 54/-	14-4-58.	-do-
		Rs. 400/-	8-8-56.	-do-
5. Rahuwas	-do-	Rs. 200/-	22-5-55.	Badri Narain S/o Jamna lal Mahajan.
		Rs. 200/-	26-9-55.	-do-
		Rs. 200/-	29-2-56.	-do-
6. Deosara	-do-	Rs. 235/-	22-5-55,	Jamir Khan S/o Imam-Khan Master.
		Rs. 235/-	18-7-55	Ramsingh S/o Rampal Patel.
		Rs. 150/-	29-2-56	-do-

1	2	3		4
7.	Nijharna Kund Repair	Rs. 400/-	23-5-55	Moolchand S/o Chunilal Brahmin.
		Rs. 400/-	19-7-55	-do-
		Rs. 200/-	1-10-55	-do-
		Rs. 123/-	15-4-58	-do-
8.	Abhaneri Well Repair	Rs. 100/-	22-5-55	Jhuthalal S/o Gopalji Brahmin.
		Rs. 50/-	24-12-55	-do-
		Rs. 150/-	1-3-56	-do-
9.	Sheosinghpura -do-	Rs. 333/-	9-9-55	Bastilal S/o Chitarmal Brahmin.
		Rs. 167/-	20-3-56	-do-
		Rs. 350/-	24-3-56	-do-
		Rs. 150/-	20-1-58	-dc-
10.	Didwana -do-	Rs. 65/-	13-6-55	Jagnath S/o Pannalal Mahajan.
		Rs. 55/-	13-6-55	-do-
		Rs 150/-	1-3-56	Ramswaroop S/o Ram-Sahai Brahmin.
11.	Didwana -do-	Rs. 165/-	22-5-55	Laxminarain S/o Jai-Narain.
		Rs. 115/-	23-5-55	-do-
		Rs. 185/-	18-6-55	-do-
12.	Vyaso-ka-Nohra-do-	Rs. 533/-	5-6-55	Moharpal Mali, Prabhu Dayal & Deokinandan
		Rs. 267/-	30-1-56	Prabhudayal Sharma S/o Raghunathji
		Rs. 200/-	18-11-56	Ramprasad Upsar-panch, Dungarpur.
		Rs. 300/-	1-2-57	-do-
13.	Talabgaon New Well	Rs. 800/-	23-5-55	Sri Krishan Sharma.
		Rs. 400/-	14-755	-do-
		Rs. 600/-	9-8-55	-do-
		Rs. 234/-	10-3-56	-do-
14.	Rahuwas Harijan	Rs. 450/-	24-12-55	Gyanchand S/o Moti-

1	2	3		4
				lal Sharma
	New Well	Rs. 215/-	29-2-56	-do-
		Rs. 300/-	12-4-57	Puniram S/o Mangu Regar.
		Rs. 198/12-	12-4-58	Gyanchand S/o Motilal Sharma.
15.	Delal New Well	Rs. 100/-	22-5-55	Bhanwarlal S/o Ram-Chandra Patel.
		Rs. 200/-	1-3-56	Jaswantsingh S/o Ram Singh Thakur.
		Rs. 150/-	4-7-58	Ramsahai S/o Shanker Lal
	Total.	Rs. 11,489/12-.		

NATIONAL WATER SUPPLY & SANITATION SCHEME, 1955-56

1.	Samasa Well repair	Rs. 300/-	1-12-56	Prabhudayal S/o Gangaram Brahmin
		Rs. 200/-	11-4-57	-do-
		Rs. 94/12-	14-4-58	-do-
2	Jhabda Bhangi New well	Rs. 300/-	26-5-56	Bhanwarlal S/o Ghasilal
		Rs. 200/-	9-4-57	-do-
3.	Mandawari (Vyas) Well Repair	Rs. 300/-	30-4-57	Gopilal S/o Sheonath Brahmin.
		Rs. 200/	30-9-57	-do-
		Rs. 200/-	30-9-57	-do-
		Rs. 90/8/-	9-4-58	-do-
4.	Mandwari Bajaj -do-	Rs. 50/-	30-4-57	Gopilal S/o Sheonath Brahmin.
		. 60/-	30-2-57	-do-
		Rs. 94/2/-	9-4-58	-do-

1	2	3		4	
5.	Mandawari Bharni -do-	Rs. 50/-	30-4-57	Gopilal S/o	-do-
		Rs. 50/-	30-9-57	-do-	
		Rs. 99/2/-	9-4-57	-do-	
6.	Mandawari Droga -do-	Rs. 100/-	27-2.57	Gopilal S/o	-do-
		Rs. 200/-	30-4-57	-do-	
		Rs. 100/-	30-9-57	-do-	
		Rs. 100/-	30-10-57	-do-	
7.	Abhaneri Well repair	Rs. 130/-	1-12-56	Jhuthalal S/o Ram-Gopal Brahmin.	
		Rs. 100/-	9-4-57	-do-	
		....			
	Total amt. paid	Rs. 3028/8/-.			
		....			

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४४ का उत्तर देखिये)

सूची उन ग्राम पंचायतों की जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों की सन् १९५७-५८ व सन् ५८-५९ में जांच की गई और उन मामलों में से जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपे गये।

१९५७-५८					१९५८-५९				
क्रम संख्या	नाम ग्राम पंचायत जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच की गई	जांच का नतीजा	मामलों की कुल संख्या जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपे गये	जांच कार्यवाही जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की गई	क्रम संख्या	नाम ग्राम पंचायत जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच की गई	जांच का नतीजा	मामलों की कुल संख्या जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपे गये	जांच की कार्यवाही जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की गई
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
						जिला जयपुर			
					१	बिचाई	गबन कुनीन्दा को नोटिस दिया गया है।		
					२	बिलान्दपुरा	—	१	अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
					३	प्रागपुरा	पूर्व सरपंच को आदेश दिया गया है कि रकम फौरन जमा करावें वरना मामला पुलिस में दिया जायगा।		

जिला सवाई माधोपुर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	मांगी श्यामपुरा	जांच कार्यवाही जारी है							
२	चकेरी	,,							
३	कोडबाई	,,							
४	गहनोली	,,							
५	चौड़ा गांव	,,							
६	बूकना	,,							
७	तलाबड़ा	,,							
८	टोकसी	,,							
९	बजीरपुरा	,,							
१०	जीवली	,,							
११	मलारना डूंगर	,,							

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
						जिला अलवर			
१	जिन्दौली	,,							
२	नागलसालिया	,,							
३	पिनान	,,							
४	हुहरा	,,							
						जिला झुंझुनू			
१	कालोटा	,,							
२	सेफरागुवार	,,							
३	शीमला	,,							
						जिला सीकर			
१	विरानिया	,,							
२	मढ़ा	,,							
३	दांता	,,							
४	मगलना	,,							
५	महरौली	,,							
६	गोविन्दपुरा	,,							
७	हरसावा बड़ा	,,							

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
						जिला टोंक			
१	पचेवर	"							
						जिला अजमेर			
१	जालिया	"							
२	भिनाय	"							
						जिला भरतपुर			
१	पुरानी छावनी	सरपंच से रकम वसूली का आदेश दिया गया है।							
२	जघीना	जांच जारी है।	१	शिकायत तथ्यहीन पाई गई।					
३	सरमथुरा	"							
४	डुमरिया	भ्रष्टाचार विभाग को दिया गया।	१	जांच जारी है					
						जोधपुर डिविजन			
१	बागरा	जांच से शिकायत साबित हो गई है और राज्य सरकार को सरपंच को पृथक करने के लिये निवेदन किया गया है।		कार्यवाही जारी है।					

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
						जिला पाली			
१	पालडी	एम्बजलेमेंट जांच से साबित हो गया जिसके लिए सरपंच को हटाने के लिए राज्य सरकार को लिख दिया ।	१	जांच जारी है					
२	चंडावल	एम्बजेलमेंट जांच से साबित हो गया जिसके लिये राज्य सरकार को निवेदन किया गया है कि सरपंच व एक पंच को पृथक किया जावे।			१	बूसी	भ्रष्टाचार साबित होगया मामला राज्य सरकार व एन्ट्रीक्रपशन को दिया ।	१	कार्यवाही जारी है
					२	मुवाना	रेकार्ड फाड़ना साबित होगया मामला राज्य सरकार व एन्ट्रीक्रपशन को दे दिया गया ।	१	"(इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने लिखा है कि यह मामला प्रासिक्युशन के काबिल नहीं है किन्तु सरपंच को हटाने के लिए कार्यवाही की जावे ।)

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३	तखतगढ़	भ्रष्टाचार की जांच साबित हो गई। सरपंच को हटाने के लिए राज्य सरकार को निवेदन किया गया है			३	गुन्डोद	फाइल में से नोटिस बदले गये कार्यवाही जारी है।		
					४	दहलोव	भ्रष्टाचार की जांच की गई तो तथ्यहीन पाई गई।		
४	खारिया मीठापुर	"				**जिला बीकानेर**			
१	सोमलसर	जांच से शिकायत तथ्यहीन पाई गई।		मूल शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से आने से सूचना २०-७-५८ को दी गई।					
२	कुदल	हिसाब की जांच ऑडिट विभाग द्वारा कराई जाने की कार्यवाही प्रारम्भ है।							
३	बड़ावास रूणिया	ऑडिट विभाग द्वारा ६) ६० का गबन बताने से विभागीय जांच श्री डी. पी. ओ. द्वारा कराने हेतु लिखा गया।							
४	खोख	श्री लादुराम सरपंच द्वारा पंचायत कोष का द्रव्य १६६॥=) का खयानत किया (रकम चार्ज में नहीं दी)	निरीक्षक ने केस पुलिस में दिया	कार्यवाही जारी है (निर्णय की सूचना प्राप्त नहीं हुई)					

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५	मूंडसर	पंचायत द्रव्य का दुरुपयोग साबित होने से सरपंच को पृथक कराने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया गया।							
६	सहजरासर	श्री रामेश्वरदयाल, लेखक के विरुद्ध ३२) रु० का गबन करना पाया गया।	पुलिस में दिया गया।	कार्यवाही प्रारम्भ है।					
७	तहसील पं० बीकानेर	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा श्री दीपाराम पंच त० प० बीकानेर के विरुद्ध धारा ४२०, ४०६, ३६६ का केस रजिस्टर कर सूचना प्राप्त होने पर पंच को पृथक करने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया गया।							
८	गाढ़वाल	ओडिट विभाग द्वारा ३६।।)।। का गबन बताने							

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
		से डी. पी. ध्रो. बीकानेर द्वारा विभागीय जांच जारी है।							
९	खिवेरा	ऑडिट विभाग द्वारा दुरुपयोग बताने से डी. पी. ओ. बीकानेर से विभागीय जांच कारवाई जारही है।							
१०	करणीसर	ओडिट विभाग द्वारा १०२॥।) का गबन बताया गया डी० सी० ओ द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारम्भ है।							
११	कामासर	ओडिट विभाग द्वारा १५००) रु० का गबन बताने से विभागीय जांच जारी है।							
					जिला चूरू				
१	बालेरा	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा एक आई० आर सरपंच के विरुद्ध प्राप्त होने से विभागीय जांच प्रारम्भ है।	सीधा ही	कार्यवाही प्रारम्भ है	१	दुदवाखारा	भ्रष्टाचार निरोधक वि० द्वारा एक आई० आर० आने पर विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारम्भ है।		कार्यवाही प्रारम्भ है।

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२	उदरासर	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा सरपंच के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर डी० पी० ओ० साहब द्वारा विभागीय कार्यवाही जारी है।			२	टोणीमोली	ऑडिट वि० द्वारा ३२४।) का गबन बताने से विभागीय जांच प्रारम्भ है।		
					३	खेजड़ा	ऑडिट वि० द्वारा २२) रु० का गबन बताने से विभागीय जांच प्रारम्भ है।		
					४	चनाणा	ऑडिट विभाग द्वारा १७॥) का गबन बताया, विभागीय जांच प्रारम्भ है।		
					५	मालसर	ओडिट वि० द्वारा ३९)॥ का गबन बताया, विभागीय जांच प्रारम्भ है।		
					६	मिठी	ओडिट वि० द्वारा ११।) का गबन बताया विभागीय जांच प्रारम्भ है।		
					७	बिल्लू	ऑडिट वि० द्वारा २५) का गबन बताया गया, विभागीय जांच प्रारम्भ है।		

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
					८	त० पं० राजगढ़	ऑडिट विभाग द्वारा ५६) रु० का गबन बताया गया, विभागीय जांच प्रारम्भ है ।		
					९	खन्डवा	ऑडिट विभाग द्वारा ६॥) का गबन बताया विभागीय जांच प्रारम्भ है		
					गंगानगर				
१	सुगावाली	ऑडिट वि० द्वारा ५२।) का गबन होना बताया गया, विभागीय जांच प्रारम्भ है ।			१	करडवाली	पंचायत फंड का दुरुपयोग साबित होने से ३७६।।)॥ सरपंच से वसूल करने की कार्यवाही प्रारम्भ है तथा ऑडिटिंग कराने हेतु ऑडिट विभाग को लिखा गया है ।		
२	पद्मपुर	ऑडिट वि० द्वारा १०२।–)। का गबन होना बताया, विभागीय जांच प्रारम्भ है ।			२	कानीसर	ऑडिट विभाग द्वारा ६५) रु० का गबन होना बताने से डी० पी० ओ० साहब द्वारा विभागीय जांच कारवाई जा रही है ।		

Page No.132

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
					३	कोलायत	ऑडिट विभाग द्वारा ३०० रु० का गबन बताने से डी० पी० ओ० साहब द्वारा विभागीय जांच की जा रही है।		
					४. ३१ एल० एल०		कार्यवाही प्रारम्भ है।		
					जिला कोटा				
१	नान्ता	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा सरपंच के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई गई तो शिकायत तथ्यहीन पाई गई।			१	सोरसन	सरपंच दुर्गाशंकर द्वारा जलाशय कार्य में १४००) रु० की खयानत करने से सरपंच को पृथक करने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया गया। मामला पुलिस में देने के लिए १५-११-५८ को लिखा गया है।		
२	खण्डावाडी	श्री रामनारायण, उपसरपंच के विरुद्ध आक्षेप जांच से तथ्यहीन पाया गया।							
					२	अन्ता	ऑडिट विभाग द्वारा ६।) का गबन बताया गया, विभागीय जांच प्रारम्भ है।		
३	शाहबाद	जांच की कार्यवाही प्रारंभ है।			३	कोटडा दीपसिंह	आडिट विभाग द्वारा ३।) का गबन बताया गया, विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ है।		
					४	नोनेरा	ऑडिट विभाग द्वारा ३।) का गबन होना बताया बताया, विभागीय जांच प्रारम्भ है।		

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
					–: जिला बूंदी :–				
१	देई	पंचायत कोष के हिसाब की जांच हेतु लोकल फन्डे ऑडिट विभाग को लिखा गया है।							
२	हिलोर	जलाशय की रकम में दुरुपयोग होने की जांच कार्यवाही प्रारम्भ है।							
					–: जिला झालावाड़ :–				
१	छत्रपुर	ऑडिट विभाग द्वारा ५।।।) का गबन करना बताया। विभागीय जांच प्रारम्भ है।							
					–: जिला बांसवाडा :–				
					१	त० पं० बांसवाडा	श्री आशिक गनी, सेक्रेटरी त० पं० द्वारा पंचायत द्रव्य का खयानत करना पाया गया। मामला पुलिस में देने हेतु लिखा गया।		

Page No.134

	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
					—: जिला भीलवाड़ा				
१	बड़ी हरनोई	सरपंचके विरुद्ध आक्षेपों की जांच डी० पी० ओ० द्वारा कराई जा रही है।			१	खाभोर	श्री नाथूराम, उप सरपंच ने पंचायत कार्यालय के किराये के २७॥) रुपये पंचायत कोष द्वारा प्राप्त किये जिससे उन्हें प्रथक कराने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया गया।		
२	टीकोला	पंचायत का द्रव्य का ३१०।॥) गबन पाया जाने से सरपंच व उप सरपंच को पृथक कराने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया गया है और मामला पुलिस में देने हेतु डी. पी. ओ. साहब को लिखा गया है।							
२	नन्दराय	ऑडिट विभाग द्वारा ५० रु० का गबन होना बताया गया, विभागीय जांच की कार्यवाही जारी है।			२	उदतवास	ओडिट विभाग द्वारा ७) रु० का गबन होना बताया, विभागीय जांच प्रारम्भ है।		
					३	डावला	जांच की कार्यवाही प्रारंभ है।		
					४	शामोर	लेखक श्री चुन्नीलाल द्वारा कोर्ट फीस की रकम २) खयानत करना पाया गया। मामला		

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
							पुलिस में देने हेतु जिला स्तर अधिकारी को लिखा गया है।		
					५	जहाजपुर	पंचायत कोष के २२२.७८ नए पैसे कम होने पाए गए। मामला पुलिस में एस. पी. साहब भीलवाड़ा की कार्यवाही हेतु दिया गया।		
					जिला डूंगरपुर				
					१	कलवा	पंचायत के सरपंच के विरुद्ध पंचायत द्रव्य का दुरुपयोग होना पाया जाने से राज्य सरकार को सरपंच को पृथक करने हेतु निवेदन किया गया है।		
					२	खिमलपाडा	ऑडिट विभाग द्वारा ३।।।) का गबन होना बताया। विभागीय जांच प्रारम्भ है।		

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
						जिला उदयपुर			
					१	कूला	ऑडिट विभाग द्वारा १३.४४ न. पै. का गबन होना बताया, विभागीय जांच प्रारम्भ है।		
					२	बरार	ऑडिट विभाग द्वारा ६=) का गबन होना बताया गया, विभागीय जांच प्रारम्भ है।		
					३	स्गादडी	ऑडिट विभाग द्वारा १५।।) का गबन होना बताया, विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारम्भ है।		

सन १९५७-५८			१९५८-५९		
कुल मामले जो जांच के लिये आये	संख्या मामले जिनकी विभागीय जांच हो रही है।	संख्या मामलों की जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दिये गये	कुल मामले जो जांच के लिये आये	संख्या मामलों की जिनकी विभागीय जांच हो रही है	संख्या मामलों की जो भ्रष्टाचार विभाग को दिये गये
१	२	३	४	५	६
६२	५८	४	३५	३२	३

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर देखिये)

खण्ड (२) से सम्बन्धित सूची

१–तहसील जसवन्तपुरा   २३७ प्रार्थन-पत्र   दिनांक ८–८–५८ तक

तहसील द्वारा समय समय पर अस्थाई तौर से इजाजत दी गई।

२–तहसील सांचोर   १४६ प्रार्थना-पत्र   दिनांक १०–६–५८ तक

६६६ प्रार्थना-पत्र   दिनांक १८–७–५८ तक

१८ व १९ जुलाई की एवं २१, २२ व २३ अगस्त की कमेटी के सामने पेश किया।

खण्ड (३) से सम्बन्धित सूची

प्रार्थना-पत्र	तारीख स्वीकृति
२०	१८–७–५८
५३	१९–७–५८
३१	२२–८–५८
७५	२३–८–५८

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४ देखिये)

(1) 120 villages of tehsil Rupbas, Bayana and Bharatpur of District Bharatpur were affected by the recent flood in this district. The details of the people, area in acres and damage to crop affected by this flood are under :—

Name of Tehsil.	Villages affected.	No. of persons affected.	Area sub-merged in Acres.	Area in which Kharif crop damaged
Bharatpur including Kumher.	81	12,419	66,950	9,049
Rupbas	21	6,614	6,852	1,268
Bayana	18	3,006	5,858	981

(2) The district Officers took steps for the relief of flood affected and the people were removed to safer places. Relief parties of Block, Revenue, Police and Irrigation departments employees were formed to help the sufferers. Nine Military boats and 42 Military Officers also helped the sufferers. Gram, Gur, Kerosene oil, match boxes, cloth and cooked food was distributed. Some persons were given monetary help besides all this. Bamboo with roads were provided for temporary arrangements for living. Medical aid was also rendered.

32,000 Mds. of wheat, 4000 Mds. of Barley, 4,000 Mds. of Gram have been provided for distribution as seeds. Revenue Taccavi loans have also been granted liberally. (list enclosed).

(3) Yes, proposals have been made to shift seven villages of Tehsil Rupbas and 4 villages of Tehsil Bayana which are subjected to being flooded annually to some other places and are under consideration to the Government and subject the affected persons being willing to cooperate it is hoped that the scheme be implemented will shortly.

LIST OF VILLAGES IN WHICH AREA SUB-MERGED UNDER WATER OF THESIL BAYANA, DISTRICT BHARATPUR, 195९.

Sl. No.	Name of Village.	Total population.	Population affected.	Area sub-marged under water.	Area affected in Acres
1.	Salabad	548	375	870	237
2.	Nadigaon	531	375	1,000	162
3.	Chaknawli	241	170	219	22
4.	Nagla Shersingh	22	22	160	25
5.	Bramhbad	2,707	300	20	—
6.	Chokhanda	200	75	200	33
7.	N. Kurwaria	109	60	240	27
8.	Rechholi	130	120	240	26
9.	N. Nirbhar	40	24	116	6
10.	Kaswa Bayana	9,570	200	100	43
11.	Murrki	162	55	120	—
12.	Purbaikhera	982	600	1360	158
13.	No. Chhitaria	54	25	50	—
14.	Seopur	481	100	320	47
15.	Sadpura	492	300	520	90
16.	Devasarai	55	55	40	21
17.	Singhada	1,045	100	223	52
18.	N. Chamaran Majra Bidiyari	127	50	60	32

TEHSIL RUPBAS

Sl. No.	Name of Village.	Total population.	Population affected.	Area sub-marged under water.	Area affected in Acres
1.	Barah Patti	141	141	63	8
2.	Gilgilyapatti	160	160	113	5
3.	Madoli	841	830	838	179
4.	Suvra	168	107	120	13
5.	Srinagar	119	116	64	10
6.	Basoli	399	370	303	26
7.	Kanjoli	343	285	174	27

Page No.141

1	2	3	4	5	6
8.	Kakarau	331	275	99	19
9.	Khatipura	23	18	48	1
10.	Ratua	254	250	300	24
11	Mandapura	797	772	720	150
12.	Chandoli	211	90	37	—
13.	Khannua	1,668	1,100	392	233
14.	Jindpura	354	251	60	11
15.	Bansi Bagri	296	100	100	27
16.	Rupbas with Sirsoda	2,919	884	1,712	405
17.	Jahanagar	75	75	—	—
18.	Barbar	218	218	—	—
19.	Singawali	339	339	1,294	—
20.	Jaral	158	158	415	130

LIST OF VILLAGES IN WHICH AREA SUB MERGED UNDER WATER OF TEHSIL BHARATPUR DISTRICT. 1958

Sl. No.	Name of Village	Total Population	Population affected	Area submaged under water	Area affected in accers.
1	2	3	4	5	6
1.	Bahnera	699	699	1,172	320
2.	Chak Bahnera	16	16	201	12
3.	Nagla Abhairam	147	147	153	40
4.	Chichana	338	—	686	194
5.	Dhanagarh	183	183	592	120
6.	Sanhooli	108	—	418	120
7.	Nagla Kalyanpur	34	34	306	—
8.	Kalyanpur	278	—	682	80
9.	Chokipura	39	—	426	24
10.	Aghapur	422	422	1,513	50
11.	Chak Choba	147	147	195	24
12.	Chak Shoesingh	23	23	202	12
13.	Chak Sorawali	10	10	56	4
14.	Sunahari	821	—	995	160
15.	Darapur	212	—	574	16
25.	Chak Darapur No. 1	30	30	169	20
17.	Chak Darapur No. 2	152	152	602	90
18.	Nagla Tiketa	58	—	169	28
19.	Chak Nagla Punjabi	27	27	234	18
20.	Nagla Fatiyar	23	—	169	6
21.	Chak Nagla Samniya	8	—	99	4
22.	Chak Naswariya	32	—	144	2
23.	Chak Kaji	23	23	752	44

SUB-TEHSIL KUMBHER

Sl. No.	Name of village	Total Population	Popoulation affected	Area sudmaged under water	Area affected in acers,
1	2	3	4	5	6
1.	Lakhan	676	676	1,214	426
2.	Adhaiya Khurd	247	247	630	220
3.	Adhaiv Kallan	137	137	348	116
4.	Gadhira	55	—	234	83
5.	Kumha	747	747	1,809	320
6.	Indu	256	—	1,024	60
7.	Dandu	718	—	606	—
8.	Saman	140	—	284	21
9.	Khan	254	—	487	44
10.	Dhokas	30	30	132	44
11.	Maharath	—	—	263	—
12.	Karunwa	212	—	795	10
13.	Sainthri	98	98	270	120
14.	Gangar Soli	343	—	785	30
15.	Kasba Kumher	5,597	5,597	3,555	974
16.	Belara Kallan	205	205	1,175	464
17.	Bellara Khurd	152	—	198	56
18.	Nagla Bagheri	99	99	234	32
19.	Nagla Ganga	60	—	293	38
20.	Nagla Sawai Ram	125	—	228	40
21.	Nagla Modi	76	—	436	62
22.	Borai	287	—	591	46
23.	Chak Borai	—	—	163	21
24.	Chak Shaih	—	—	236	40
25.	Dehra	805	805	2,439	322
26.	Nagla Karauli	125	—	485	100
27.	Khera Karauli	135	—	674	80

1	2	3	4	5	6
28.	Rarh	1,351	1 351	2,143	407
29.	Takha	1,181	—	2,668	81
30.	Gunsara	1,750	—	2,602	203
31.	Bhatawali	773	—	2,706	320
32.	Pani	224	—	396	72
33.	Chimari	87	—	418	70
34.	Parola	95	—	563	123
35.	Gudawali	303	—	707	230
36.	Guhawali	201	—	577	203
37.	Bansroli	310	—	678	122
38.	Ajau	567	—	874	281
39.	Pauwa	585	—	1,672	200
40.	Satyanagar	150	150	—	86
41.	Vijay Nagar	145	145	4,790	85
42.	Chowkipura	90	90	1,077	204
43.	Chakpapera	58	—	382	94
44.	Dhanwara	755	—	2,176	40
45.	Paprera	900	—	2,012	20
46.	Nagla Mana	153	—	148	20
47.	Usrara	106	—	235	10
48.	Indrapura	76	76	189	63
49.	Santruk	1,481	—	2,818	160
50.	Ubar	1,792	—	1,499	100
51.	Nagla Maithuna alias Buti-ka-Magla	53	53	380	92
52.	Nagla Luchpuri	—	—	133	32
53.	Sihi	466	—	1,057	42

1	2	3	4	5	6
54.	Rundh Bhatawali	16	—	283	44
55.	Sarsahi	65	—	326	119
56.	Shaih	587	—	1,204	162
57.	Sikrori	848	—	2,053	83
58.	Kanchanpura	85	—	228	124
	TOTAL,	16,356	10,505	56,441	7,661

DETAILS OF VILLAGES TO WHOM THE RELIEF WAS GIVEN.

DETAILS OF ARTICLS.

Sl. No.	Name of Villages	Thread	Flour Hds. Srs.	K. oil	Match Box.	Lemon	Gram	Tobacco	Bidi	Needle	Gur
1.	Purabai Khera.	$1\frac{1}{4}$ Sr.	2 17	3 Tin	126	18 Srs.	3 Mds.	3 Srs.	20 Bundle	100	—
2.	Pecholi	$\frac{1}{4}$ Sr.	1,Md.	$\frac{1}{2}$ Tin	40	3 Srs.	1 Srs.	—	—	50	—
3.	Nagla Nirbha	$\frac{1}{8}$ Sr.	— 10 Sr.	—	8	$\frac{1}{2}$ Srs	10 Srs.	—	10 Bundle	8	—
4.	Barhmbad	$\frac{1}{2}$ Sr.	3Mds.	$\frac{1}{2}$ Tin	50	3 Srs.	4 Mds.	4 Srs.	10 ,,	50	20 Srs.
5.	Nadi ka Gaon	$\frac{1}{2}$ Sr.	30 Sr.	1 Tin	53	4 Srs.	-	—	—	100	—
6.	Nagla Jhamra	$\frac{1}{4}$ Sr.	2Mds.	1 Tin	86	4 Srs.	2 Mds.	—	—	270	10 Srs.
7.	Vikayapura	—	— —	$\frac{1}{2}$ Tin	9	—	20 Srs.	—	—	—	—
8.	Chaknabli	—	— —	—	—	—	20 Ssr.	—	—	—	—
9.	Sadpura	—	— —	—	—	—	1 Md.	—	—	—	—
10.	Chaukhanda	—	— —	1 Tin	20	—	1 Md.	2 Srs.	—	—	—
11.	Nagla Kurbara	—	— —	—	—	—	1 Md.	—	10	—	—
12.	Salabad	2 Sr. 10 Chh.	3 Md. 33 Sr.	$2\frac{7}{8}$ Tin	271	$8\frac{1}{2}$ Srs.	5 Md.	2 Srs.	44	150	—
13.	N. Shersingh	—	— —	—	—	—	20 Srs.	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	N. Chimman	—	—	—	—	—	—	10 Srs.	—	—	—	—
15.	N. Chitarla	—	—	—	—	—	—	10 Srs.	—	—	—	—
16.	Seedpur	—	—	—	—	—	—	20 Srs.	—	—	—	4 Sr. 6Chh.
17.	Devasarai	—	—	—	—	—	—	10 Srs.	—	—	—	—

N. B:— Abcve articles were supplied from the amonnt of relief account to ten times tehsil Rs. 4865/- distributed as Taccavi loans against Rs. 33,000/- allotted Bayana Sub-Division.

VILLAGEWISE STATEMENT SHOWING AMT. OF RELIFE GRANTED TO THE FLOOD SUFFERERS IN TEHSIL, BHARATPUR.

Sl. No.	Name of Village.	No. of families affected·	Details of distribution of things.							
					Gur	Chana	k.oil	Match Box.	Pri	Taccavi
1.	Aghapur	84			25/-	40/-	8/4/-	-/4/-	90/-	1200/-
2.	Ch. Choba	30			5/-	10/-	–	–	30/-	750/-
3.	Ch. Sheosinghji	4/-			5/-	10/-	–	–	–	200/-
4.	Behenera	140/-			12/2	20/-	4/2/-	-/3/-	–	2975/-
5.	Chak Behmera	3			2/-	10/-	–	–	–	160/-
6.	Ghaslola	–			–	–	–	–	–	2095/-
7.	N. Abheyram	10			3/-	10/-	–	–	–	625/-
8.	Chichana	68			–	–	–	–	–	900/-
9.	Sanhuli	21			–	–	–	–	–	450/-
10.	Mehtoli	42			–	–	–	–	–	9555/-
11.	Dhanagarh	40	Ata,	Dal	20/-	30/-	8/4/-	-/4/-	6/-	2600/-
12.	Kalyanpur	56	22/-	1/1/6	15/-	20/-	–	–	30/-	1655/-
13.	Chokipura	8			–	–	–	–	–	370/-
14.	Ch.Darpur No. 2	30			10/-	30/-	8/4/-	-/8/-	90/-	–
15.	N. Tiketa Chhota 6				–	–	8/4/-	–	–	–
16.	N. Tiketa	10			5/-	10-	8/4/-	–	60/-	–
17.	Ch.N. Kazi	2			3/-	5/-	–	–	–	–
18	Beggha	–			20/-	30/-	8/4/-	–	–	–
19.	Bansi	–		13/8/-	10/-	10/-	4/2/-	–	–	–
20.	Serpur	–			10/-	10/-	–	–	–	–

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक १७ नवम्बर, १६५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२४६६	ऊपर से ६	(अनुपस्थिति–	(अनुपस्थित–
२४७३	,, २	done the	done under the
२४७७	,, ८	इस पंच	इस पंचा—
२४८६	अन्तिम पंक्ति	होता ।	होता है ।
२४८८	,, ११	रेटस में	रेट्स में
२४८९	ऊपर से १६	bitiunder	bit louder
२४६१	शीर्ष	–८ नवम्बर,	–१७ नवम्बर,
,,	अन्तिम से २	राजस्व मंत्री श्री (दामोदरलाल व्यास) :	राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :
२४६६	,, ५	माननीम	माननीय :
२५०४	ऊपर से ७	no: jurisd ction	no jurisdiction
२५०७	,, ५	फक्शन	फंक्शन
२५११	,, ३	विलीनी कारण	विलीनीकरण
२५१८	,, ६	मिताओं	मितताओं
२५२१	शुरू से अन्त	श्री रामचन्द	श्री रामचन्द्र
२५२५	ऊपर से ११	लिखा। उनकी	लिखा,उनकी
२५२७	,, ३	२.. रावराजा श्री सरदारसिंह	२.. रावराजा श्री सरदारसिंह
२५३०	,, ६	foder;	fodder
२५३१	,, ३	4 peresons	4 persons
२५३५	,, ३	(श्री तनसिह)	(श्री तनसिंह)
२५३६	प्रथम पंक्ति	एकावट	रुकावट
२५३७	अन्तिम से ४	econom c	economic

१	२	३	४
२५३८	अन्तिम से १३	प्रोमिस	प्रोमिज
,, ,,	,, ११	डॉयरी	डॉवरी
२५४८	,, १२	पर्यात होगा ।	पर्याप्त होगा ।
२५४६–	प्रथम पंक्ति	(डॉ बहादुरसिंह)	(श्री जनार्दनराय नागर)
२५५१–	,,		
२५५२–	,,	,,	,,
		,,	,,
२५५३	ऊपर से ८	ओर इस	और इस
२५८६	,, १८	सामज के	समाज के
२५६१	अन्तिम से ६	श्री हरप्रसाद	श्री हरिप्रसाद
२६०२	,, १२	मुसलनान	मुसलमान
२६०६	अन्तिम पंक्ति	रंडी के लिए	रंडी को लिए
२६१६	ऊपर से १२	नोटीस	नोटिस
२६१६	,, १५	दिल मैं	दिल में
२६२०	ऊपर से ६	स्थिति में । एक	स्थिति में एक
२६२३	अन्तिम से २	काय ताकि	जाय ताकि
२६३२	,, ६	समचार	समाचार
,,	,, ५	प्रकार्शित	प्रकाशित
२६३३	,, १३	यगा तो	गया तो
२६४२	,, १४	हरिभाऊ श्री उपाध्याय	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
२६४४	,, ११	सकल्प	संकल्प
२६४६	,, ६	jurisdiction	jurisdiction
२६४७	प्रथम पंक्ति	(श्री वद्रीप्रसाद गुप्ता)	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
२६५०	अन्तिम से १३	किया जाय,	किया जाय, और इसे स्वीकार किया जाए ।
,,	,, ११–१२	(मतदाक के पश्चात् स्वीकार किया जाए)	(मतदान के पश्चात्)
		ना पक्ष जीता ?	'ना' पक्ष जीता
२६५१	ऊपर से १२	भी श्रीभानसिंह :	श्री श्रीभानसिंह :

१	२	३	४
२६५२	अन्तिम से ६	**श्री मदनसिंह दाता :**	**श्री मदनसिंह दाता :**
२६५७	ऊपर से ३	पैदा हौते हैं	पैदा होते हैं।
२६६४	अन्तिम मे २	कि है।	की हैं।
२६६५	ऊपर से ४	impar tent.	impatient.
२६६६	,, ५	releveant	relevant
२६६६	,, १६	ब्रह्म मैं	ब्रह्म में
२६७३	अन्तिम से १४	**श्री बद्रीप्रसाद गप्ता :**	**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :**
२६७५	,, ४	famliy	family
२६७७–२६८०	शीर्ष	संक्षिप्त विवरण	परिवार नियोजन सम्बन्धी अशासकीय संकल्प
२६७७	अन्तिम से १५	टीर्गेट्ट	टार्गेट्स
२६७०–२६८०	शीर्ष	संक्षिप्त-विवरण	परिवार नियोजन संबंधी अशासकीय संकल्प
२६७६	अन्तिम	(श्री सभापति)	
२६८१	ऊपर से ३	हटाया जान	हटाया जाना
२६८४	अन्तिम	**श्री बैनीराम गलहोत :**	**श्री वेनाराम गलहोत :**
२६८७–२६८८	शीर्ष	२६८७–२६८८	२६८५–२६८६
२६८६	शीर्ष	२६८६	२६८७
,,	प्रथम पंक्ति	सची	सूची
२६६५	ऊपर से २	GRAT	GRANT
२७१४	शीर्ष	१४१४	२७१४
२७१६	अन्तिम पंक्ति	scheme be impiemented will shortly.	scheme will be implemented shortly.
२७१६	अन्तिम से १२	26	16
२७२५	प्रथम पंत्ति	RELIFE	RELIEF